राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
की
विशेष रिपोर्ट, 2012
पर
स्पष्टीकरण ज्ञापन

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की विशेष रिपोर्ट, 2012 में निहित सिफारिशों पर स्पष्टीकरण टिप्पणी

विषय वस्तु

क्र.सं.	अध्याय संख्या	पृष्ठ संख्या से	तक
1	अध्याय – 1 : अनुसूचित एव जनजातीय क्षेत्र में अच्छा अभिशासन		
2	अध्याय – 2 : शांति एवं अच्छे अभिशासन के संबंध में विनियम		
3	अध्याय – 3 : आयोग के साथ अर्थपूर्ण परामर्श की आवश्यकता		
4	अनुलग्नक - I, II व III		

*****

अध्याय-1 : अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में अच्छा अभिशासन

सिफारिश सं. 1 (पृष्ट सं. 86)

परिचर्चा से उजागर हुई स्थिति के आधार पर आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों में गिनायी गयी अच्छी प्रथाओं को सम्मिलित करते हुए जनजातीय समुदायों के लिए एक विस्तृत चार्टर उपलब्ध कराने हेतु पांचवी और छठी अनुसूची में संषोधन की आवष्यकता पर विचार करने के लिए सरकार को सिफारिष करता है। **{संदर्भ पैरा 1.27}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

विदेश मंत्रालय:

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सिफारिश के कार्यान्वयन में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। अनुसूची 5 तथा 6 को पर्याप्त रुप से संशोधित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लिया जाना है। यदि वह निर्णय ले लिया गया है तो विदेश मंत्रालय, अनुरोध पर, आईएलओ सम्मेलन जिसे अध्याय में शामिल करने के लिए चिह्नित किया गया है, के प्रावधानों पर अपने विचार दे सकता है।

2. विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की टिप्पणियों को जैसा "अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में अच्छा अभिशासन" शीर्षक वाले अध्याय-1 के तहत पैरा 1.22 (क), (ख) तथा (ग) में प्रतिबिंबित किया गया है, संदर्भित करते समय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि उक्त तीन मंत्रालयों द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति आईएलओ सम्मेलन संख्या 169 के अनुसमर्थन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। अब तक विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच आईएलओ सम्मेलन 129 की स्वीकृति हेतु कोई सहमति नहीं हुई है। किसी आईएलओ सम्मेलन का केवल तब ही अनुसमर्थन किया जा सकता है यदि सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी स्वीकृति दें या उक्त सम्मेलन के लिए अनुसमर्थन हेतु अनापत्ति प्रदान करें। तथापि, यदि संबंधित मंत्रालयों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो मामले का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

3. गृह मंत्रालय ने बताया कि एकीकृत कार्य योजना जो 2009 से प्रचालन में है जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर रही है।

आईएपी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्त्ता, पुलिस अधीक्षक तथा जिला वन अधिकारी वाली समिति निवेशों के संवितरण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखती है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की

प्रभावी निगरानी तथा कार्यान्वयन के माध्यम से अभिशासन के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की जाती है।

इस योजना के माध्यम से प्राप्त किए गए परिणामों की आलोचनात्मक रुप से जांच किए जाने की आवश्यकता है| कार्यक्रम के प्रभाव को मापने के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की अवधि के बाद इसे किया जाना चाहिए।

कई विधानों और अन्य उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए संविधान की अनुसूची 5 तथा 6 को संशोधित करना आवश्यक नहीं माना गया है। जिसकी आवश्यकता है वह प्रभावी कार्यान्वयन है जिसकी भारत सरकार राज्य सरकारों के समन्वय से परिणामों की निगरानी कर रही है।

4. इन परिस्थितियों में, जनजातीय कार्य मंत्रालय का विचार है कि आईएलओ सम्मेलनों में सूचीबद्ध सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए जनजातीय समुदायों के लिए समग्र चार्टर प्रदान करने हेतु अनुसूची 5 तथा 6 के संशोधन के लिए आयोग की सिफारिश अभी समर्थनीय नहीं है।

सिफारिश सं. 2 (पृष्ट सं. 86)

आयोग ने नोट किया है कि सरकार ने प्रषासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट–''कार्मिक प्रषासन का पुनर्गठन, नई उंचाईयों तक पहुंचना'' (नवम्बर, 2008) पर कोई निर्णय नहीं लिया है–जिसमें अनुसूचित जनजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिषें हैं। **राष्ट्रीय** जनजाति आयोग ने नोट किया है कि आवास, चिकित्सा एवं षिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए अधिकारियों एवं स्टाफ की सामान्य अनिच्छा को अनियंत्रित राजनीतिक हस्तक्षेप एवं सुविधाजनक क्षेत्रों की तलाष में जिम्मेदारियों के कपटपूर्ण परित्याग द्वारा निर्बंधता के सामान्य वातारण के साथ बहुलता से मिला दिया गया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आयोग का मत है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कार्मिक प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में सरकार को विनिर्दि**ष्ट** विनियम बनाने चाहिए तथा राज्य स्तरीय सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करना चाहिए जो प्रषासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण की लीक पर अधिकारियों की तैनाती के लिए अधिकारियों को कार्यात्मक क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक पैनल तैयार करने, **वरिष्ठ** पदों के लिए सेवाकाल निर्धारित करने के मामलों को निपटाने का कार्य करेगा। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक प्रबंधन को सुधारने के लिए विभिन्न संवर्ग पदों हेतु एक न्यूनतम सेवाकाल निर्धारित करना आवष्यक है जिसे कैरियर को आगे बढ़ाने में निरंतरता एवं संभाव्यता बनाये रखने के लिए और सुषासन के प्रौन्नयन के साथ–साथ आवष्यक कौषल एवं अनुभव प्राप्ति, विहित मानकों एवं दिषा–निर्देषों, स्थानान्तरण एवं तैनाती हेतु मेरिट, अनुकूलता एवं अनुभव के आधार पर भरा जाएगा। सभी लोक सेवकों के लिए सामान्य सेवाकाल दो **वर्ष** की अवधि से कम न हो और विनिर्दि**ष्ट** सेवाकाल से पहले स्थानान्तरण केवल वैध कारणों के लिए होना चाहिए जिसे लिखित में रिकॉर्ड में रखना होगा। ये सिफारिषें 10वीं रिपोर्ट के पैरा 8.5.11, 8.5.12 और 8.5.14 में षामिल आकलनों के अनुसरण में है। कार्मिक एवं प्रषिक्षण विभाग, आयोग के उक्त मतों पर विचार करें एवं शांति एवं सुषासन के हित में जनजातीय क्षेत्रों में कार्मिक नीतियों एवं तंत्र में सुधार के लिए, आयोग को सूचना देते हुए, विस्तृत दिषा–निर्देष जारी करें।

{संदर्भ पैरा 1.45}

स्पष्टीकरण टिप्पण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया है कि वरिष्ठ पदों के लिए पैनल तैयार करते समय अधिकारियों को कार्यात्मक अधिकार-क्षेत्र देने के अधिदेश के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के साथ कार्मिक प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में विशिष्ट विनियमों के निरुपण से संबंधित सिफारिश वह विषय-वस्तु है जो संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

2. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने बताया है कि "रिफरबिसिंग ऑफ पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन- स्केलिंग न्यू हाइट्स" नामक 10वीं रिपोर्ट पर मंत्रियों के समूह द्वारा उनकी दिनांक 19.10.2012 तथा 24.01.2013 को हुई बैठक में विचार किया गया था। तथापि, जीओएम द्वारा दूसरी एआरसी की 10वीं रिपोर्ट पर पूर्ण रुप से अभी विचार किया जाना है।

3. गृह मंत्रालय ने बताया है कि कुछ अन्य बाह्य कारकों सहित सुविधाओं के अभाव की भावना से सामान्य अरुचि पैदा होती है जो लोक सेवकों को इन क्षेत्रों में तैनाती लेने से हतोत्साहित करती है। तैनाती लेने के लिए कार्मिकों को बाध्य करने से अपरिहार्य रुप से उत्साह घटता है तथा निष्पादन भी कम होता है, इसके बजाय इन क्षेत्रों में तैनाती को किसी रुप में ईनाम दिया जाना चाहिए, जिससे वे स्वेच्छा से तैनाती लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

इस विशिष्ट समस्या का इलाज स्थानीय लोगों से समर्पित संवर्ग भर्त्ती किए जाने में छुपा है जो अपने मूल क्षेत्र से सामान्यत: गहराई से जुड़े हुए हैं। नैत्यक पदों को जहां तक संभव हो पंचायतों एवं जिला स्तर पर स्थानीय भर्ती द्वारा जनजातीय लोगों में से भरा जाना चाहिए।

4. आयोग की सिफारिश राज्यों को विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

सिफारिश सं. 3 (पृष्ट सं. 87)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तम अंतराष्ट्रीय प्रचलनों एवं आवष्यक प्रषासनिक सुधारों के आलोक में Vãðóü/Vlãðóü अनुसूची में संवैधानिक प्रावधानों को पुनरीक्षित एवं पुनर्निर्धारित करने की आवष्यकता है। यह अनुकूल समय प्रतीत होता है कि प्रषासनिक सुधार आयोग इत्यादि जैसे विभिन्न निकायों के साथ–साथ आईएलओ सम्मेलनों से निकलने वाले श्रेष्ठ प्रचलनों को अंत:स्थापित करते हुए पांचवी अनुसूची (जनजातीय क्षेत्रों को भी अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करना) में एक व्यापक, सार्वभौमिक **जनजातीय समुदायों के अधिकारों का चार्टर** अंत:स्थापित किया जाए।

(i) धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण

(ii) आजीविका के पारम्परिक साधनों को बनाये रखना एवं रोजगार के संबंध में विशेष संरक्षण

(iii) रूढ़ीगत कानूनों एवं विरासती अधिकारों का संरक्षण

(iv) आवास एवं पर्यावरण का संरक्षण

(v) भूमि (तल एवं उप–तल) अधिकारों का संरक्षण

(vi) कब्जे की भूमियों से लोक उद्देष्यों के लिए हटाये जाने से संरक्षण

(vii) उपयुक्त क्षतिपूर्ति/गारंटियों के साथ कब्जाधारी भूमियों से अवस्थापन का अधिकार

(viii) पारम्परिक समुदायिक संस्थानों का संरक्षण

(ix) जनजातीय क्षेत्रों के लिए (संघीय देखरेख में) प्रषासनिक तंत्र को मजबूत करना

(x) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास एवं योजना (संघ सरकार की प्रारंभिक वित्तीय एवं प्रषासनिक जिम्मेदारी पर आधारित पुनर्गठित विकास नीति)

{संदर्भ पैरा 1.52}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

संस्कृति मंत्रालय ने सूचित किया है कि अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से मंत्रालय जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कार्यकलाप करता है। इसमें शामिल संगठन निम्नानुसार हैं:-

(क) (क) तीन (3) अकादमियां (साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी),

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,

(ग) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एस.आई),

(घ) संग्रहालयों को सहायता,

(ङ) आंचलिक-सांस्कृतिक केन्द्र निम्नानुसार हैं:-

देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सात आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना भारत के लोक एवं पारंपरिक कलाकारों और शिल्पियों को सृजनात्मक सहायता देने के लिए स्थापित किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र एक स्वायत्त केन्द्र के रुप में कार्य करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल इन स्वायत्त निकायों के पदेन सभापित के रुप में कार्य करता है।

मंत्रालय पुरातत्व विज्ञान, अभिलेखागार, संग्रहालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, मानव विज्ञान, बुद्धिस्ट/तिब्बती कला एवं संस्कृति इत्यादि के क्षेत्रों में कार्यरत संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से तथा कुछ विभागीय कार्यान्वित केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से भी अपना कार्य करता है। योजना परिव्यय का एक बड़ा भाग संस्कृति के संवर्द्धन एवं प्रसार में लगे सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए चिह्नित है।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) को कार्यान्वित करने में प्रचालनात्मक कठिनाइयों की समीक्षा करने के लिए तत्कालीन सदस्य,

योजना आयोग द्वारा कार्य बल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विद्यमान दिशानिर्देशों की पुन: जांच के माध्यम से उपचारात्मक उपायों के सुझाव देता है। मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2011-12 से टीएसपी के तहत अपनी योजना आबंटन का 2 प्रतिशत चिह्नित कर रहा है।

मंत्रालय के संगठनों/केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के संवर्द्धन तथा संरक्षण के लिए अभिज्ञात प्राथमिकताएं जिन्हें टीएसपी के तहत कवर किया जाना है, निम्नानुसार हैं:-

क. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता,
ख. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल,
ग. राजाराम मोहन राय लाईब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता,
घ. आंचलिक संस्कृति केन्द्र,
ङ. नामगयाल इंस्टीच्यूट ऑफ तिब्बितोलॉजी, सिक्किम, गंगटोक,
च. सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ कल्चरल हिमालयन स्टडीज, दाहुंग, अरुणाचल प्रदेश,
छ. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
ज. सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सिज एंड ट्रेनिंग,
झ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र।
ञ. मंत्रालय की केन्द्रीय योजनाएं

मंत्रालय विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है जो सांस्कृतिक विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को दी जाती है। यह विद्वानों तथा कला में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की भी सहायता करता है जो जनजातीय क्षेत्रों, समुदाय सहित छात्रवृत्ति तथा अध्येतावृत्ति के रुप में प्रदान की जाती है। मंत्रालय जनजातीय समुदाय से संबंधित व्यक्तियों/कलाकारों या जनजातीय क्षेत्र में स्थित संगठनों को इसके गुण-दोष के आधार पर अनुदान भी देता है।

2. पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) ने संविधान के भाग-9 को अनुसूची 5 क्षेत्रों तक बढ़ाया और लोक केन्द्रित अभिशासन तथा ग्राम सभा की केन्द्रीय भूमिका सहित सामुदायिक संसाधनों और उनके जीवन पर लोगों के नियंत्रण का प्रावधान करता है।

पेसा के तहत ग्राम सभाओं को अपने लोगों की परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़े का निपटान करने के परंपरागत तरीके के सुरक्षोपाय तथा संरक्षण के लिए "सक्षम" माना गया है। ग्राम सभाओं के पास और भी शक्तियां हैं:-

(क) ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अनुमोदित करने, योजनाओं के लिए लाभार्थियों को चिह्नित करने, निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनिवार्य कार्यकारी शक्ति,

(ख) भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास तथा लघु खनिजों के लिए लाइसेंस/खनन बीज देने के मामले में अनिवार्य परामर्श का अधिकार,

(ग) भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति,

(घ) शराब की बिक्री/उपभोग को नियमित तथा प्रतिबंधित करने की शक्ति,

(ङ) गांव बाजारों के प्रबंध, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने को नियंत्रित करने की शक्ति,

(च) लघु वन उत्पाद का स्वामित्व,

(छ) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और कार्यकरणों को नियंत्रित करने की शक्ति,

(ज) टीएसपी इत्यादि सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति।

3. उच्चतर शिक्षा विभाग ने आयोग की सिफारिश के संशोधन का समर्थन किया है।

4. योजना आयोग ने समीक्षा की आवश्यकता का समर्थन किया है परन्तु इस मुद्दे/सिफारिश पर उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

5.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों में अच्छे अभिशासन के लिए किसी भी प्रयास का स्वागत करता है।

6. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की आयोग की सिफारिश पर कोई टिप्पणी नहीं है।

7. गृह मंत्रालय ने बताया है कि संविधान को संशोधित करने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस संबंध में समय-समय पर उपयुक्त रुप से संशोधित विशिष्ट कानून उपलब्ध हैं, जो किसी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और उन्हें कम करने के लिए पर्याप्त हैं। जो बात अधिक संगत है वह यह है कि विद्यमान विधानों का प्रभावी कार्यान्वन एवं निगरानी के लिए तरीके सुझाए जाएं। यह कठोर सत्य है कि कई विधानों द्वारा संरक्षण के बावजूद भी कमजोर समूहों का शोषण किया जाता है और सांख्यिकीय रुप में अपराधों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक कारणों सहित देश की विशाल सामाजिक गतिशीलता एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है तथा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी तीनों अंगों- कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका के बीच समन्वित प्रयास किए जाने चाहिएं।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय "आजीविका के सतत परंपरागत साधन तथा रोजगार के संबंध में विशेष सुरक्षा" से संबंधित मद (2) के संबंध में: पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 जनजातीय लोगों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों के मुद्दों के संबंध में जनजातीय लोगों की चिंताओं का स्पष्ट रुप से समाधान करता है। यह अधिनियम इन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है और इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। चूंकि विधान द्वारा इस अधिकार को मान्यता दी गई है तथा इसे प्रदान किया गया है। अत:, यह अनुसूचित जातियों (एसटी) तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों (ओटीएफडी) के आजीविका मुद्दों का पर्याप्त रुप से समाधान करता है। तथापि, वन संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए आनुपातिक जिम्मेदारी का पता लगाए जाने की आवश्यकता है जिससे वन संसाधनों से आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आजीविका के लिए वन संसाधनों के सतत उपयोग में तैयारी करने तथा निम्नलिखित उपयुक्त कार्यकरण/प्रबंधन योजनाओं प्रश्न में वनों की वहनीय क्षमता के अधीन है। वनों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण भी प्रश्न में है। स्थानीय संस्थानों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण भी स्थानीय संसाधनों की प्रभावी भूमिका तथा पर्याप्त उपयोग करने के लिए आवश्यक है।

"परंपरागत कानूनों और आनुवांशिक अधिकारों" से संबंधित मद (3): वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) वनों पर अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों (ओटीएफडी) के रिवाजात्मक एवं परंपरागत अधिकारों के मुद्दों का ध्यान रखता है। तथापि, अंत में चूंकि वन संसाधन सीमित हैं, तो यह वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं और जनजातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं हो सकेंगे। अत:, एमएफपी सहित वन भूमि के सतत उपयोग के अलावा वैकल्पिक आजिविका सृजित करना भविष्य के लिए एक सोच हो सकेगी।

"आवास एवं पर्यावरण की सुरक्षा" से संबंधित मद (4) के संदर्भ में: मंत्रालय ने सूचित किया है कि वन भूमि, एमएफपी, वन जैव-विविधता इत्यादि पर जनजातीय लोगों के अधिकारों को भारतीय वन अधिनियम 1927, वन अधिकार अधिनियम, 2006, पेसा तथा जैविक-विविधता अधिनियम, 2012 के तहत पहले ही कवर किया गया है। तथापि, अधिकार धारक और जनजातीय समुदायों के कर्त्तव्य को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सावधानीपूर्वक किया जाए और इसके साथ-साथ धारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण किया जाए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के विचारों का समर्थन करता है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 87)

अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में अनुसूची V एवं अनुसूची VI के संबंध में संविधान के विषष प्रावधानों, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपालों की भूमिका एवं केन्द्र की ही तरह राज्यों में भी जनजातीय उप–योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अपर्याप्तता के संबंध में महान्यायवादी की राय पर विचार करते हुए जनजातीय विकास प्रषासन और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रषासन हेतु सुषासन के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग **निम्नलिखित सिफारिषें** करता हैः

(i) संवैधानिक प्रावधानों में मजबूत ''प्री–फैक्टो'' तंत्र बनाना होगा जो जनजातीय चिन्ताओं की ओर आवश्यक ध्यान सुनिष्चित करेगा–जिसमें सबसे अधिक इन लोगों के आवास, जनजातीय सम्पति अधिकार एवं कब्जे की भूमि का उपयोग करने, धर्म, रूढ़ियों एवं संस्कृति का आनन्द लेने तथा उनके पर्यावरण के साथ पारम्परिक संबंध को प्रभावित करने वाले प्रत्येक केन्द्रीय या राज्य विधायन में अनुसूचित क्षेत्रों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विषष प्रावधानों पर एक पृथक अध्याय का अनिवार्य समावेष होगा (जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमयों के अधीन बाध्यकारी है)। {संदर्भ पैरा 1.42}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया है कि पंचायतों के लिए प्रारुप आदर्श नियमावली (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी तथा पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त संशोधनों के साथ अपनाने के लिए इसे सभी पेसा राज्यों को परिचालित कर दिया गया था। तीन (3) राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान ने अपने पेसा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय अन्य 6 राज्यों के साथ भी मामले का अनुसरण कर रहा है। यहां यह उल्लेख करना संगत है कि जनजातीय समुदायों के अधिकतर अधिकार जैसे आजीविका के सतत परंपरागत साधन तथा रोजगार के संबंध में विशेष सुरक्षा, आवास एवं पर्यावरण की सुरक्षा, भूमि अधिकारों की सुरक्षा इत्यादि को इन मॉडल नियमों में पहले ही शामिल किया गया है।

2. भू-संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग अध्याय पहले ही प्रदान किया गया है।

3. खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि मंत्रालय आयोग की सिफारिश से सहमत है। मंत्रालय का यह विचार है कि आवास एवं आजीविका सुरक्षा से संबंधित मुद्दें प्राथमिक रुप से संबंधित राज्य सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति या राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 द्वारा निर्देशित है और भविष्य में भूमि अधिग्रहण, भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में संसद में लाए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक, 2011 द्वारा निर्देशित होगा।

तथापि, सरकार ने खनन गतिविधियों के संबंध में राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के अनुसार खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक, 2011 तैयार

किया है जिसमें यह प्रावधान है कि संबंधित राज्य सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आरएंडआर) नीति के अनुसार खनन परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पात्र क्षतिपूर्ति के अलावा प्रत्येक खनन लीज धारक को यह आवश्यकता होगी:

(क) गैर-कोयला खनिज के मामले में रॉयल्टी के समान राशि की हिस्सेदारी तथा कोयला खनिज के मामले में जिला स्तरीय तंत्र जहां पीड़ित व्यक्तियों का हिस्सा होगा, के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों के साथ कर के उपरांत लाभ के 26 प्रतिशत के समान राशि।

(ख) कंपनी के मामले में, खनन प्रचालनों द्वारा प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम एक शेयर के बराबर आबंटित करना।

(ग) राज्य की आरएंडआर नीति के संबंध में रोजगार एवं अन्य सहायता प्रदान करना।

इन प्रावधानों द्वारा खनन गतिविधियों से प्रभावित अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु आजीविका सुरक्षा पर चिंताओं का समुचित रुप से समाधान होने की संभावना है।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया है कि जनजातीय लोग मुख्य समुदायों में से एक हैं जो वन क्षेत्रों के अंदर तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 एक नियामक अधिनियम है जिसका उद्देश्य वन संसाधनों का प्रबंधन तथा उनकी सुरक्षा करना है। संयुक्त वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्रों में समुदाय की अन्य रुप में सहभागिता जनजातीय समुदाय को संसाधन के संरक्षण का प्राथमिक लाभार्थी बनाती हैं। इस प्रकार अधिनियम देश के अनुसूचित क्षेत्रों सहित जनजातीय लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा को निश्चित करता है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 87)

(ii) संविधान की पांचवी एवं छठी अनुसूची में समाहित प्रावधानों को लिखित एवं भावनात्मक रूप से मॉनिटर करने एवं कार्यान्वयन सुनिष्चित करने के लिए पांचवी एवं छठी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में राज्यपाल की अध्यक्षता में एक तंत्र विकसित करने की आवष्यकता है ताकि राज्यपाल इस मामले में निरीक्षण की भूमिका निभा सके।{संदर्भ पैरा 1.42}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

पाचवें व छठे अनुसूचित क्षेत्र राज्यों के राज्यपालों को संविधान की पाचवीं व छठी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं।

पाचवीं अनुसूची के राज्यों के राज्यपालों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना या राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कभी भी अपेक्षित करने पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनों की रिपोर्ट तैयार कर

प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। छठे अनुसूचित राज्यों के मामले में स्वायत्त क्षेत्रों और स्वायत्त जिलों के प्रशासनों पर रिपोर्ट देने और उसके जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार राज्यपालों के पास है।

तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सिफारिशें विचारार्थ और समुचित कार्रवाई के लिए राज्यों को भेज दी गई है। राज्यों के राज्यपालों से संविधान और जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई शक्तियों को प्रभावी रुप से उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 88)

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों के साथ–साथ जनजातीय क्षेत्रों वाले सभी राज्यों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल द्वारा परिषद की अध्यक्षता की जाए जबकि राज्यपाल सचिवालय में आवष्यक तंत्र के सृजित होने तक राज्य के जनजातीय विकास विभाग द्वारा सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा जाए। राज्य का मुख्यमंत्री टीएसी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। प्रावधानों के अनुसार टीएसी को नियमित रूप से पुनर्गठित किया जाना चाहिए एवं टीएसी की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार या जैसा कि संविधान में प्रावधान है, की जानी चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

संविधान की पाचवीं अनुसूची के खंड 4(1) के अनुसार पाचवें अनुसूचित राज्यों में टीएसी का गठन कर लिया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व नियम अनुसूची के खंड 4(3) में स्पष्ट रुप से दिए गए हैं।

तथापि, राज्यों से टीएसी की बैठकें वर्ष में कम-से-कम दो बार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय से सिफारिश राज्य सरकारों को विचारार्थ और समुचित कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 88)

(iv) राज्यपाल उक्त पैरा 1.51 में दिए गए सुझाव के अनुसार शांति एवं सुषासन के लिए विस्तृत विनियम प्रख्यापित करेंगे। {संदर्भ पैरा 1.42}

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 88)

(v) यह वांछनीय है कि सभी अधिनियम एवं कानून, अनुसूचित क्षेत्रों में उन्हें लागू करने के लिए पुनरीक्षित किए जाने चाहिए परन्तु संबंधित विभागों द्वारा व्यवहार में यह संभव नहीं है। विधि आयोग (विधि मंत्रालय के अधीन) को जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि के साथ परामर्ष करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों में अपनाने के लिए, संपति अधिकारों, उत्तराधिकार, विवाह, भू–अभिधारिता, ऋणग्रस्तता, लोक/प्रषासनिक सेवाओं के गठन एवं प्रबंधन को प्रभावित करने वाले विद्यमान कानूनों की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्कीमों/नीतियों में किसी भी कमजोर क्षेत्र को या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सुधारा जाना चाहिए।

{संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

भू-संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011" शीर्षक वाला विधेयक पहले ही लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की चिंताओं का समाधान करता है।

2. विधायी कार्य विभाग ने सूचित किया है कि भारतीय विधि आयोग गठित किए जाने की प्रक्रिया में है। जब तथा जैसे ही विधि आयोग गठित हो जाएगा मामला इसके पास भेज दिया जाएगा।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 88)

(vi) सभी कार्यक्रमों, विषष रूप से मंत्रालय/विभागों के प्रमुख मिषनों/स्कीमों के लिए नीति में, अनुसूचित क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए उप–अध्याय षामिल होने चाहिए। वास्तव में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों के निर्माण पर एक स्पष्ट ध्यान केन्द्रित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के सभी प्रमुख मिषनों/स्कीमों/कार्यक्रमों में विनिर्दिष्ट जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) घटक का होना एवं उनका प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग आवष्यक है। टीएसपी घटक को जनसंख्या अनुपात में नहीं होना चाहिए बल्कि वंचन के विस्तार, या इससे भी अधिक, वर्षों से अनुभव किए गए पिछड़ेपन/उपेक्षा की भरपाई करने को ध्यान में रखते हुए "समस्या आधारित" एवं "आवष्यकता आधारित" होना चाहिए। जब तक कि टीएसपी परिव्यय का निर्धारण शेष समस्याओं, उदाहरणार्थ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एवं षिक्षा, पोषणिक समर्थन, बेरोजगारी आदि की घटना के संबंधित भाग से अधिक नहीं होगा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता में संबंधित दरार बने रहने की संभावना है।

{संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय के रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष 2010 में, योजना आयोग ने डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में निम्नलिखित कार्यों के लिए एक कार्य बल गठित किया:-

(क) एससीएसपी तथा टीएसपी को कार्यान्वित करने में प्रचालानात्मक दिशानिर्देशों की समीक्षा करना।

(ख) भविष्य में एससीएसपी तथा टीएसपी के प्रभावी एवं अर्थपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

कार्य बल ने चिह्नित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बृहद परामर्श करने के उपरांत एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत संबंधित योजना परिव्ययों को चिह्नित करने के प्रति अपनी बाध्यता

के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के वर्गीकरण की सिफारिश की थी। कार्य बल की रिपोर्ट ने निम्नलिखित पर बल दिया है:-

1. उनके योजना परिव्यय/खर्च तथा एससीएसपी/टीएसपी को चिह्नित करने के लिए उनकी बाध्यता के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण,

2. एससीएसपी/टीएसपी के तहत योजना परिव्यय केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग-वार,

3. एससीएसपी/टीएसपी के तहत योजना व्यय को श्रेणीबद्ध करना,

4. "789 " तथा "796 " के अलग बजट शीर्षों के तहत एससीएसपी/टीएसपी के लिए चिह्नित निधियां रखना,

5. एससीएसपी/टीएसपी के आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों का सुदृढ़ीकरण तथा,

6. अव्यपगत विशिष्टता का कार्यान्वयन।

इन सिफारिशों को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा ब्यौरे **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं। तदनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को वार्षिक योजना 2011-12 से आरंभ करते हुए कार्य बल की सिफारिश को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। (वर्ष 2012-13 के लिए स्थिति **अनुलग्नक-2** में दी गई है। सदस्य सचिव, योजना आयोग ने अपने दिनांक 15.12.2010 के पत्र में उन मंत्रालयों/विभागों जिनका एसएसीएसपी तथा टीएसपी के तहत आबंटन प्रदान करने के लिए कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं है से भी स्वैच्छिक आधार पर कुछ आबंटन प्रदान करने के लिए भी प्रयास करने के लिए कहा गया है।)

योजना आयोग ने अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सशक्तिकरण के प्रति प्रधान लक्ष्यों के साथ-साथ समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक यंत्र के रुप में एससीएसपी/टीएसपी को प्रभावी रुप से कार्यान्वित करने हेतु हाल ही में अंतर मंत्रालयीय समिति गठित की है जैसी प्रारुप 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में परिकल्पना की गई। उक्त समिति के विचारार्थ विषयों में से एक अंतर्वेशी वृद्धि को सुनिश्चित करने के विचार से एससीएसपी तथा टीएसपी के लिए प्रबल "सक्रिय आयोजना उपागम" में "कार्योत्तर लेखांकन उपागम" को परिवर्तित करने की संभावना को बढ़ाना है। यह नई एवं नवीन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें विद्यमान योजना में यथानुपात लेखांकन के आधार पर केवल निधियों को चिह्नित करने पर ध्यान देने के बजाय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य के बीच विकास में अंतराल को भरने की क्षमता है।

जनजातीय उपयोजना के प्रभावी निरुपण, कार्यान्वयन तथा निगरानी पर जनवरी-फरवरी, 2013 में रांची, रायपुर तथा गांधीनगर में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में जनजातीय उपयोजना को कार्यान्वित करके वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपागम में परिवर्तन पर बृहद रुप से चर्चा की गई है तथा केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों की ओर से प्रभावी हस्तक्षेप के लिए भाग लेने वाले राज्यों और मंत्रालय के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

एक सिफारिश विभिन्न राज्यों की महसूस की गई आवश्यकताओं के बारे में थी जो अलग हैं तथा एक विशिष्ट राज्य के विभिन्न जिलों के अंदर भी भिन्न हो सकते हैं| अत:, यह महसूस किया गया कि निगरानी एवं आयोजना कार्यों को पूरा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित होनी चाहिए।

आंध्रप्रदेश सरकार ने "आंध्रप्रदेश अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजातीय उपयोजना (योजना आबंटन तथा वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2013" शीर्षक विधान अधिनियमित किया है जो महत्वपूर्ण विषय को वैधानिक समर्थन देता है।

एक अन्य विवरण 2013-14 के मंत्रालय/विभागवार परिव्यय को **अनुलग्नक-3** में दर्शाया गया है।

2. भू-संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि विभाग ने अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के लिए योजना परिव्यय का 16.20 प्रतिशत तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए 10 प्रतिशत चिह्नित किया है। इन्हें विभाग की अनुदान हेतु मांगों में प्रतिबिंबित किया गया है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 88)

(vii) राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद, इसके क्षेत्र तथा शर्तों की स्पष्ट परिभाषा के साथ स्थापित की जानी चाहिए। परिषद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में शासण में समन्वय भी करना चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

राष्ट्रीय जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की स्थापना के लिए आयोग की सिफारिश मुंगेकर समिति की सिफारिशों में से एक है जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अंतिम रुप दिया जा रहा है।

सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए अनुसूची-5 राज्यों के जनजातीय/कल्याण विभागों के सचिवों के साथ दिनांक 21.02.2013 को एक बैठक आयोजित की गई है तथा हितधारी मंत्रालयों के साथ दिनांक 17.04.2013 को एक अन्य बैठक भी आयोजित की गई थी।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 88)

(viii) **जनजातीय कार्य मंत्रालय को पांचवी अनुसूची के राज्यों के संबंध में राज्यपालों द्वारा रिपोर्टों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए एक समरूप प्रपत्र, इसकी सामग्री के विषेष संदर्भ के साथ, निर्धारित करना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस प्रभाव के साथ राज्य सरकारों को निम्नलिखित निर्देष जारी करने चाहिए कि {संदर्भ पैरा 1.42} :**

स्पष्टीकरण टिप्पण

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट को तैयार करने तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र/दिशानिर्देश पहले ही मौजूद हैं। इन्हें संशोधित किया जा रहा है। इन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और राज्यों तथा एनसीएसटी के टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

सिफारिश सं. 4 (viii) (पृष्ट सं. 88)

(क) **वित्तीय वर्ष से संबंधित रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने की अवधि के भीतर भारत सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) को पहुंच जानी चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

विद्यमान दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्यपाल की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की अवधि के अंदर अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

सिफारिश सं. 4 (viii) (पृष्ट सं. 88-89)

(ख) रिपोर्टों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं समाजार्थिक विकास के प्रौन्नयन के लिए संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर विस्तृत टिप्पणी होनी चाहिए। इन रिपोर्टों में कानून एवं व्यवस्था, नक्सल आंदोलनों एवं जनजातीय अषांति से संबंधित समस्याओं का सार भी होना चाहिए। रिपोर्टों में रिपोर्ट अवधि के दौरान राज्य में निर्मित केन्द्रीय एवं राज्य कानूनों के बारे में एवं पांचवी तथा छठी अनुसूची के अधीन राष्ट्रपति, राज्यपाल की शक्तियों के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उन कानूनों के विस्तार/प्रयोज्यता के संबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। राज्य में पेसा (PESA) अधिनियम का कार्यान्वयन भी राज्यपाल की रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट की विषय-वस्तुइस प्रकार की होनी चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं विकास के

स्तर में सुधार के स्वीकृत उद्देश्य के साथ राज्य एवं केंद्रीय सरकार दोनों की विशिष्ट कार्रवाई की ओर अग्रसर करे।

मंत्रालय द्वारा एनसीएसटी के प्रेक्षणों/सुझावों को देखा जाता है। पेसा सहित विभिन्न राज्यों/केन्द्रीय अधिनियमों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में राज्यपालों की रिपोर्ट के प्रपत्र में उल्लेख होता है।

सिफारिश सं. 4 (viii) **(पृष्ट सं. 89)**

(ग) कार्य की व्यापक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वांछित रिपोर्ट को राज्यपाल द्वारा समेकित करने की आषा करना व्यावहारिक नहीं है। राज्य के प्रत्येक विभाग को, राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग को उनके द्वारा चलायी जा रही स्कीमों/नीतियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए जो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए मजबूत क्षेत्रों एवं कमजोर बिन्दुओं की पहचान करने के लिए इन रिपोर्टों को समेकित करेगा। {संदर्भ पैरा 1.42}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विद्यमान दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग को अपने कार्यात्मक क्षेत्राधिकार के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए तथा एक विभागवार विश्लेषण को भी इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 89)

(घ) यदि रिपोर्टों में टीएसी की टिप्पणियाँ शामिल नहीं हो, उन्हें, टीएसी की टिप्पणियों को शामिल करने, उन टिप्पणियों पर की गयी कार्रवाई की सूचना केन्द्र सरकार को भिजवाने की सलाह के साथ, वापस राज्य सरकारों को भेजी जाए। {संदर्भ पैरा 1.42}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

इस मुद्दे पर जनजातीय कार्य मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट को जनजाति परामर्शदात्री परिषद (टीएसी) के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा टीएसपी द्वारा किए गए अवलोकनों पर टीएसी के अवलोकन/सिफारिशों पर उठाए गए कदमों को दर्शाते हुए रिपोर्ट के अंदर विचार करना चाहिए।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 89)

(ड.) रिपोर्टों को उनमें षामिल सामग्री के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में पूरी तरह से परखा जाना चाहिए एवं राज्य सरकार को आवष्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु आकलन की सूचना दी जानी चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय रिपोर्ट की जांच करता है तथा इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय की टिप्पणियों सहित महामहिम राष्ट्रपति के अवलोकन हेतु राष्ट्रपति सचिवालय को भेजता है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट देखे जाने के बाद टिप्पणियां अनुपालन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भी भेजी जाती हैं।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 89)

(च) राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति, आयोग को उसकी जांच करने तथा उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए मंत्रालय में रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरन्त बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति महामहिम राष्ट्रपति के अवलोकन हेतु राष्ट्रपति सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसे एनसीएसटी के पास भेजा जाएगा।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 89)

(छ) जनजातीय सलाहकार परिषदों वाले राज्यों को सुनिष्चित करना चाहिए कि जनजातीय सलाहकार परिषदें समय पर गठित/पुनर्गठित की जाए और यह कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों। टीएसी की कार्यसूची में बिना चूक के इसकी बैठकों के अन्तराल के दौरान निर्मित केन्द्र या राज्य कानूनों के अंगीकरण का विषय शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनको अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातियों पर सामान्यतः विस्तारित न किया जाए। अनुसूची VI के राज्यों के लिए भी समान तंत्र (टीएसी के समान) स्थापित किया जाना चाहिए। {संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के आलोक में राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्रवाई करने तथा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद (टीएसी) की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाएं।

जहां तक अनुसूची-6 राज्यों के लिए समान तंत्र (जैसे टीएसी) की स्थापना का संबंध है, मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है क्योंकि गृह मंत्रालय अनुसूची-6 राज्यों से संबंधित है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 89)

(ix) पांचवी एवं छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के होते हुए भी, संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत, विशेषतया जनजातीय अधिकार चार्टर से संबंधित वैधानिक प्रस्तावों में एक पृथक अध्याय "अनुसूचित जनजातियों एवं (पांचवी एवं छठी अनुसूची के अधीन) अनुसूचित क्षेत्रों को प्रयोज्यता" होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य रूप से, पांचवी एवं छठी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति

आयोग सहित सभी शेयर धारकों के साथ अनिवार्य परामर्श करना होगा और इससे अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किसी भी अधिनियम के अंगीकरण से संबंधित प्रश्न हमेशा अनिवार्य नहीं होगा। {संदर्भ पैरा 1.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

विधायी कार्य विभाग ने बताया है कि अलग-अलग विषय भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों को आबंटित किए गए हैं। अत:, सभी मंत्रालय/विभाग इस बात से अवगत होने चाहिएं कि जब कोई वैधानिक प्रस्ताव जनजातीय अधिकार अध्याय से संबंधित मामलों सहित, उनके द्वारा चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो यह एक अलग अध्याय "अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रयोज्यता (पांचवीं एवं छठी अनुसूची के तहत)" होना चाहिए और यह कि पाचवीं और छठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों सहित सभी हितधारियों, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।

विधायी कार्य विभाग तब सामने आएगा जब मंत्रिमंडल के लिए प्रारुप टिप्पण के रुप में ऐसा प्रस्ताव कानूनी एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से जांच हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से प्राप्त होगा।

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि बढ़ते हुए वन अपराधों के संबंध में एक विधेयक "भारतीय वन अधिनियम में संशोधन विधेयक, 2012 (भारतीय वन अधिनियम, 1927 को पुन: संशोधित करने के लिए विधेयक)" दिनांक 26.03.2012 को राज्य सभा में बजट सत्र के दौरान लाया गया था।

संशोधन बिल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे छोटे-मोटे वन उल्लंघनों के उदाहरणों की वजह से वैधानिक स्थानीय लोगों पर मुकदमों के माध्यम से अनुचित उत्पीड़न डाला नहीं जाता जो अदालतों में मुकदमेबाजी की जरुरत पर जोर देता है। दस हजार रु. की सीमा तक वन अपराधों को संयोजित करने के लिए वन अधिकारियों के साथ निहित अधिकार बढ़ाने के द्वारा यह प्राप्त किया जाएगा। संशोधन विधेयक में एक उपधारा भी निम्नानुसार सम्मिलित की गई है|

"अनुसूची-5 क्षेत्रों में, इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने से पहले संबंधित ग्राम सभा का मत प्राप्त करेगा तथा इसे रिकॉर्ड करेगा"|

विधेयक विचार तथा जांच के लिए संसद के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 नवंबर, 2012 को राज्य सभा में पेश कर दी है।

वनों के संरक्षण में हितधारकों की चिंताओं को शामिल करने के लिए संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है।

अध्याय-2: शांति और सुशासन से संबंधित नियम

सिफारिश सं. 1 (पृष्ट सं. 90)

भारतीय राज्यों में राजनैतिक शक्ति, संसाधन तथा अवसर प्राप्त करने के लिए बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में समाज के अपेक्षाकृत अधिक विकसित वर्गों में पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव पर आधारित पहचान के पूर्व के मापदण्डों को चुनौती देते हुए, अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित होने की तीक्ष्ण मांग उठी है। यह मांग जनजातीय समुदायों के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षणों पर उनके हानिकारक प्रभाव की चिन्ता किए बिना राजनैतिक लाभ लेने की दृष्टि से राजनैतिक दलों द्वारा भड़कायी गयी है। आयोग सिफारिश करता है कि नए क्षेत्रों/समुदायों को शामिल करने के लिए सतत् मांग के संदर्भ में, एक समयबद्ध तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों/अनुसूचित जनजातियों की सूची की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए, समुचित रूप से अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत ऐसी मांगों की जांच करने के लिए हर 10 वर्षों में किया जाना चाहिए। **अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग** को अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातीय अनुसूची तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना से संबंधित विधियों एवं नियमों की समीक्षा का कार्य सौंपा जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.4}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

दूसरा अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग दिनांक 18.07.2002 को गठित किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2004 में प्रस्तुत कर दी थी। अगला अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने के लिए सुझाव दिया गया है और इस पर इस मंत्रालय को निर्णय लेना है। संविधान की धारा 339(1) के तहत जब अगला अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग गठित होगा तब आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

सिफारिश सं. 2 (पृष्ट सं. 90)

प्राकृतिक आपदा, विद्रोह और बृहत विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय समुदायों को अनैच्छिक पुनःस्थापन के कारण संवैधानिक सुरक्षणों के अधिकार खोने पड़े हैं क्योंकि उसे पुनःस्थापित क्षेत्र में जनजातीय पहचान वैधानिक रूप से नहीं मिला पाती है। राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि :

(क) उन्हें यह उपबंध कराने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिए कि अनैच्छिक प्रवासी अनुसूचित जनजाति मात–पिताओं के बच्चों एवं परिवार उस राज्य में वही अनुसूचित जनजाति पहचान बनाए रखेगा जहां वह पुनर्स्थापित हुआ है यदि वह समुदाय जिससे वह संबंधित है उस राज्य में अनुसूचित जनजाति/जनजातियों के रूप में पहले से ही अधिसूचित है और उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकार्य लाभ प्राप्त कर रहा है।

(ख) यदि वह समुदाय जिससे पुनर्स्थापित जनजाति संबंधित है पुनर्स्थापित राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित नहीं है, उन्हें (राज्य सरकारों को) पुनःस्थापन की तारीख से उन समुदाय/समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कराने के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए; और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त अधिनियम के मुद्दों की लंबित अवधि में, पुनःस्थापित जनजातियों को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकार्य लाभों को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.6}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

संविधान का अनुच्छेद 342 अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अनुबद्ध नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है तथा अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति केवल उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां इन्हें अधिसूचित किया गया है, ऐसी जनजातियों के लिए दिए गए लाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित समुदाय किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भी अनुसूचित जनजाति के रुप में अधिसूचित समुदाय हो, यह आवश्यक नहीं है।

इन परिस्थितियों में, मंत्रालय का विचार है कि संबंधित राज्य सरकारों को संविधान तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अन्य नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुरुप निहित मुद्दों को हल करना चाहिए।

सिफारिश सं. 3 (पृष्ट सं. 90-91)

यह महसूस किया गया था कि अ.जा. और अ.ज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक विशेष अधिनियम है। अतः ऐसे ही प्रावधान इस अधिनियम में भी समाविष्ट किए जाने चाहिए। अधिनियम में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान करने का उद्देश्य इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों के तीव्र निपटान करने का था। अब तक का अनुभव झूठा साबित हुआ। इसलिए आयोग ने सिफारिश की कि अ.जा. और अ.ज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों को विशेष न्यायालय द्वारा 6 महीनों के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के विचारण के लिए ही विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप मे नामित करने के बजाय) की स्थापना के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। (आयोग की इस सिफारिश को दिनांक 16/07/2009 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेज दिया गया था) **{संदर्भ पैरा 2.8}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव शामिल है, को संशोधित करने के लिए विभिन्न हितधारियों की टिप्पणियों को प्रकाश में लाने हेतु अलग से कवायद कर रहा है।

सिफारिश सं. 4 (पृष्ट सं. 91)

वर्तमान में आयोग ने नोट किया कि भारतीय दण्ड संहिता में जघन्य अपराध की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। अपराध प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भी यह अनिवार्य नहीं है कि शिकायत करते समय तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आयोग ने यह भी अवलोकित किया कि अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अधिकतर अत्याचार की शिकायतें प्रथमतः जनजातीय लोगों की भूमि को हड़पने और अनुसूचित जनजाति महिलाओं से संबंधित हैं। इसलिए, सलाह दी जाती है कि निगरानी के उद्देश्य के लिए धारा 3 की उप–धारा (1) के उपखण्ड (iii),(v), (xi) या (xii) के अन्तर्गत दर्ज मामलों की सूचना भी दी जानी चाहिए। आयोग यह भी महसूस करता है कि पुलिस द्वारा, उनके पास प्राप्त ऐसी सभी शिकायतों की सूचना, एफआईआर दर्ज करने की प्रतीक्षा के बिना, शीघ्र भिजवाई जानी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.9}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि गंभीर अपराधों के मामले में केंद्रीय सरकार इत्यादि को रिपोर्टें प्रस्तुत करने के संबंध में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों का निवारण) नियमावली, 1995 में नियम, 7-क डालने के लिए मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था जिसे गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सहमति नहीं दी गई थी जो भारत सरकार (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक अपराधों की विषय-वस्तु से संबंधित है। गृह मंत्रालय का यह विचार था कि रिपोर्टिंग तंत्र को सरल बनाया जाए तथा जिला दंडाधिकारी को राज्य में केवल एक नोड्ल प्राधिकरण/विभाग को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होनी चाहिए और तब वह नोड्ल प्राधिकरण/विभाग संघ सरकार सहित संगत एजेंसियों को सूचना प्रसारित कर सकता है। चूंकि गृह मंत्रालय उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं था, इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

सिफारिश सं. 5 (पृष्ट सं. 91)

नीति का उद्देश्य बाहरी दुनिया के संक्रमण एवं पोषण से संरक्षित करते हुए अत्यधिक संवेदी आदिम जनजातीय समूहों के विकास का होना चाहिए। उन्हें उनके बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों के अलावा खाद्य चीजें एवं स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से दी जानी चाहिए। निम्नलिखित उपाय भी समुचित रूप से नीति में समाविष्ट किए जाने चाहिएः

(क) नियमित सम्पर्क बिन्दुओं की संख्या में समुचित रूप से वृद्धि की जाए।

{संदर्भ पैरा 2.10}

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय पहले ही "पीटीजी के विकास" की योजना कार्यान्वित कर रहा है। पीटीजी योजना अत्यंत लचीली है तथा इसके तहत गतिविधियों में आवास, भूमि-संवितरण, भूमि-विकास, कृषीय विकास, मवेशी विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर- परंपरागत स्रोतों की स्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित

सामाजिक सुरक्षा या पीटीजी के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक विकास उपागम हेतु किसी अन्य नवीन गतिविधि को शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकारों से संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना के तहत समावेश के लिए स्थानीय विशिष्ट आजीविका प्रस्तावों को तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

योजना को संशोधित किया जा रहा है तथा योजना को संशोधित करने में आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा और राज्य सरकारों को उपयुक्त रुप से सलाह भी दी जाएगी।

सिफारिश सं. 5 (पृष्ट सं. 91)

(ख) आजीविका के लिए आदिम जनजातीय समूहों की, वनों पर पूर्णतः निर्भरता बनाए रखने के बजाय, उन्हें व्यवस्थित कृषि (उन्हें उन्नत बीज, कृषि किट्स, हल बैल, बैलगाड़ी आदि की आपूर्ति करके), बागवानी और पशुपालन (उन्हें संकर गायों, भैंसों, भेड़ों/सुअर यूनिट की आपूर्ति और उनके बारे में उपयुक्त प्रशिक्षण देकर) उपलब्ध कराना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.10}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग ने सूचित किया है कि विभाग की योजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा जीव विविधता का संरक्षण करते समय उपयुक्त रुप से पशुधन उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाना है तथा यह विभाग संकर गायों, भैसों, भेड़ों, सूअर इकाइयों इत्यादि की आपूर्ति नहीं करता है। विभाग डेयरी क्षेत्र, पशुधन स्वास्थ क्षेत्र, चारा विकास, कुक्कुट विकास, छोटे जुगाली करने वाले और खरगोश का विकास, सूअर विकास इत्यादि में विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित करता है।

डेयरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है तथा केन्द्रीय सहायता के रुप में 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 33.33 प्रतिशत) सहित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के साथ वाणिज्यिक रुप से देय परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ छोटे डेरी फार्मों को स्थापित करने, रोजगार पैदा करने, वाणिज्य स्तर पर दूध का निपटान करने के लिए गुणवत्ता एवं परंपरागत प्रौद्योगिकी के उत्थान को बढ़ावा देती हैं। इसी प्रकार बृहद डेरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में डेरी अवसंरचना के विकास को केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य कुक्कुट फार्मों, ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास, कुक्कुट सम्पदा को सहायता के रुप में कुक्कुट विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं भी इस विभाग द्वारा प्रशासित की जा रही हैं।

राज्यों जिनके पास भेड़/बकरी पालने की संभावना है वे भी छोटे जुगाली करने वाले तथा खरगोश का एकीकृत विकास (आईडीएसआरआर) की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में भाग ले सकते हैं। आईडीएसआरआर किसानों के लिए लघु पालन इकाई के कलस्टर स्थापित करने हेतु प्रावधान करता है जिसके लिए 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध है। सूअर विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना किसानों के लिए सूअर पालन इकाइयों तथा सूअर प्रजनन फार्मों को स्थापित करने का प्रावधान करती है जिसके लिए 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 33 प्रतिशत) तक सब्सिडी उपलब्ध है। एनजीओ इस परियोजना में शामिल हैं तथा नाबार्ड कुछ योजनाओं के लिए निधियनकर्त्ता की भूमिका अदा करता है।

2. कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सूचित किया है कि:

1) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कोई पीटीजी विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
2) तथापि, कृषि वस्तुओं की उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा आजीविका हेतु कृषि को एक सतत एवं व्यवहार्य व्यवसाय बनाने के लिए सभी श्रेणियों के किसानों को समर्थन देने हेतु कृषि से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उक्त विभाग द्वारा इस समय विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं प्रचालित की जा रही है। ये कृषीय गतिविधियां गुणवत्तापरक बीजों, खेती/कटाई में प्रयुक्त मशीनरी तथा उपस्करों, उर्वरकों/कीट नाशकों का संवितरण, बागवानी को बढ़ावा, किसानों तक प्रौद्योगिकी/सूचना का प्रसार, कृषि ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजारों की स्थापना इत्यादि को कवर करती हैं। ये कार्यक्रम विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) सहित सभी श्रेणी के किसानों को कवर करते हैं। वर्ष 2011-12 से पूर्व उक्त विभाग की विस्तृत अनुदान मांगों में अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ कोई अलग प्रावधान नहीं था। तथापि, योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011-12 से विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य श्रेणी हेतु संबंधित श्रेणी के लिए निधियों के उपयोग हेतु अलग से निधियां निर्मुक्त कर रहा है।

वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से निर्देशों के उपरांत जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए वर्ष 2011-12 से विस्तृत अनुदान मांगों में संगत लघु शीर्ष (796) में अलग प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना तथा चालू वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान टीएसपी के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत कुल आबंटन तथा आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	वर्ष	डीएसी की केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत कुल आबंटन #(सं.अ.)	टीएसपी के तहत आबंटन*
1.	2007-08 (सं.अ.)	5887.94	471.03
2.	2008-09 (सं.अ.)	6933.98	554.72
3.	2009-10 (सं.अ.)	7218.16	577.45
4.	2010-11 (सं.अ.)	10492.00	839.36
5.	2011-12 (सं.अ.)	8654.18	692.33*
6.	2012-13 (ब.अ.)	10991.00	882.59*

इस कुल आबंटन में, आरकेवीवाई, जो एक राज्य प्लान योजना तथा परिवर्तन खेती योजना है, के तहत आबंटन शामिल नहीं है।

* अलग शीर्ष, अर्थात लघु शीर्ष (796) के तहत टीएसपी के लिए किए गए आबंटन।

सिफारिश सं. 5 (पृष्ट सं. 91)

(ग) आदिम जनजातीय समूहों के बच्चों के लिएश**शि**क्षा और खेलकूद गतिविधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जिसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्हें खेलकूद में भाग लेने के लिए वि**शेष** प्रयास करने चाहिए और उन्हें वि**शेष** आवासीय स्कूलों में उनके बच्चों को भेजने के लिए समझाना चाहिए जहां उनके बच्चों की हर जरूरत निः**शु**ल्क पूरी की जानी चाहिए। जनसंख्या घटने की प्रवृति की भी जांच की जानी चाहिए। कर्मचारियों के चयन को सावधानीपूर्वक किए जाने की आव**श्य**कता है और उन्हें इस बात का भी प्र**शि**क्षण दिया जाना चाहिए कि आदिम जनजातीय समूहों के साथ उनका सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे। जहां संभव और जब संभव हो, स्थानीय पात्र और उपयुक्त प्र**शि**क्षित युवा/महिलाओं को वि**शेष** स्कूलों में **शि**क्षक के रूप नियुक्त किया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.10}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

खेल विभाग ने सूचित किया है कि चूंकि "खेल" राज्य सूची में है, अत: जनजातीय क्षेत्रों सहित खेलों के संवर्धन एवं विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है|

तथापि, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करते हैं|

भारतीय खेल प्राधिकरण विशेष क्षेत्र खेलों (एसएजी) की योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से जनजातीय बच्चे हैं| एसएजी योजना का उद्देश्य देश के जनजातीय, ग्रामीण, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों से खेलों और विशेष क्षेत्र में अनुवांशिक/भौगोलिक लाभप्रद क्षेत्रों/समुदायों से भी, आधुनिक प्रतियोगी खेलों के लिए प्राकृतिक प्रतिभा खोज करना है| प्रशिक्षार्थियों को 14-21 वर्ष के आयु समूह से चुना जाता है|

विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संयोजन/परामर्श से स्थापित किये गये हैं| इस योजना के तहत, राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अवसंरचना के साथ वांछित भूमि प्रदान करे| अवसंरचना की अनुपलब्धता के मामले में, राज्य सरकार को वांछित सुविधाएं सृजित करने के लिए साई को लंबी अवधि की लीज के आधार पर विकसित भूमि प्रदान करनी होगी|

प्रदान की गई वित्तीय सहायता आवास व्यय (गैर-पहाड़ी तथा पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए), खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शिक्षा व्यय, चिकित्सा व्यय, बीमा तथा अन्य व्ययों को कवर करने के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय दोनों प्रशिक्षणार्थियों के लिए है| वजीफा भी दिया जाता है, जो केवल गैर-आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए है|

कवर किये गये खेलों में एथेलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, बास्केटबाल, कायाकिंग तथा कानोइंग, साइकिलिंग, कानोइंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, हॉकी, जुडो, कराटे, कबड्डी, नोकायन, शूटिंग, तैराकी, ताइक्वांडों, वॉलीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती तथा वुशु शामिल है|

2. युवा कार्य विभाग ने सूचित किया है कि मुख्य योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के सुरक्षापाय तथा संवर्धन के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो निम्नानुसार है:-

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस): यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है तथा इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना है| कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर व्यय की हिस्सेदारी 7:5 के अनुपात में होगी, जो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों जहां खर्च की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में है, सहित पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा है| जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल के बिना) के मामले में संपूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा| 4.58 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 4.54 करोड़ रुपये की राशि जनजातीय योजना के लिए निर्मुक्त की गई है| वर्ष 2012-13 के लिए 6.42 करोड़ रुपये का आवंटन है जिसकी तुलना में नवम्बर, 2012 के मध्य तक4.86 करोड़ रुपये खर्च कर लिए गये हैं|

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस): यह एक स्वायत निकाय है, जो युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है| जिला मुख्यालयों में जिला स्तर पर इसके 623 कार्यालय हैं, राज्य मुख्यालयों में 28 आंचलिक कार्यालय हैं तथा इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है| यह पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय युवाओं में शिल्प विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रामों/गतिविधियों का सक्रिय रूप से संचालन कर रहा है तथा इसने मणिपुर राज्य में नशा तथा शराब की रोकथाम के लिए जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं| वर्ष 2011-12 के दौरान जनजातीय योजना के लिए 4.12 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है|

(ग) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी): इसे स्वायत निकाय के रूप में स्थापित किया गया था| जनजातीय उपयोजना के लिए कोई अलग आबंटन नहीं है|

3. शिक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विकास की कमी को दूर करने हेतु आवासीय तथा गैर-आवासीय विद्यालयों के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना भी कार्यान्वित करता है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए "पीटीजी का विकास" की योजना के तहत उनके संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। पीटीजी क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को पद तथा प्रोत्साहन देने से पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी राज्य सरकारों से कहा गया है।

योजना संशोधित की जा रही है तथा संशोधित योजना में सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

सिफारिश सं. 5 (पृष्ट सं. 91)

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिखरी हुई आदिम जनजातीय जनसंख्या के आवासों से सामान्यतः काफी दूर होते हैं और इसलिए, वे आपातकाल में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपातकालीन और नियमित इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में गौण **श**ल्य चिकित्सा उपकरणों सहित प्राथमिक इलाज सुविधाओं एवं दवाईयों से सुज्जित एक मेडिकल मोबाइल वैन आदिम जनजातीय समूहों के लिए प्रत्येक संपर्क बिन्दु पर होनी चाहिए।

{संदर्भ पैरा 2.10}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

पैरा-2.10,5(घ) तथा पैरा 2.13 के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983(2002 में समीक्षित) जनजातीय लोगों में पाई जाने वाली स्थानिक तथा अन्य बीमारियों का पता लगाने और इनका इलाज करके जनजातीय स्वास्थ्य को सुधारने हेतु तत्काल आवश्यकता पर श्रेणीबद्ध रुप में बल देती है। नीति की प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित

जनजातियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ मानदण्डों को शिथिल करने के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार विशेष ध्यान दिया है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं की नीति, आयोजना, निगरानी एवं मूल्यांकन का समन्वय करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत एक अलग जनजातीय विकास आयोजना प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतर जनजातीय अधिवास सुदूर क्षेत्रों, वन भूमि, पहाड़ियों, दुर्गम तथा दूरस्थ गांवों में हैं, जनसंख्या कवरेज के मानदंड को निम्नानुसार शिथिल किया गया है:-

(1) सामान्य क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या के लिए उपकेन्द्रों की अनुमति दी गई,
(2) सामान्य क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदान किए गए हैं, तथा
(3) सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसंख्या की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक 80,000 की जनसंख्या के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदान किए गए हैं।
(4) इसके अलावा, अधिवास से 30 मिनट की पैदल दूरी के अंदर "ध्यान देने का समय" पर आधारित उप-स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी) स्थापित करने का एक नया मानदंड पहाड़ी राज्यों के चयनित जिलों जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है, में शुरु किया गया है।

"स्वास्थ्य" राज्य विषय है तथा राज्य सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों के लिए पर्याप्त एवं पहुंच के अंदर स्वास्थ्य परिचर्या को सुनिश्चित करे। केन्द्र सरकार केवल केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियन द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। सचल चिकित्सा इकाई (एमएमयू) तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया और मरीज परिवहन प्रणाली सहित उनकी आवश्यकताओं जैसा राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में दर्शाया गया है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा अवगत एवं अनुमोदित किया गया है, के अनुसार राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। चूंकि पीएचसी सामान्यत: विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की विरल जनसंख्या के अधिवासों से काफी दूर होते हैं अत:, सरकार द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। सचल चिकित्सा इकाई (एमएमयू) सुदूर क्षेत्रों में स्थित पीटीजी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के प्रभावी साधन के रुप में सिद्ध हुई है। पीटीजी द्वारा आबाद क्षेत्रों में आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए अपने राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में जनजातीय क्षेत्रों में एमएमयू की पर्याप्त संख्या के लिए उपयुक्त प्रस्ताव शामिल करने हेतु इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में सेवा करने के लिए डॉक्टरों, पैरा-

मेडिको तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं जैसे- प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को प्रेरित करने हेतु एनआरएचएम के तहत विशेष प्रोत्साहन/भत्ते प्रदान किए गए हैं। जन्म प्रतीक्षा घर प्रदान किए गए हैं जहां प्रसूति की संभावित तिथि से पूर्व महिलाओं को रखा जा सकता है। असम जैसे राज्यों के कुछ जनजातीय क्षेत्रों, जहां केवल नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, के लिए नौका क्लीनिक (बोट क्लीनिक) प्रदान किए गए हैं। मोटर लायक सड़क रहित जनजातीय क्षेत्रों में डोली/पालकी भी प्रदान की गई है जैसे गुजरात में ममता डोली।

सिफारिश सं. 5 (पृष्ट सं. 91)

(ड.) स्थानीय प्रशासन की यह सलाह दी जाए कि वह जरूरतमंद व्यक्तियों को पीडीएस के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्य एवं उपभोक्ता वस्तुओं के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

{संदर्भ पैरा 2.10}

स्पष्टीकरण टिप्पण

खाद्य एवं जनवितरण विभाग ने सूचित किया है कि वह उचित मूल्य पर खाद्यान्नों के वितरण हेतु लक्षित जनवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को कार्यान्वित कर रहा है, जो विशेष रुप से गरीबों के लिए है। टीपीडीएस के तहत, अंत्योदेय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की स्वीकृत संख्या को प्रति माह 35 किलोग्राम की दर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग द्वारा अत्यंत रियायती दरों पर खाद्यान वितरित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा पहले की खरीद के आधार पर गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए भी रियायती दरों पर खाद्यान आबंटित किए जाते हैं। इस समय एपीएल परिवारों के लिए खाद्यानों का आबंटन 15 किलोग्राम से 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच है। लाभार्थी का चयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

जहां तक जरुरतमंद व्यक्तियों के लिए पीडीएस के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता मदों के स्थानीय प्रशासन द्वारा नि:शुल्क वितरण हेतु सिफारिश का संबंध है, यह कहा जाता है कि खाद्य एवं उपभोक्ता मदों के नि:शुल्क वितरण के लिए टीपीडीएस के तहत कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, चूंकि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों के लिए वितरित की जा रही टीपीडीएस वस्तुओं पर और सब्सिडी दे रहे हैं, अत:, ये सिफारिशें अंतिम रुप से आवश्यक कार्रवाई हेतु इस विभाग के दिनांक 19.10.2012 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं।

सिफारिश सं. 6 (पृष्ट सं. 92)

स्कूलों में आदिम जनजातीय समूह विद्यार्थियों के स्कूल छोड़कर चले जाने की दरों में कमी लाने और उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक स्कूल, प्रत्येक पीटीजी गावों/छोटे गांवों में भी खोला जाए। **{संदर्भ पैरा 2.11}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों में दिए गए सामीप्य मानदंडों के अनुसार विद्यालयों का प्रावधान है। एसएसए में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का भी प्रावधान है। एसएसए के तहत अब तक 438 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों के लिए "पीटीजी के विकास" की योजना के तहत राज्य सरकारों के अपने संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीटीजी क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को तैनाती तथा प्रोत्साहन प्रदान करने से पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण देने के लिए भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

योजना को संशोधित किया जा रहा है तथा संशोधित योजना में सिफारिश का ध्यान रखा जाएगा।

सिफारिश सं. 7 (पृष्ट सं. 92)

प्रत्येक पीटीजी गांवों के लिए एक मिनी डीप ट्यूबवेल लगायी जाए ताकि **वर्ष** भर पीटीजी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। उन क्षेत्रों में जहां विद्युत की आपूर्ति नहीं है वहां हैंड पंप लगाए जाने चाहिए। आयोग सिफारि**श** करता है कि जब तक पीटीजी गांवों को टयूबवेल/हैंड पंप की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तब तक **वर्षा** ऋतु के दौरान पेयजल के कीटाणु शोधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.12}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि पेय जल आपूर्ति राज्य का विषय है और मंत्रालय केवल राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को प्रशासित करता है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेय जल प्रदान करने में उनके प्रयासों में मदद करने के लिए राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहायता दी जाती है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग जनजातीय सघन अधिवासों जिसमें वे अधिवास भी शामिल हैं जहां आदिम जनजातियां रहती हैं, सहित सभी अधिवासों में प्रत्यक्ष रुप से या स्थानीय सरकारों की सहायता से ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए कदम उठाते हैं। राज्य प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम-से-कम 40 लीटर जलापूर्ति करने का प्रयास करते हैं। कुछ राज्यों

के सेवा स्तर उच्चतर है। एनआरडीडब्ल्यूडी इस बात पर भी विचार करता है कि देश के प्रत्येक ग्रामीण अधिवास को पर्याप्त एवं संभावित जल आपूर्ति के साथ कवर किया जाए। हैंडपंपों या ट्यूबवेलों के प्रावधान के लिए जनसंख्या या दूरी के संबंध में अब कोई प्रतिबंध नहीं है। अत:, प्रत्येक अधिवास में प्रत्येक परिवार को कवर किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि पीटीजी अधिवासों का प्रसार उपलब्ध नहीं है, अत:, उन अधिवासों जहां पीटीजी रहते हैं, सहित राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित पेय जल आपूर्ति के संबंध में अनुसूचित जनजाति के सघन अधिवासों की कवरेज की स्थिति 3,59,949 अनुसूचित जनजाति सघन अधिवासों में से 2,44,831 अधिवासों को पूर्ण रुप से कवर (एफसी) कर लिया गया है, 88,287 अधिवासों को आंशिक रुप से कवर (पीसी) किया गया है तथा 23,891 अधिवास जल की गुणवत्ता की समस्या द्वारा गुणवत्ता प्रभावित (क्यूए) हैं। राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं में राज्य सरकारों से एसटी श्रेणी में एफसी स्थिति प्राप्त करने के लिए पीसी तथा क्यूए कवरिंग पर ध्यान देने हेतु आग्रह किया गया है। तथापि, मंत्रालय ने वर्षा ऋतु के दौरान पेय जल वाले कुओं के रोगाणुनाशन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संबंध में एनसीएसटी के सुझावों को नोट किया है। इस संबंध में राज्यों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। यह भी सूचित किया गया है कि यह मंत्रालय देश के 82 आईएपी जिलों, जो मुख्य रुप से जनजातीय जनसंख्याओं द्वारा आबाद हैं, जिसमें कुछ जिलों में आदिम समूह भी शामिल हैं, में 10,000 अधिवासों में सौर ऊर्जा चलित दोहरी पम्प जल आपूर्ति योजना स्थापित करने के लिए योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। यह आशा की जाती है कि इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा क्योंकि यह कई सुदूर अधिवासों जहां अन्य अवसंरचना की पहुंच कम है, के लिए पाइप से जल आपूर्ति को बढ़ाएगा।

सिफारिश सं. 8 (पृष्ट सं. 92)

पीटीजी के लिए आपातकालीन और नियमित इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में, गौण शल्य चिकित्सा उपकरणों सहित प्राथमिक इलाज सुविधाओं और दवाईयों से सुसज्जित एक मेडिकल मोबाइल वैन आन्तरिक क्षेत्रों में प्रत्येक खण्ड के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। पीटीजी वाली राज्यों की सरकारों द्वारा **कुपोषण** से लड़ने के लिए स्तनपान कराने वाली/गर्भवती माताओं को, **पोष**णीय आहार जैसे रागी, माइनर बाजरा, कंद टयूबेट आदि उपलब्ध कराने के लिए वि**शेष** व्यवस्था भी करानी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.13}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के शीर्षक स्पष्टीकरण टिप्पण के तहत पैरा 2.10 के क्रम सं. 5(घ) के प्रति दिए गए उत्तर के समान है।

सिफारिश सं. 9 (पृष्ट सं. 92)

ऐसे पीटीजी जो अपहुंचीय वन/पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और जहां युक्तियुक्त दूरी के अन्तर्गत पीडीएस दुकानें उपलब्ध नहीं है, के संबंध में मोबाईल वैन के माध्यम से पीडीएस के अन्तर्गत उपलब्ध उपभोक्ता मदों के वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी चाहिए। आयोग सिफारि**श** करता है कि राज्य सरकारों को साप्ताहिक बाजार (हाट

बाजार) लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पीटीजी आ सकें और वे उनके द्वारा तैयार की गयी वस्तुएं बेच सकें और अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। **{संदर्भ पैरा 2.14}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना है कि किसी उपभोक्ता/कार्डधारी को अपनी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े। दिशानिर्देशों के अनुसार उन क्षेत्रों में जिन्हें स्थायी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कवर नहीं किया जा सकता वहां पहाड़ी, सुदूर, दूरस्थ, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए सचल वैन की शुरुआत की जा सकती है। यह भी सुझाव दिया गया था कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रुप से जनजातीय क्षेत्रों, में निर्धारित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए साप्ताहिक हाटों पर बिक्री केन्द्र इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं हेतु बड़े वरदान सिद्ध होंगे। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्यानों के अलावा अन्य मदों की भी एफपीएस के माध्यम से आपूर्ति कर रहे हैं। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 19.10.2012 के पत्र के अंतर्गत ये सिफारिशें सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दी गई हैं।

सिफारिश सं. 10 (पृष्ट सं. 92)

राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीटीजी परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार मकान निर्माण करने में समर्थ हो सके।

{संदर्भ पैरा 2.15}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य मकानों के निर्माण के लिए बीपीएल ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत जनजातीय लोगों के लिए पहले ही प्रावधान है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ उपयोजित किया जाएगा तथा अधिकतम 40 प्रतिशत गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों के लिए उपयोग किया जा सकता है। पीटीजी यदि उनका नाम बीपीएल सूची में है तो वे इंदिरा आवास योजना के तहत पात्र हैं।

विभाग वर्ष 2011-12 से इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत अनुसूचित जाति विशेष योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए निधियां चिह्नित कर रहा है। वर्ष 2011-12

के लिए इन योजनाओं के तहत एससीएसपी तथा टीएसपी हेतु चिह्नित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

योजनाएं	वर्ष	कुल	एससीएसपी	टीएसपी
एसजीएसवाई	2011-12	2681.29	845.06	611.94
	2012-13	3915.00	1033.76	723.74
आईएवाई	2011-12	10000.00	3530.00	2470.00
	2012-13	11075.00	3908.37	2736.63
	2012-13	3050.00	494.10	305.00

सिफारिश सं. 11 (पृष्ट सं. 92)

लगभग सभी पीटीजी परिवार बीपीएल परिवार हैं और, इसलिए, उन्हें आय सृजन करने वाली गतिविधियों में सापेक्ष रूप से लगाने की आव**श्य**कता है। उन्हें कृ**षि** व्यवस्था में व्यवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उनमें स्वःरोजगार पैदा करने के लिए बेंत और बांस **शि**ल्प, बढ़ई गिरी, छोटे वाहन चालन और जूट **शि**ल्प में प्र**शि**क्षण भी दिलाया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.16}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की योजना अत्यधिक लचीली है तथा इसके तहत गतिविधियों में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषीय विकास, मवेशी विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत का प्रतिस्थापन, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा या पीटीजी के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक विकास उपागम हेतु किसी अन्य नवीन गतिविधि को शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकारों से संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना के तहत समावेश के लिए स्थानीय विशिष्ट आजीविका प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना को संशोधित किया जा रहा है तथा आयोग की सिफारिश का संशोधित योजना में ध्यान रखा जाएगा।

2. कृषि एवं सहकारी विभाग ने कहा है कि कृषि के लिए भूमि का वितरण राज्य का विषय है। अतः, स्थायी कृषि को अपनाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) परिवारों को प्रोत्साहित करने से संबंधित मुद्दा राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह मंत्रालय परिणामों की लक्षित एवं समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए मिशन के रुप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(एनआरएलएम) को कार्यान्वित कर रहा है। इसे चरणबद्ध रुप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की लाभदायक स्व-रोजगार तक पहुंच तथा कुशल श्रम रोजगार अवसरों के लिए सक्षम बनाकर गरीबी को घटाना है।

विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) परिवारों के लिए आजीविका संवर्द्धन हेतु विशेष बल देने की निश्चित रुप से आवश्यकता है। अत:, यह मंत्रालय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई सिफारिश के साथ बृहद रुप से सहमत है। सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को एक अलग अध्याय प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी जो पीटीजी परिवारों के लाभ के लिए कार्यक्रम को विस्तृत रुप से स्पष्ट करेगा।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया है:-

(क) **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), गोवाहाटी (असम)** अनुसूचित जनजातियों सहित सभी श्रेणियों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। अनुसूचित जनजातियां अपने गांवों में बेंत तथा बांस, बढ़ईगिरी, सिलाई तथा नारियल की जटा आधारित गतिविधियों में अपनी स्वयं की इकाइयां स्थापित कर सकती है तथा वे 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र हैं तथा इस योजना के तहत उनका स्वयं का योगदान कुल परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत है। अन्य श्रेणियों के अलावा केवीआईसी अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए एसएफयूआरटीआई कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। केवीआईसी पीटीजी को शिल्प विकास पर प्रशिक्षण देने में लगा हुआ है। कई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा इन्हें केवीआईसी के प्रशिक्षण केन्द्रों पर तथा परिभ्रामी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे असम में: डॉन बास्को रीच आउट, उलुबारी, गोवाहाटी, आंचलिक ग्राम उन्नयन परिशद, बारापेटा (असम); अरुणाचल प्रदेश में: नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, ई सेक्टर; ओडिशा में: राष्ट्रीय ग्रामीण संसाधन शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, देवगढ़; छत्तीसगढ़ में: टीआरआईडब्ल्यूई; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में: डॉ. बी.आर.अंबेडकर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोर्ट ब्लेयर आयोजित करके प्रत्यायित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(ख) **भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी, असम:** बेकरी उत्पादों, लोहार, बढ़ईगिरी, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, मशरुम की खेती, साबुन तथा डिटर्जेंट पाउडर, वेल्डिंग एवं संविरचना, पलंबिंग तथा सेनेटरी फिटिंग, हौजरी एवं ऊनी वस्त्र, स्टील संविरचना, मोबाइल रिपेयरिंग, हथकरघा, कालीन बनाना, अगरबत्ती बनाना, नारियल की जटा का सूत तथा दरी बनाना, मुखौटा शिल्प, मोटर मैकेनिक, बने-बनाए वस्त्र, डेरी प्रसंस्करण, सूअर पालन एवं मास प्रसंस्करण, मसाले प्रसंस्करण, ऊनी वस्त्र बुनाई, पत्तल बनाना इत्यादि में पीटीजी सहित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लाभार्थ कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)

तथा गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र (गैर-एनईआर) दोनों क्षेत्रों में किए गए कार्यक्रमों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)**		**गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र (गैर-एनईआर)**	
	कार्यक्रम	**सहभागी**	**कार्यक्रम**	**सहभागी**
2010-11	102	3060	4	120
2011-12	116	3480	11	330
2012-13	145	4350	4	120
कुल	**363**	**10890**	**19**	**570**

(ग) **विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई):** विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई) अपनी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) योजना के माध्यम से विभिन्न विषयों पर रोजगारपरक एवं स्व-रोजगारपरक शिल्पों के लिए शिल्प विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। ईडीपी तथा ईएसडीपी का 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों सहित सोसाइटी के कमजोर वर्गों के लिए चिह्नित है। अनुसूचित जनजातियां सामान्य कार्यक्रमों में भी भाग ले सकती हैं जो सोसाइटी के सभी वर्गों के लिए खुले हैं। इसके अलावा, डीसी के कार्यालय (एमएसएमई) के तहत टूल रुम्स (विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थानों सहित) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

11वीं योजना के दौरान ईडीपी योजना तथा टूल रुम्स के माध्यम से प्रशिक्षित अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमश: 68,467 तथा 19,068 थी तथा वर्ष 2012-13 के दौरान यह क्रमश: 22,343 तथा 8416 थी।

सिफारिश सं. 12 (पृष्ट सं. 92)

राज्य सरकारों, जहां पीटीजी हैं, को सलाह दी जानी चाहिए कि वे उनके लिए भर्ती प्रक्रिया में छूट देते हुए विभिन्न ग्रेडों में अध्यापन श्रेणी की समूह 'ग' और 'घ' पदों में पीटीजी से संबंधित अभ्यार्थियों की भर्ती के लिए स्कीम बनाए, ब**शर्ते** वे पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हों। **{संदर्भ पैरा 2.17}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोग की सिफारिश विचारार्थ एवं उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

सिफारिश सं. 13 (पृष्ट सं. 92)

शिक्षा के शैक्षणिक मानक और परीक्षा का पैटर्न (स्तर) पूरे दे**श** में एक समान होना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जो सामान्यतः स्थानीय सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हानि में न रहे और उच्चतर अध्ययन के लिए संस्थानों में प्रवे**श** के लिए योग्य हो सके।

{संदर्भ पैरा 2.18}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अनुसार कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय एवं राज्य शिक्षा बोर्ड हैं जो स्कूल पास करने वाली परीक्षाएं कराते हैं। चूंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (एनसीएफ) 2005 को अपना लिया गया है, अधिकतर राज्यों ने अपने पाठ्यक्रम को इसके अनुरुप बना लिया है वहीं अन्य राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। सभी राज्यों द्वारा एनसीएफ को अपनाए जाना पूरे देश में शिक्षा के तुलनात्मक मानकों को बढ़ावा देने में दूर तक सहायक होगा।

सिफारिश सं. 14 (पृष्ट सं. 92-93)

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्र**शि**क्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राज्य **शै**क्षणिक अनुसंधान और प्र**शि**क्षण परिषद (एससीईआरटी), तथा गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) को पहली दो कक्षाओं में द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों के प्रवेश के लिए तैयारी करनी चाहिए जहां कहीं एक वि**शेष** बोली किसी जनसंख्या की मातृभाषा है। एनसीईआरटी को कम से कम अगली योजना अवधि के अन्त तक दे**श** के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदे**शों** में ऐसी पाठ्य पुस्तकें आरम्भ करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.19}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा है कि कई नीति दस्तावेजों तथा संवैधानिक प्रावधान (350 क) में प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षित की जा रही भाषाई अल्पसंख्यकों के महत्व को मान्यता दी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चिंता की हिस्सेदारी करता है जैसा पहली दो कक्षाओं में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों के संबंध में ऊपर बताया गया है जहां वह विशिष्ट बोली बड़ी जनसंख्या की मातृभाषा है। कार्यरत अध्यापक, इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ, राज्य सरकारों, ऐकडमिशयनों इत्यादि को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद तथा चर्चाओं के उपरांत विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (एनसीएफ)- 2005 भी इस बात का समर्थन करता है कि कम-से-कम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गृह भाषा/मातृ भाषा के माध्यम से दी जाए। इसके लिए तीन भाषा सूत्र को अक्षरश: कार्यान्वित किए जाने की

आवश्यकता है जो जनजातीय लोगों सहित भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए बहुभाषीय अभिव्यक्तिशील अभियोग्यताओं को बढ़ावा देगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याओं पर राष्ट्रीय फोकस समूह का स्थिति पत्र तथा कम-से-कम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रुप में मातृभाषा/गृह भाषा के महत्व को भी दर्शाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी गतिविधियां कर रहा है जैसे बहुभाषीय संदर्भ में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्यालय के अध्यापकों का सशक्तिकरण। जनजातीय भाषाओं सहित भाषायी अल्पसांख्यकों से संबंधित चिंताओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश भी विकसित किए गए थे जैसा तीन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनसीएफ, 2005 तथा एनएफजी पत्र में दर्शाया गया है।

शिक्षा समवर्ती सूची में है जो राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों को स्कूल में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्तापरक उन्नति के लिए जिम्मेदार बनाता है। तथापि, राज्यों ने जब भी जनजातीय भाषाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक स्तर के लिए द्विभाषीय प्रवेशिका इत्यादि के विकास की प्रक्रिया शुरु की है तो एनसीईआरटी ने उन्हें अकादमिक समर्थन प्रदान किया है।

सिफारिश सं. 15 (पृष्ट सं. 93)

क्योंकि प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र अपने धार्मिक एवं कृषीय कलैन्डर का अनुकरण करते हैं, संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को क्षेत्र–वार या जनजाति–वार शिक्षण कैलन्डर तैयार करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसे शिक्षा विभाग को भेजना चाहिए।

{संदर्भ पैरा 2.20}

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सिफारिश को विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है।

सिफारिश सं. 16 (पृष्ट सं. 93)

जनजातीय क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य सामग्री और स्थानीय जनजातियों की खाद्य–आदतों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम के अन्तर्गत परोसे जाने वाली खाद्य मदें स्वास्थ्यकर एवं आवश्यक पोषण वाली है। **{संदर्भ पैरा 2.21}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा है कि मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के दिशानिर्देशों में विद्यालय प्रबंधनों को बच्चों के लिए पोषक भोजन प्रदान करने हेतु स्थानीय सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रदान किए गए भोजन की स्वच्छता की निगरानी स्थानीय समुदायों की सहभागिता द्वारा की जाती है।

सिफारिश सं. 17 (पृष्ट सं. 93)

अध्यापन–सहायता को स्थानीय संस्कृति एवं पर्यावरण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। स्थानीय जनजातीय लोक नृत्य और संगीत– स्वर एवं वाद्य दोनों को पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.22}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समस्याओं पर एनसीएफ 2005 तथा एनएफजी दस्तावेज द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां को स्थानीय संस्कृति एवं पर्यावरण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। तदनुसार, एनसीईआरटी में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए अपने सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी विषयों के लिए शिक्षण सहायक सामाग्रियां तैयार करने के लिए स्थानीय विशिष्ट सामाग्री का कैसे उपयोग किया जाए, इस विषय पर कम-से-कम एक सत्र समर्पित किया है। इन कार्यक्रमों में हमने विभागों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा भाषाओं के शिक्षण आधारित गतिविधियों पर सत्र आयोजित किए थे। इसके अलावा, विभागों ने जनजातीय समुदाय के मानव विज्ञान की रुपरेखाएं विकसित करने के लिए परियोजनाएं की थी जैसे उत्तराखंड में जौनसारी, झारखण्ड में खारिया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने सामाजिक रुप से पिछड़े हुए समूहों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए उपागमों एवं रणनीतियों का अध्ययन भी किया था, जिसने यह दर्शाया है कि कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने अपने पाठ्यक्रम तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में स्थानीय जनजातीय लोक-नृत्य, संगीत इत्यादि को शामिल किया है। चालू वर्ष के दौरान विभाग विभिन्न समुदायों की लोक कथाओं तथा गीतों इत्यादि को शामिल करते हुए अनुपूरक शिक्षण सामग्रियां भी विकसित कर रहा है।

इसके अलावा, जनजातीय लोगों के बच्चों को शिक्षित करने में उनकी क्षमताओं का कैसे उपयोग किया जा सकता है पर भी सत्र किए गए जैसे स्वत: रचना करना तथा गाना गाने की क्षमता, प्रहेलिकाओं तथा रुपालंकार में सोचना, नृत्य और नाटक की सांस्कृतिक प्रक्रिया तथा अपने वातावरण का उनका प्रगाढ़ ज्ञान।

सिफारिश सं. 18 (पृष्ट सं. 93)

जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर प्राथमिक स्कूल एक अध्यापक द्वारा चलाए जाते हैं। यदि वह बीमारी या अन्य किसी घरेलू कारण से छुट्टी लेता/लेती है तो स्कूल में कोई अध्यापक नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा का नुकसान होता है। इसलिए, जनजातीय क्षेत्रों में सभी एकल अध्यापन स्कूलों में एक से अधिक अध्यापक रखने की तत्काल आवश्यकता है। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अध्यापकों की विभिन्न सुविधाएं जैसे अच्छा आवास, चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान कराने वाली योजनाएं लागू कर अध्यापकों की रिक्तियों को भरना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्रों में अध्यापकों के पद भरे है, जहां तक संभव हो उन्हें स्थानीय जनजातीय उम्मीदवारों में से भरा जाना चाहिए।

{संदर्भ पैरा 2.23}

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि आरटीई अधिनियम के अनुसार पीटीआर का रख-रखाव स्कूल स्तर पर किया जाएगा तथा प्रत्येक विद्यालय में कम-से-कम दो अध्यापक होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आरटीई अधिनियम के अधिदेश के अनुसार रिक्तियां भर रहे हैं। शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई), 2011-12 के अनुसार 1,17,358 विद्यालयों (8.3 प्रतिशत) में एक अध्यापक है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अगले अकादमिक सत्र से पूर्व विद्यालयवार पीटीआर बनाए रखने के लिए अध्यापक को पुन: तैनात करें।

सिफारिश सं. 19 (पृष्ट सं. 93)

अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के स्कूल छोड़कर जाने के पीछे का मूल कारण उनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है तथा यह स्थिति जनजातीय लोगों को अपने बच्चों को एक आर्थिक इकाई के रूप में प्रयोग करने के लिए मजबूर करती है जिससे कि वह परिवार के लिए कुछ आय अर्जित करे। यह भी आवश्यकता है कि आर्थिक प्रोत्साहन की कुछ राष्ट्रीय योजनाएं ऐसे बच्चों के माता–पिताओं को दी जाए जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे है और उन्हें स्कूलों में भेजने के बजाय अपने बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

{संदर्भ पैरा 2.24}

स्पष्टीकरण टिप्पण

ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया है कि विभाग स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रुप में पुनर्गठित किया गया है जो ग्रामीण गरीबों के स्व-रोजगार के लिए एक मुख्य कार्यक्रम है। एसजीएसवाई का आधारभूत उद्देश्य बैंक ऋण तथा सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से उन्हें आय सृजनकारी परिसंपत्तियां प्रदान करके गरीब सहायित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष 2011-12 से विभाग स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना एसजीएसवाई के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए निधियां भी चिह्नित कर रहा है।

सिफारिश सं. 20 (पृष्ट सं. 93-94)

स्कूल छोड़ने का दूसरा कारण एक कक्षा में जनजातीय बच्चों का बार–बार फेल होना है जिसे, कमजोर और औसत से कम जनजातीय विद्यार्थी के रूप में पहचान करके और अध्यापकों को कुछ नगद प्रोत्साहन देकर छुट्टियों या रात को उपचारात्मक अनुदेश/ कोचिंग उपलब्ध कराकर, घटाया जा सकता है। नगद पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति/स्कूल नोट बुक में किया गया काम आदि के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी को भी दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन विद्यार्थियों को जो 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक परीक्षा में लाते हैं, को भी नगद पुरस्कार दिया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.25}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) विद्यालय परीक्षा में उपस्थिति या अंकों के लिए कोई नकद ईनाम नहीं प्रदान करता है। लगभग सभी राज्यों में सतत बृहद मूल्यांकन (सीसीई) शुरु किया गया है जहां बच्चे का लगातार मूल्यांकन किया जाता है तथा कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाती है। कक्षा 8 तक आरटीई को भी शुरु किया गया है जहां कोई धारण नीति नहीं है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय में आयोग की सिफारिश नोट कर ली गई है।

सिफारिश सं. 21 (पृष्ट सं. 94)

विद्यमान प्रोत्साहन जो अनुसूचित जनजाति बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, वर्दी, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, मध्याह्न भोजन स्कीम के माध्यम से पका हुआ भोजन आदि के रूप में दिया जा रहा है, के अलावा उन लड़कियों के माता–पिताओं को आकर्षित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। **{संदर्भ पैरा 2.26}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)/आरटीआई नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक का प्रावधान करता है। सर्व शिक्षा अभियान अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रावधान करता है:- नए विद्यालयों को खोलना, पीटीआर के अनुसार अतिरिक्त अध्यापक, लड़कियों के लिए विशेष रुप से महत्वपूर्ण सुविधाओं के रुप में शौचालयों के निर्माण सहित विद्यालयों में अवसंरचना समर्थन, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास, नि:शुल्क वर्दी, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें, मातृभाषा से शिक्षा के माध्यम की भाषा में परिवर्तन में बच्चों की सहायता करने के लिए जनजातीय भाषाओं में ब्रिज सामग्री। एसएसए के तहत हस्तक्षेप जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विद्यालयों में नाम लिखने और बनाए रखने के लिए विशेष रुप से तैयार की गई है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय में आयोग की सिफारिश नोट कर ली गई है।

सिफारिश सं. 22 (पृष्ट सं. 94)

राज्य सरकारों को जिनके पास प्री–मैट्रिक स्तरों पर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजनाएं हैं, कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन कर रहे सभी जनजातीय बच्चों के माता–पिताओं के संबंध में आय की सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.27}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोग की सिफारिश विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दी गई है।

सिफारिश सं. 23 (पृष्ट सं. 94)

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को ग्रीष्म छुट्टियों के दौरान पके हुए मध्याह्न भोजन के लिए केन्द्रीय सहायता को जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जनजाति बच्चे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कुपोषणाधीन है।

{संदर्भ पैरा 2.28}

स्पष्टीकरण टिप्पण

शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के दिशानिर्देश में उन जिलों जिन्हें राज्यों द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान पके हुए मध्याह्न भोजन का प्रावधान है। संसाधन की बाध्यता के कारण सभी जनजातीय जिलों में इस सुविधा को देना कठिन हो सकता है।

सिफारिश सं. 24 (पृष्ट सं. 94)

अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार में प्रमुख बाधा यह है कि उनके माता–पिता अप्रैल से मध्य जून की अवधि के दौरान आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर मौसमी प्रवास करते हैं और यही समय उनकी स्कूली परीक्षाओं का होता है। जब माता–पिता अन्य स्थानों के लिए अपने निवास स्थलों से निकलते हैं तो अपने बच्चे साथ रखते हैं जिसके कारण स्कूल छोड़ना होता है। राज्य सरकार को सलाह दी जाए कि वह उन अनुसूचित जनजाति परिवारों के बच्चों के लिए बोर्डिंग एवं लोजिंग के लिए समुचित योजना बनाए जो अपनी आजीविका की खोज में अस्थायी प्रवास का निर्णय लेते हैं। वैकल्पिक तौर पर, अनुसूचित जनजाति बच्चों की विशेष परीक्षाओं के आयोजन के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, जब वे अपने अस्थायी प्रवास के स्थानों से अपने मूल निवास–स्थान को लौटते हैं। **{संदर्भ पैरा 2.29}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि सतत बृहद मूल्यांकन (सीसीई) ने वार्षिक परीक्षा प्रणाली का स्थान ले लिया है जैसा प्रवासी बच्चों के लिए पहले प्रचलित था। सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) में मौसमी छात्रावासों, बच्चों जिन्होंने स्थानांतरण के कारण स्कूल छोड़ दिया है, को कवर करने के लिए शयनशालाओं हेतु प्रावधान है। आयु के अनुरुप कक्षाओं में दाखिले के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है।

सिफारिश सं. 25 (पृष्ट सं. 94)

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृति की मंजूरी के उद्दे**श्य** के लिए विद्यार्थियों के माता–पिताओं के संबंध में आय सीमा को बढ़ाया जाए। **{संदर्भ पैरा 2.30}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय की अधिकतम सीमा को 2.00 लाख रु. से 2.50 लाख रु. तक संशोधित कर दिया गया है जो 01.04.2013 से प्रभावी है।

सिफारिश सं. 26 (पृष्ट सं. 94)

उन जनजाति विद्यार्थियों को, जो छात्रावास में स्थान की अनुपलब्धता के कारण किराये के आवासों में निवास करते हुए अनावासी विद्यार्थी कहलाते हैं, छात्रावास निवासियों की तरह माना जाना चाहिए और उनके मामले में छात्रवृति की रा**शि** भी छात्रावास निवासियों से कम नहीं होनी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.31}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत पहले ही कवर किया गया है। "छात्रवृत्ति का मूल्य" के संबंध में मद सं. 5 के तहत नोट-3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यह अनुबद्ध है कि "ऐसे मामले में जहां महाविद्यालय प्राधिकरण कॉलेज के छात्रावास में स्थान प्रदान करने में असमर्थ है तो आवास की अनुमोदित जगह को भी इस योजना के उद्देश्य के लिए छात्रावास माना जा सकता है। उस स्थान को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए उचित जांच के पश्चात संस्थान के मुखिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे मामले में इस बात का प्रमाण पत्र कि विद्यार्थी आवास के अनुमोदित स्थान पर रह रहा है क्योंकि महाविद्यालय के छात्रावास में जगह प्राप्त करने में वह असमर्थ है, संस्थान के मुखिया द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।"

सिफारिश सं. 27 (पृष्ट सं. 94)

अधिकतर राज्यों में, भारत सरकार (राज्य सरकारों की प्रतिबद्ध जिम्मेदारी की निधि से उपर) तथा राज्य सरकारों, दोनों से निधियों के पारित नहीं होने के कारण मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण में विलम्ब हो रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को भी राज्य सरकारों को समय पर निधियों को पारित करना सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकारों को इन छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण एवं छात्रों को उनके बैंक खातों के द्वारा छात्रवृत्ति के धन को वितरित करने की संभावनाओं का पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए समय पर जिला प्राधिकारियों को निधियों का उनका हिस्सा (प्रतिबद्ध जिम्मेदारी तक) पारित कर देना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.32}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से औपचारिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना, विगत वर्ष की निर्मुक्ति के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिबद्धदेयता के अलावा 50 प्रतिशत सहायता अनुदान तदर्थ आधार पर निर्मुक्त करता है ताकि बिना विलंब अनुसुचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जा सके। राज्य सरकारों को विद्यार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से उन्हें छात्रवृत्ति की राशि वितरित करने के लिए पहले ही सलाह दी गई है तथा जहां भी संभव हो राज्य सरकार इस प्रकार से भुगतान कर सकती है।

सिफारिश सं. 28 (पृष्ट सं. 94-95)

स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों आदि में फेलोशिप देते समय और/या छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत करते समय अनुसूचित जनजातियों के लिए 8.2 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा) आरक्षण होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे उन शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू हो जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में उचित संशोधन पर विचार करना चाहिए। आरक्षण का क्षेत्र ऐसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों इत्यादि तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए जो यद्यपि सरकार से निधि पोषित नहीं होते हों परन्तु भूमि अधिग्रहण, भवन, विद्युतीकरण, जल, लोक यातायात के प्रावधान आदि के संबंध में सरकार से रियायतें प्राप्त कर चुके हैं/प्राप्त करना जारी रखते हैं। **{संदर्भ पैरा 2.33}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इसका अधिदेश केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करना है। इस मंत्रालय के कार्य सामान्य क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा इसकी योजनाओं के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि एससीएसपी तथा टीएसपी हेतु परिव्यय चिह्नित किया जाए।

इसके अलावा, सिफारिश की विषय-वस्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है।

2. उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि भारतीय संघ के तहत सिविल पदों एवं सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्धारित की जाती है जो इस संबंध में नोड्ल मंत्रालय है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों इत्यादि के लिए डीओपीटी द्वारा यथानिर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता का अनुपालन एचआरडी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 7.5 प्रतिशत है। राज्य शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रतिशतता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है।

केंद्रीय निधि पोषित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के मामले में दाखिले केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (दाखिलों में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा अभिशासित होते हैं।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (दाखिलों में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायित कुछ केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए दाखिले में आरक्षण का प्रावधान है।

सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों जिन्हें अल्पसंख्यक स्तर प्रदान किया गया है, में आरक्षण के प्रावधान के लिए जैसा आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि उक्त अधिनियम में संशोधन संविधान के प्रावधानों के अनुरुप नहीं हो सकेगा।

3. प्रसंगवश, वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए एनसीएसटी की पहली रिपोर्ट में "सेवा सुरक्षोपायों" के तहत अध्याय-6 में पैरा सं. 6.2.5 में आयोग की सिफारिश की प्रतिक्रिया में डीओपीटी ने इस मंत्रालय को सूचित किया था कि इंदिरा साहनी बनाम् भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायधीश वाली संविधान की खंडपीठ ने यह पाया है कि संविधान के अनुच्छेद 16 का खण्ड (4) (जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण प्रदान के लिए राज्य को सशक्त करता है) आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं, अपितु उपयुक्त प्रतिनिधित्व के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि कुल जनसंख्या के अनुपात में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकृत करना संभव नहीं है, जो निश्चित रुप से प्रासांगिक होगा तथा यह निर्णय लिया है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उचित रुप में तथा उपयुक्त सीमाओं के अंदर किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा न बढ़े। वर्तमान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 49.5 प्रतिशत तथा कुछ मामलों में 50 प्रतिशत है। अतः, डीओपीटी ने सूचित किया है कि किसी श्रेणी के लिए आरक्षण की प्रमात्रा को बढ़ाना संभव नहीं हो सकता।

4. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि यह राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना चलाता है। यह योजना मई, 2001 में शुरु की गई थी। छात्रवृत्ति कक्षा 9 स्तर पर एक लाख विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है तथा कक्षा-12 से पास होने तक विद्यार्थियों को लगातार दी जाती है। यह योजना में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु कोटे का प्रावधान है। विभाग माध्यमिक विद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित लड़कियों की भर्ती को बढ़ावा देने तथा विद्यालय प्रणाली में 18 वर्ष की आयु तक उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए लड़कियों हेतु प्रोत्साहन की एक राष्ट्रीय योजना भी चलाता है ताकि वे कम-से-कम कक्षा-10 तक की अपनी शिक्षा पूरी करें। पात्र अविवाहित लड़की के नाम पर 3,000 रु: की राशि सावधि जमा के रुप में जमा की जाती है। वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तथा 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के उपरांत ब्याज सहित इस राशि को निकलवाने के लिए पात्र हैं। चालू वर्ष में 3,10,985 लड़कियों को इस योजना के तहत कवर किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान 93.30 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई है।

5.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि यह केन्द्रीय संस्थानों में विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार में विभिन्न नोड्ल मंत्रालयों/विभागों जैसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) द्वारा संरचित दिशानिर्देशों का अनुपालना करता है।

सिफारिश सं. 29 (पृष्ट सं. 95)

मध्याह्न के भोजन की योजना को अनुसूचित जनजाति बालिका विद्यार्थियों के लिए कम से कम हाई स्कूल स्तर तक विस्तारित किया जाना चाहिए। यह अनुसूचित जनजाति बालिका विद्यार्थियों के परिवार को बहुत बड़ी राहत उपलब्ध करवायेगा और यह अनुसूचित जनजाति बालिका विद्यार्थियों के पंजीयन में सुधार करेगा और उनके स्कूल छोड़ने को भी कम करेगा।

{संदर्भ पैरा 2.34}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्य दल ने माध्यमिक विद्यालयों तक मध्यान भोजन के विस्तार की सिफारिश की थी| तथापि, इस पर योजना आयोग सहमत नहीं हुआ था

सिफारिश सं. 30 (पृष्ट सं. 95)

जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावासों की क्षमता विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए आवश्यकता से बहुत कम है और यह अनुसूचित जनजाति बालिका विद्यार्थियों के कम पंजीयन और स्कूल छोड़ने की बढ़ती संख्या के

प्रमुख कारणों में एक है। अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए अधिक छात्रावासों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। अनुसूचित जनजाति बहुलता वाले खण्डों में आश्रम विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.35}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सूचित किया है कि 2008-09 में शुरु की गई माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए "लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण और इसके संचालन की" केन्द्रीय प्रायोजित योजना 2009-10 से कार्यान्वित की जा रही है| इस योजना में देश में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में 100 लड़कियों की क्षमता वाले छात्रावास के निर्माण की परिकल्पना की गई है| इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (9-12) में लड़कियों की पहुंच में सुधार करना और उन्हें विद्यालयों में बनाये रखना है, ताकि लड़कियां विद्यालय की दूरी, माता-पिता के वित्तीय सामर्थ्य और अन्य जुड़े सामाजिक कारकों के कारण अपना अध्ययन जारी रखने से वंचित न रह जाए|

अ.जा., अ.जन.जा., अ.पि.व., अल्प संख्यक समुदायों तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित कक्षा 9 से 12 में पढ़ रही 14-18 वर्ष के आयु समूह की छात्राएं, इस योजना के लक्ष्य समूह हैं| कम से कम 50% लड़कियां अ.जा., अ.जन.जा., अ.पि.व., अल्प संख्यक समुदायों से होनी चाहिएं| लड़कियों के लिए स्वीकृत छात्रावासों की संख्या 208 है और आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा राजस्थान के 12 राज्यों के लिए 2009-10 से 2013-14 तक 85.42 लाख/करोड़ रुपये की राशि का गैर आवृति केन्द्रीय अनुदान निर्मुक्त किया गया है|

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में मुख्य रूप से अ.जा., अ.जन.जा., अ.पि.व., अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करती है| इन केजीबीवी में दाखिला लेने वाली 3.44 लाख लड़कियों में से 30.73% अ.जा., 25.29% अ.जन.जा., 30.22% अ.पि.व., 7.46% मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय और 6.24% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित हैं| देश में स्वीकृत कुल 3,609 केजीबीवी की में से 508 केजीबीवी अनुसूचित जनजाति सघन क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों का नामांकन 71.45% है|

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय जनजातीय कार्य मंत्रालय की संगत योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों अथवा लड़कों के लिए छात्रावासों की आवश्यकताओं की सूचना देते हैं| तथापि, मंत्रालय ने 01.04.2008 से इस योजना के मानदंडों में इस सीमा तक ढील दे दी है कि अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के छात्रावासों

के मामले में 100% केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाए और राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय लड़कियों के छात्रावासों के लिए मैचिंग शेयर के किसी भार से मुक्त हैं| मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम का उद्देश्य अ.ज.जा. की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है|

2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं, अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों को आवासीय विद्यालयों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है, राज्य सरकारों से आवश्यकता आधारित प्रक्षेपणों के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है|

जनजातीय कार्य मंत्रालय "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण" की एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है| इसे स्वैच्छिक संगठनों (वीओ)/गैर सरकार संगठनों (एनजीओ) और स्वायत्त सोसाइटियों/ राज्य सरकार के संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है| इन सिफारिशों को आवासीय विद्यालय परियोजनाओं के संबंध में वीओ/एनजीओ संबंधी योजना को संशोधित करते समय ध्यान में रखा जायेगा|

सिफारिश सं. 31 (पृष्ट सं. 95)

उन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जिनमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की पर्याप्त संख्या है में उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों/एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की संख्या को बढ़ाने की वास्तविक आवश्यकता है। ईएमआरएस खोलने की मानकों को तत्काल पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.36}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जून, 2010 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक ईएमआरएस के निर्माण और इसके संचालन के लिए अनुच्छेद 275(1) अपने अनुदानों में से निधियों का प्रभाजन करने के लिए स्वतंत्र हैं| नये ईएमआरएस की स्थापना राज्य सरकारों की आवश्यकता पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि सभी मौजूदा ईएमआरएस कार्यरत हैं, नये ईएमआरएस के लिए कह सकती हैं| ईएमआरएस कार्यक्रम और इसके विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय का समर्थन भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विषय है जो विद्यालयों के प्रबंधन और संचालन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है|

अत:, संबंधित राज्यों सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे नये ईएमआरएस की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से नये हस्तक्षेप के लिए कहें|

इस समय मंत्रालय मौजूदा और भावी ईएमआरएस की स्थापना, इन्हें जारी रखने के संबंध में तरीकों के बारे में निर्णय लेने में संलग्न है|

सिफारिश सं. 32 (पृष्ट सं. 95)

मनरेगा योजना के लाभान्वितों में अनुसूचित जनजातियों की उच्चतर भागीदारी इस तथ्य की ओर संकेत है कि इस संबंध में समाज के इस वर्ग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अत्यन्तिक विकास के उद्देश्य को पाने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन में एक जनजातीय उपयोजना संघटक को डालने की आवश्यकता है जो कि केवल जनसंख्या हिस्सेदारी पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके बजाय अभावों के विस्तार पर आधारित होना चाहिए। चपल मांग आकलनों पर विश्वास करने की बजाय जनजातीय लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति एवं एकल फसल संस्कृति सहित उनके कमजोर कृषीय क्रियाकलापों पर विचार करते हुए, जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम जनगणना के अनुसार सभी जनजातीय परिवारों को कम से कम 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में पर्याप्त आजीविका अवसर सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के जनजातीय उप–योजना संघटक के अधीन पर्याप्त निधियाँ प्रदत्त किया जाना आवश्यक है। स्कीम को प्राकृतिक संसाधनों, उत्पादकता, मानव विकास इत्यादि के उपयोग के साथ इसके अभिसरण को मजबूत करते हुए, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सतत् ग्रामीण आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए बनाया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बेरोजगार निर्धन लोगों पर केन्द्रित किया गया ध्यान, अर्द्ध–कुशल कार्य से कुशल कार्य आदि में क्रमशः बदलते हुए कौशल विकास को प्रौन्नत करने के उद्देश्य से अन्य समूहों को शामिल करने की प्रक्रिया करते हुए, कमजोर नहीं कर दें।

{संदर्भ पैरा 2.37}

सिफारिश सं. 33 (पृष्ट सं. 95-96)

पंचायतों में प्रबंधन क्षमता के अभाव को ध्यान में रखते हुए मनरेगा स्कीम को, जनजातीय क्षेत्रों में कार्य के लिए आवश्यकता आधारित मांग की सक्रिय आकलन पर आधारित कार्यान्वयन के उपागम/योजना को विकसित करना चाहिए। काम के लिए मांग को, सभी घटकों जैसे उद्योगों कृषि एवं अन्य मौसमी गतिविधि, के कारण कार्य की उपलब्धता, बच्चों के स्कूल जाने, पारिवारिक मजदूरी के स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों एवं जनजातीय आबादी वाले गांवों में स्थानीय सर्वेक्षणों के माध्यम से उचित प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उनके अधिकारों को पहचानने एवं मांग करने की क्षमता निर्मित करने के लिए जनजातीय लोगों के साथ संसूचना को भी मजबूत करना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.38}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

पैरा 2.37 तथा 2.38 में दी गई आयोग की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) मांग आधारित है| सभी ग्रामीण परिवार रोजगार कार्ड जारी करने और रोजगार के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने के पात्र हैं, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 100 दिन के अधीन है| मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वर्ष में मांग पर 100 दिन तक गारंटीशुदा श्रम रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है| समय-समय पर यथा संशोधित मनरेगा की अनुसूची-| में कार्यों के वर्ग को सूचीबद्ध करता है| जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में शामिल किया जाएगा| इस अधिनियम की अनुसूची-| में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि अथवा इलाके पर मनरेगा के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप करने का भी प्रावधान है:-

(1) सिंचाई सुविधा, खेत तालाब की खुदाई, बागवानी, वृक्षारोपण, खेत को मेडबंदी और भूमि विकास के प्रावधान;
(2) एनएडीईपी खाद बनाना, कृमि खाद बनाना, तरल जैव खाद डालने जैसे कार्यों से संबंधित कृषि कार्य;
(3) मुर्गी पालन, बकरी पालन, पक्के फर्श का निर्माण, मवेशियों के लिए पेशाब टैंक चारे की नांद कैटल फीड, अनुपूरक के रूप में अजोल्ला जैसे पशुधन संबंधी कार्य;
(4) मछली सुखाने वाले यार्ड, बेल्ट वनस्पति जैसे तटीय क्षेत्रों में कार्य;
(5) सोखन गड्ढे, पुनर्भरण गड्ढे जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य;
(6) व्यक्तिगत परिवारों के शौचालयों इत्यादि जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य|

सिफारिश सं. 34 (पृष्ट सं. 96)

मनरेगा के अधीन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक घर को अधिकतम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की सीमा को भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष के दौरान केवल 2 से 3 महीनों की अवधि के लिए कृषि–कार्य उपलब्ध होता है। यदि जरूरत हो तो संबंधित मंत्रालय इस संबंध में अधिनियम में संशोधन ला सकता है। राज्य सरकारों द्वारा 5वीं अनुसूची में दी गयी शक्तियों का उपयोग करते हुए आवश्यक अनुकूलन किया जा सकता है। **{संदर्भ पैरा 2.39}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वर्ष में मांग पर 100 दिन तक गारंटीशुदा श्रम रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है| मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवार की आय को बढ़ाना है और इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका का केवल एकमात्र यही साधन नहीं होना चाहिए| कामगार उन्हें उपलब्ध किसी अन्य रोजगार अवसरों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है| मनरेगा अधिनियम की धारा 3(4) के तहत इस आशय का प्रावधान पहले से ही मौजूद है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर धारा 3(1) के तहत 100 दिन की गारंटीशुदा अवधि के बाद किसी अवधि के लिए किसी योजना के तहत परिवार के प्रत्येक बालिग सदस्य के लिए कार्य की सुरक्षा हेतु प्रावधान कर सकती है|

सिफारिश सं. 35 (पृष्ट सं. 96)

आयोग ने पाया है कि मनरेगा जॉब कार्ड धारकों द्वारा काम की मांग एवं उसके द्वारा किए गए काम के विवरण की आवश्यक प्रविष्टियाँ और उसको देय राशि/दी जाने के लिए शेष राशि को जॉब कार्डों के साथ–साथ ग्राम पंचायतों द्वारा रखे जा रहे रोजगार रजिस्टरों में भी दर्ज नहीं किया जाता है। अधिकतर मामलों में जॉब कार्डों के पृष्ठ खाली थे जबकि रोजगार रजिस्टरों में कुछ प्रविष्टियाँ दर्ज थी लेकिन सभी प्रविष्टियाँ संबंधित मस्टर रोलो में प्रविष्टियों के अनुरूप नहीं थी। परिणामस्वरूप जॉब कार्ड धारक के पास एक खास सप्ताह/पखवाड़े में उसके द्वारा किए जा रहे किसी कार्य के बारे में कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है और अतः, प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में वह किए गए कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान का दावा करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के

लिए अधिनियम के अन्तर्गत हुए कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में **पारदर्शिता** बनाए रखना आवश्यक है। चिन्ता के साथ यह भी देखा गया है कि कई ग्राम पंचायतों के अधीन पर्याप्त मुख्य दिवसों के कार्य को सृजित नहीं किया गया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रत्येक पंचायत में, **विशिष्ट** रूप से मनरेगा से संबंधित मामलों में, एक सहायक सचिव या ग्राम रोजगार सहायक की व्यवस्था होती है। यह गांवों के विकास के लिए आव**श्य**क कार्य की प्रत्या**शा** एवं सृजन तथा जरूरतमंद मजदूरी पाने वाले/जॉब कार्ड धारकों के लिए गांवों में रोजगार/श्रम दिवसों के सृजन के लिए ग्राम पंचायतों एवं पंचायत सचिवालय की ओर से कार्रवाई की कमी को द**र्शा**ता है। मनरेगा के अंतर्गत एमआईएस के तत्काल सं**शो**धन की आवश्यकता है। **{संदर्भ पैरा 2.40}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मनरेगा का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है (अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार), मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को कानून के अनुसार जांच करने सहित उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है| अतः, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी अनियमिताओं से निपटने के लिए प्रक्रियाएं और उपाय करें|

प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन तथा मनरेगा में यथा अधिदेशित मानदण्डों को पूरा करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) (www.mgnrega.gov.in) शुरू की गई है| एमआईएस की संरचना इस अधिनियम के तहत या अधिदेशित कानूनी प्रक्रिया की अपेक्षाओं पर निर्मित की गई हैं| सभी वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र से उपलब्ध होने चाहिंए| इससे मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आयेगी और कार्यान्वयन के अंतर की निगरानी हो सकेगी तथा एमआईएस में डाटा एंट्री के लिए जिम्मेदार अभिकरणों द्वारा भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा|

जैसे सभी महत्वपूर्ण मानदण्ड कामगार पात्रता आंकड़े और पंजीकरण, जॉब कार्ड, मस्टर रोल्स, अनुमोदित और स्वीकृत कार्यों का शैल्फ, कार्यान्वयनाधीन कार्य, माप, प्रदान किया गया रोजगार, श्रम भुगतान सहित वित्तीय संकेतकों जैसे दस्तावेज प्रविष्ट किए गए आंकड़ों को वैधता प्रदान करने तथा गलत प्रविष्टियों को रोकने के लिए एमआईएस में दर्ज किये जाते हैं| एमआईएस का आउटपुट जनसाधारण द्वारा देखने के लिए उपलब्ध है|

सिफारिश सं. 36 (पृष्ट सं. 96)

बेरोजगारी भत्ता उठाने वाले व्यक्तियों के अवसरों को कम करने के लिए नियंत्रण लागू करते समय, ग्रामीण विकास मंत्रालय बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की आंशिक प्रतिपूर्ति (भारत सरकार की निधियों में से) के लिए मनरेगा में सं**शो**धन पर विचार करें। जनजातीय जिलों में इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है क्योंकि जनजातीय लोग सामान्यतया निरक्षर होते हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं और आसानी से **शि**कार बनते हैं। वर्तमान परिदृ**श्य** में, क्योंकि राज्य सरकारों को बेरोजगार भत्ते के भुगतान के लिए निधियाँ उपलब्ध करवानी होती हैं, यह रोजगार मांग के गैर–पारद**र्शी** रिकॉर्ड को बढ़ावा देता है।

{संदर्भ पैरा 2.41}

स्पष्टीकरण टिप्पण

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का प्राथमिक उद्देश्य अकुशल शारीरिक काम करके मांग पर प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन तक गारंटीशुदा श्रम रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है|

सिफारिश सं. 37 (पृष्ट सं. 96-97)

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के संबंध में उत्तरदायित्व डालने के लिए मनरेगा में वर्तमान मशीनरी को निम्नलिखित अनुसार मजबूत बनाने की आव**श्य**कता है–

(i) धारा 25 : अधिनियम के अन्तर्गत कर्तव्य निष्पादित करने में असफलता के लिए जुर्माना

(ii) अनुसूची II धारा 30 : भुगतान में विलम्ब के लिए कामगारों को क्षतिपूर्ति

(iii) धारा 19 : **शि**कायत एवं निवारण नियमावली को तत्काल बनाया जाना

(iv) स्वतंत्र **शि**कायत निवारण म**शी**नरी के लिए आवश्यकता

(v) सामाजिक ऑडिट में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता

{संदर्भ पैरा 2.42}

स्पष्टीकरण टिप्पण

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005 का उद्देश्य देश के अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए अकुशल शारीरिक काम प्रदान करके ग्रामीण रोजगारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है| यदि राज्य काम प्रदान करने में असफल रहता है तो कामगार को अधिनियम में निर्धारित बेरोजगारी भत्ता देना होगा| अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक कार्य दिवस के लिए सांविधिक मजदूरी की दर पर शीघ्र और उचित भुगतान किया जाए और निर्धारित रूप से दैनिक मजदूरी का वितरण किया जाए| दूसरे शब्दों में, अधिनियम कम से कम 100 दिन के लिए अकुशल शारीरिक काम के अधिकार और निर्धारित रूप से सांविधिक मजदूरी का भुगतान करने के अधिकार को मान्यता देता है और ऐसा न कर पाने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होगा|

कामगार अपने अधिकारों का उपयोग कर सके इसके लिए अधिनियम में शिकायतों को निपटाने के लिए निश्चित पद्धति निर्धारित की गई है|

सिफारिश सं. 38 (पृष्ट सं. 97)

'अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (बेरोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979' के अनुसार, एक स्थापना/संस्थान का ऐसा कोई भी प्रधान नियोजक जिसको अधिनियम लागू होता हो, उस स्थापना में अंतर्राज्यीय

प्रवासी कामगारों को नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि नियोजन के ऐसी स्थापना के संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र न हो। साथ ही एक ठेकेदार के लिए एक पासपोर्ट साईज के फोटो, स्थापना का नाम एवं स्थान, रोजगार की अवधि, मजदूरी की प्रस्तावित दरें एवं भुगतान का तरीका, भुगतान किए जाने योग्य विस्थापन भत्ता, रोजगार की अवधि के समाप्त होने पर भुगतान योग्य वापसी किराया, की गयी कटौतियाँ एवं विवरणों के साथ प्रत्येक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार को पासबुक जारी करना आवश्यक होगा। प्रावधानों के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार को किसी भी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि यह अधिनियम एक स्थापना में नियोजित केवल अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों पर ही लागू होता है। अतः आयोग ने सिफारिश किया कि अधिनियम के प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों से पारम्परिक रोजगार की तलाश के लिए प्रवासी घरेलू कामगारों के रूप में जाने वालों के संदर्भ में प्लेसमेंट एजेंसियों पर भी लागू किए जाने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.43}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि अंतर्राज्य प्रवासी कामगार (आरईसीएस) अधिनियम, 1979 अंतर्राज्य प्रवासी कामगारों के रोजगार को विनियमित करता है और इसमें सेवा की शर्तों के प्रावधान हैं| यह प्रत्येक प्रतिष्ठान और ठेकेदार पर लागू है जो पांच या इससे अधिक अंतर्राज्य प्रवासी कामगरों को रोजगार देता है| अधिनियम में पूर्ण ब्यौरे सहित प्रत्येक अंतर्राज्य प्रवासी कामगार को पास बुक जारी करने, मासिक मजदूरी के 50%, यहां 75 रुपये, जो भी ज्यादा हो, के बराबर विस्थापन भत्ते का भुगतान करने, यात्रा की अवधि के दौरान मजदूरी के भुगतान सहित यात्रा भत्ते का भुगतान करने, उपयुक्त आवास, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षात्मक वस्त्र प्रदान करने, मजदूरी का भुगतान करने, बराबर कार्य के लिए बराबर वेतन इत्यादि का प्रावधान करता है|

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी क्रमश: केन्द्र और राज्य क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठान में केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है|

सरकार घरेलू कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति निरुपित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्लेसमेंट एजेंसियों से संबंधित विनियम होंगे|

सिफारिश सं. 39 (पृष्ट सं. 97)

'बंधुवा मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के बाद एक बंधुवा मजदूर के लिए कोई भी बंधुवा कर्जा जो उसे पुनः चुकाना होता है, उसकी प्रत्येक बाध्यता समाप्त कर दी गयी मानी जाएगी। किसी भी बंधुवा कर्जे के साथ जुड़ी हुई सारी सम्पति जो कि बंधुवा मजदूर में निहित थी, मुक्त और निष्प्रभावी हो जाएगी। कोई भी उधारकर्ता किसी भी बंधुवा कर्जे के विरूद्ध कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। प्रवासी कामगारों जिनका लालची ठेकेदारों द्वारा आसानी से शोषण किया जाता है, के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अनुबंधित मजदूरी को समाप्त करने के लिए ये प्रावधान अपनाये जाने आवश्यक हैं। **{संदर्भ पैरा 2.44}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार बंधुआ मजदूर व्यवस्था का अर्थ जबरदस्ती या आंशिक रूप से जबरदस्ती

मजदूरी व्यवस्था है जिसके तहत कर्जदार कर्ज देने वाले के साथ इस आशय का करार करता है या करार किया गया माना जाता है कि

(1) उसके द्वारा या उसके किसी नजदीकी पूर्वजों या वंशजों (ऐसा अग्रिम किसी दस्तावेज द्वारा प्रमाणित होता है या नहीं) द्वारा लिये गये अग्रिम और ऐसे अग्रिम पर यदि कोई ब्याज हो, पर विचार करना, या
(2) किसी रीतिगत या सामाजिक दायित्व के अनुसरण में, या
(3) उत्तराधिकार रूप से इस पर थोपे गये दायित्व के अनुसरण में, या
(4) इसके द्वारा या इसके किसी नजदीकी पूर्वजों या वंशजों द्वारा प्राप्त कोई आर्थिक महत्व के लिए, या
(5) जन्म द्वारा किसी विशेष जाति या समुदाय द्वारा –

- उसके द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति द्वारा ऋणदाता को दी गई मजदूरी या सेवा या ऋणदाता के लाभ हेतु किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए या अनिर्दिष्ट अवधि हेतु मजदूरी के बिना या नाममात्र, या

- किसी निर्दिष्ट अवधि या किसी अनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोजगार की स्वतंत्रता या आजीविका के अन्य साधनों को जब्त करना, या

- क्षेत्र या भारत के भीतर मुक्त रूप से घूमने के अधिकार को जब्त करना, या

- इसकी किसी संपत्ति बाजार मूल्य पर बेचने या उसके विनियोजन या इसके श्रम के उत्पाद या इसके परिवार के किसी सदस्य के श्रम या इस पर निर्भर किसी व्यक्ति के अधिकार को जब्त करना,

अधिनियम में बंधुआ श्रमिक और बंधुआ श्रमिकों को भी परिभाषित किया गया है| बंधुआ मजदूर का अर्थ यह बंधुआ मजदूरी पद्धति के तहत दिये गये किसी श्रम या सेवा से है और बंधुआ मजदूर का अर्थ उस मजदूर से है जिसने कोई बंधुआ ऋण के तहत कोई कार्य किया हो|

बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत मुक्त बंधुआ मजदूरों का पता लगाना, और इन्हें मुक्त करना और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है| इन कार्यों के लिए जिला दण्डाधिकारियों और उप मंडल दण्डाधिकारियों को कुछ कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं| इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक जिला दण्डाधिकारी या इसके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक

अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे इस बात की जांच करे कि उसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर क्या कोई बंधुआ मजदूर प्रणाली लागू की जा रही है|

सिफारिश सं. 40 (पृष्ट सं. 97)

खाद्यानों की उपलब्धता एवं क्रय क्षमता दोनों आंतरिक रूप से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं; और खाद्य सुरक्षा इस क्षेत्रों में जनसंख्या के दरिद्रतम भागों के लिए केवल मूल्यों की सब्सिडी देने का प्र**श्न** नहीं है। अतः (अनुसूचित क्षेत्रों की) इन **विशिष्ट विशेषताओं** को पहचानने के लिए (उपरोक्तानुसार) बाध्यकारी कारण है; और आव**श्य**क भोजन भण्डारन, अनाज के गोदामों को मजबूत करना और संभार क्षेत्रों, वित्तीय संसाधनों एवं जिम्मेदारियों का प्रावधान करके अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक भिन्न उपागम रखना होगा। **{संदर्भ पैरा 2.45}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नानुसार सूचित किया है:-

<u>(क) खरीद:</u> केन्द्र सरकार एफसीआई और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान, मोटे अनाजों और गेंहू का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है| निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए पेश किये गये सभी अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे जाते हैं| उत्पादकों के पास अपना उत्पाद एमएसपी पर एफसीआई/राज्य एजेंसियों या खुले बाजार में जैसा भी इन्हें लाभ कारी लगे बेच सकने का विकल्प रहता है| राज्य सरकारों और इनकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए अनाज को अन्ततोगत्वा संपूर्ण देश में वितरण के लिए एफसीआई द्वारा ले लिया जाता है|

खरीद की कार्यकुशलता को बढ़ाने और स्थानीय खरीद को अधिकतम करने को बढ़ावा देने, जिससे एमएसपी के लाभ स्थानीय किसानों को मिल सकें, के उद्देश्य से सरकार विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना कार्यान्वित कर रही है| जिसके तहत राज्य अनाज की खरीद, इसके भण्डारण और वितरण की जिम्मेदारी लेते हैं|

<u>(ख) भण्डारण:</u> भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए योजना स्कीम का निधियन योजना आयोग के अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा किया जाता है और विद्युतीकरण, तोलसेतू की अधिष्ठापना इत्यादि सहित रेलवे साइडिंग्स जैसे मौजूदा गोदामों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, भूमि का अधिग्रहण करना और नये गोदामों का निर्माण करने के लिए इक्विटी के रूप में एफसीआई को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं| इस योजना के तहत, राज्य सरकारों द्वारा भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में निधियां भी निर्मुक्त की जाती हैं| इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा राज्यों के दुष्कर और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के घटक को आने वाली अवधि में शुरू करने की भी योजना है| इस योजना से अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यक गोदाम सुविधाएं विकसित करने में कुछ सीमा तक मदद मिलेगी| कम से कम 4 महीनों की अवधि के लिए राज्य सरकारों को टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक अनाजों के भण्डारण के लिए

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) द्वारा स्थापित आरआईडीएफ और कृषि मंत्रालय की ग्रामीण गोदाम योजना का इस्तेमाल करके अंतर्वर्ती भण्डारण सुविधाओं के विकास के लिए अनुरोध भी किया गया है।

सिफारिश सं. 41 (पृष्ट सं. 97-98)

अनुसूचित क्षेत्रों में सभी निवासियों को (खाद्य) उपलब्धता एवं सामर्थ्य की उनकी वि**शेष** समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोक वितरण प्रणाली को उचित खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्राथमिकता आधारित घरों की संख्या मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं की जानी चाहिए और उन्हें दिखाई देने वाली समृद्धि/आय संबंधित मापदण्ड के आधार पर पहचाना जाना चाहिए। दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों के लिए आवश्यकता अनुसार सूची तैयार करने सहित विषेश व्यवस्थाएँ करनी होगी ताकि खाद्य उपलब्धता, संभार तंत्र की असफलता पर निर्भर नहीं रह सके। इसके एवज में भत्ते उपलब्ध करवा देना पर्याप्त और वांछनीय नहीं है क्योंकि यह (खाद्यानों की) उपलब्धता की समस्या को हल नहीं करता। **{संदर्भ पैरा 2.46}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि जहां तक प्राथमिकता वाले परिवारों की संख्या के निर्धारण का संबंध है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग भारत सरकार में नोडल एजेंसी है| लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनाजों का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 01.03.2000 के आधार पर भारत के महापंजीयक के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर बीपीएल परिवारों की संख्या का प्रयोग करता है| उपर्युक्त के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की स्वीकृत संख्या 6.52 करोड़ है जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों की 2.50 करोड़ लक्षित संख्या शामिल है| यह भी कहना है कि एएवाई परिवारों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अन्य वर्गों के साथ सभी आदिम जनजातीय परिवारों को भी शामिल किया गया है| प्रत्येक राज्य/संध राज्य क्षेत्र को दिये गये लक्ष्य के भीतर एएवाई परिवारों सहित बीपीएल परिवारों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार की है|

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनाज (चावल/गेंहू) पूरे देश में गरीब से गरीब परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रह रहे परिवारों एएवाई परिवारों के लिए प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम की दर से टीपीडीएस के माध्यम से अत्यन्त रियायती केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर आबंटित करती है| एएवाई और बीपीएल परिवारों को अत्यन्त रियायती मूल्यों पर अनाज दिया जाता है| एएवाई परिवारों के मामले में क्रमश: चावल और गेंहू के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बीपीएल परिवारों के मामले में गेंहू और चावल क्रमश: 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम और 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है| टीपीडीएस के तहत उपर्युक्त सामान्य आबंटन के आधार पर, भारत सरकार समय-समय पर बीपीएल परिवारों को अनाजों का अतिरिक्त आबंटन भी कर रही है| चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के लिए 50 लाख टन अनाजों का अतिरिक्त आबंटन किया है

और राज्यों के गरीब जिलों में बीपीएल और एएवाई परिवारों के लिए 19.42 लाख टन का अतिरिक्त आबंटन किया है| अत:, सरकार टीपीडीएस के माध्यम से सस्ते मूल्य पर कमजोर आबादी को बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है|

सिफारिश सं. 42 (पृष्ट सं. 98)

क्योंकि दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों की भी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता/ विपणन की गंभीर समस्याएँ होती हैं, आर्थिक स्थिति के अनुसार खाद्यान हकों को विलग नहीं किया जाना चाहिए जो कि केवल योग्य सब्सिडी के क्वांटम के संगत होती है। खाद्य हक को विकल्प पर आवश्यक मात्रा की खरीद में समर्थ बनाने के लिए, सिफारिश की गयी पोषणीय अनिवार्यताओं के आधार, पर विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए; या उसके बजाय वार्षिक सकल हकों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि औसत कुल खरीद वर्ष के अलग–अलग समय पर घट–बढ़ सकती है जो कि मूल्यों या आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर करती है और सब्सिडी/लॉजिस्टक आवश्यकताओं की योजना बनाने के लिए यह अधिक संगत हो सकती है। **{संदर्भ पैरा 2.47}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

पोषणीय आवश्यकताओं के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डीपीडीएस) के तहत खाद्य हकदारियों के लिए सिफारिश के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि टीपीडीएस के तहत अनाजों का आबंटन परिवार की आवश्यकता के अलावा है और इसका उद्देश्य किसी परिवार या समाज के किसी वर्ग या वस्तुओं का वितरण संपूर्ण आवश्यकता के लिए नहीं है|

दी जाने वाली वार्षिक कुल हकदारियों के लिए सिफारिश के संबंध में यह कहा जाता है कि जहां तक संबंधित टीपीडीएस के तहत अनाजों की हकदारी का संबंध है, भारत सरकार प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम की दर से अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की स्वीकृत संख्या को वितरण के लिए आबंटन वर्ष के प्रारंभ से पहले रियायती खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन करती है| इस समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एपीएल परिवारों को प्रतिमाह 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार के बीच खाद्यानों का आबंटन भी किया जाता है|

विभाग को कोई आपत्ति नहीं है यदि लाभार्थियों को वार्षिक कुल हकदारियों के आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है| तथापि, इसके लिए एक वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्नों और निधियों की आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए अंतर्वर्ती भण्डारण सुविधा, परिवहन, इत्यादि जैसे राज्य/स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करना शामिल है|

सिफारिश सं. 43 (पृष्ट सं. 98)

लेन–देनों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, सूचना प्राद्यौगिकी के उपयोग के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में मॉनिटरिंग तंत्रों, संबंधित कार्यवाही–वस्तुओं का भंडारण, स्थानान्तरण तथा जारी करना इत्यादि–को उचित मूल्य की दुकान स्तर तक सभी स्थानों पर त्वरित जागरूकता को समर्थ बनाने के लिए विश्वसनीय रिपोर्टिंग प्रणालियों के माध्यम

से स**श**क्त बनाया जाना चाहिए। इसे लॉजिस्टकल असफलताओं को सुधारने के लिए जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को कमजोर बनाती हैं, के लिए समुचित उपचारात्मक कार्रवाई हेतु समय पर फीडबैक उपलब्ध करवा कर स**श**क्त किया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.48}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का सुदृढ़ीकरण और सुप्रवाहीकरण एक सतत प्रक्रिया है| जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए टीपीडीएस परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण, निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण इत्यादि करना शामिल है| राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आबंटन, ऑफ-टेक, वितरण, स्टॉक प्रबंधन इत्यादि जैसे पहलुओं के टीपीडीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए पहलें की गई हैं| 'टीपीडीएस परिचालनों का एण्ड टु एण्ड कम्प्यूटरीकरण' संबंधी एक प्लान योजना भी तैयार की गई है, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके| पहले चरण में, योजना में राशन कार्डों/लाभार्थी और अन्य डाटाबेस का डिजिटाइजेशन; आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण अर्थात, आबंटन, भण्डारण और गति; पारदर्शिता पोर्टल को स्थापित करना जिसमें पीडीएस संबंधित सभी सूचना निहित हैं और टोल फ्री हैल्पलाइन नम्बर, वेब पोर्टल इत्यादि के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र नामक गतिविधियां शामिल हैं|

सिफारिश सं. 44 (पृष्ट सं. 98)

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संघीय सरकार को वि**शेष** संवैधानिक अधिदे**श** के दृष्टिकोण में और जनजातीय लोगों के लगातार कमजोर स्वास्थ्य एवं आर्थिक मानकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी वितीय/संभारण जिम्मेदारी संघीय सरकार में निहित होनी चाहिए। ऐसी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालना उपयुक्त नहीं है। यह इसलिए भी कि उनके पास, निम्न– उत्पादन क्षेत्रों से खाद्यानों को लाना ले जाने, साख की व्यवस्था करने और संभारण/वितरण लागतों पर सब्सिडी देने के लिए, सीमित क्षमता होती है।

{संदर्भ पैरा 2.49}

स्पष्टीकरण टिप्पण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत परिचालित है| केन्द्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदती है, और इसे अत्यन्त रियायती मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित करती है और खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के नामजद डिपुओं तक पहुंचाती है| केन्द्र सरकार अनेक उपायों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन भी देती है जैसे खरीद का विकेन्द्रीकरण, विभिन्न योजना के तहत भण्डारण सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता, चुनिंदा राज्यों में पहाड़ी परिवहन राज सहायता और उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्नों को बेचने के लिए रियायती मूल्य निर्धारित करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

लचीलापन अपनाने की अनुमति देती है, ताकि तर्क संगत/वितरण लागतों को कवर किया जा सके| टीपीडीएस के तहत संयुक्त जिम्मेदारी को देखते हुए केन्द्र सरकार के लिए टीपीडीएस के कार्यान्वयन के लिए पूर्व वित्तीय/तर्क संगत जिम्मेदारी लेना संभव नहीं होगा|

सिफारिश सं. 45 (पृष्ट सं. 98)

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रति केन्द्र सरकार की वि**शेष** दायित्वों में सभी निवासियों के लिए आवश्यक मात्रा (पोषणिक आवश्यकताओं के अनुसार) में खाद्यानों, पूरक लॉजिस्टकल व्यवस्थाएं (सड़क/रेल यातायात, डिपो/जारी करता केन्द्र एवं वृद्धित (आवश्यकता) सूची) के साथ–साथ खाद्यान आवंटन में प्राथमिकता (क्योंकि भत्ते के भुगतान की व्यवस्था उचित विकल्प नहीं है क्योंकि उससे खाद्य सुरक्षा में नुकसान होता है) के प्रावधान होने चाहिए।

{संदर्भ पैरा 2.50}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) देश में लाखों गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के अपने प्रयासों में से एक मुख्य पहल है| भारत सरकार देश के गरीबों में से सबसे गरीब 2.43 करोड़ अंत्योदय (एएवाई) परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम की दर से टीपीडीएस के माध्यम से अत्यन्त रियायती केन्द्रीय जारी मूल्यों (सीआईपी) पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों (चावल/गेंहू) का आबंटन करती है| अत, टीपीडीएस सस्ते मूल्यों पर गरीब जनसंख्या को खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है|

बीपीएल/एएवाई परिवारों को सामान्य टीपीडीएस आबंटन के अलावा समय-समय पर बीपीएल परिवारों को वितरण के लिए सरकार टीपीडीएस के तहत अतिरिक्त खाद्यानों की पर्याप्त मात्रा का आबंटन भी करती है| चालू वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने एएवाई/बीपीएल परिवारों को वितरण के लिए सामान्य टीपीडीएस आबंटन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 276.78 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है| इसके अलावा, मार्च, 2013 तक अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को वितरण के लिए जुलाई, 2012 में 50 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है| इसके अलावा, देश के सबसे गरीब जिलों में अतिरिक्त एएवाई और बीपीएल परिवारों को वितरण के लिए 43.11 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन भी किया गया है| इसमें 2011-12 के दौरान आबंटित 23.69 लाख टन और 2012-13 के दौरान 19.42 लाख टन की मात्रा शामिल है|

देश की आबादी में एएवाई और बीपीएल श्रेणियों के तहत अधिकतर लाभार्थी देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रही अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं|

भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए प्लान की स्कीम को योजना आयोग के अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा निधियन किया जाता है और विद्युतीकरण, तोलसेतू के अधिष्ठापन आदि सहित रेलवे साइडिंग्स जैसे मौजूदा गोदामों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नये गोदामों का निर्माण करने के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए इक्विटी के रूप में एफसीआई को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं| इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार सहित पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में निधियां भी निर्मुक्त की जाती हैं| इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा आने वाली अवधि में राज्यों के कठिन और अभाव वाले क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण की भी योजना है| यह योजना कुछ सीमा तक अनुसूचित क्षेत्रों में आवश्यक गोदाम सुविधाओं का विकास करने में सहायक होगी| राज्य सरकारों से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) द्वारा स्थापित आरआईडीएफ और कृषि मंत्रालय की ग्रामीण गोदाम योजना का उपयोग करके कम से कम 4 माह की अवधि के लिए टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए अंतर्वर्ती भण्डारण सुविधाओं का विकास करने का अनुरोध किया गया है|

अनुसूचित क्षेत्रों में रेल/सड़क परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रबंध नहीं है, किन्तु विभाग पहाड़ी परिवहन राज सहायता योजना (एचटीएस) कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत पहाड़ी राज्य सरकारें जिनके पास खराब या कोई रेलवे नैटवर्क और खराब सड़क संपर्क है, उन्हें एफसीआई के बेस डिपुओं से नामजद मुख्य वितरण केन्द्रों (पीडीसी) तक खाद्यान्नों को ले जाने के लिए वास्तविक आधार पर खाद्यान्नों के परिवहन की लागत की प्रतिपूर्ति करती हैं| यह योजना सिक्किम (असम को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है और यह इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करती है|

सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए परिव्यय जाति, पंथ और धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है| राष्ट्रीय राजमार्ग देश के जनसांख्यिकीय ढांचे के आधार पर विकसित नहीं किये जाते हैं| कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग जनजातीय क्षेत्रों से गुजरते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से जनजातीय आबादी को लाभ पहुंचाते हैं|

मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर (एसएआरडीपी-एनई) में विशेष त्वरतीकरण, सड़क विकास कार्यक्रम और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है| एलडब्ल्यूई के लिए 2012-13 के दौरान वार्षिक योजना के तहत जीबीएस से 1,500.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जिसमें जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए 500.00 करोड़ रुपये शामिल हैं| इसका लक्ष्य 2012-13 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1300 किमी. सड़कों को पूरा करना है|

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित एसएआरडीपी-एनई के लिए 2012-13 के दौरान वार्षिक योजना के तहत जीबीएस से 2,000.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है| 2012-13 के दौरान चरण 'क' और एसएआरडीपी-एनई की सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के तहत 300 किमी. लंबी सड़कें पूरी करने का लक्ष्य है|

3. रेल मंत्रालय ने बताया है कि संपूर्ण देश में खाद्यान्नों की ढुलाई उपभोगता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रशासित होती है| रेलवे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा एफसीआई द्वारा प्रयोजित अन्य कल्याण योजना को उच्चतर प्राथमिकता (प्राथमिकता 'ख') देता है| केवल मिलिट्री ट्रेफिक मूवमेंट को उच्चतर प्राथमिकता (प्राथमिकता 'क') दी जाती है|

सिफारिश सं. 46 (पृष्ट सं. 98)

जैसा कि भली प्रकार से मान्यता प्राप्त है, भिन्न–भिन्न लोगों एवं भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में प्रथा अलग–अलग होती है, इसे विधिक फोरमों/अद्यताओं के मार्गद**र्शन** के लिए संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, जैसा मध्य प्रदे**श** राज्य में किया गया है जहाँ प्रथागत कानूनों को ''मध्य प्रदे**श** राज्य की अनुसूचित जातियों की रूढ़िजन्य विधि संहिता, 1992'' के रूप में संहिताबद्ध किया गया हैं। **{संदर्भ पैरा 2.53}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोग की सिफारिश को विचार तथा उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है|

सिफारिश सं. 47 (पृष्ट सं. 98-99)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में, लघु वन उत्पादों का स्वामित्व देने के संबंध में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों एवं आव**श्य**क शक्तियों के साथ ग्राम सभाओं को स**श**क्त बनाने के संबंध में उसके प्रावधानों को पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के साथ सुसंगत बनाने के लिए सं**शो**धन किए जाने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.55}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय वन अधिनियम के अनुरूप (आईएफए), वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए पंचायत (पेसा) पहले से ही विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गठित समिति के विचारार्थ हैं|

पेसा, 1996 ने ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के रूप में जनजातियों को लघु वन उत्पात (एमएफपी) के स्वामित्व के पूरे अधिकार दिये हैं| पेसा की धारा 4(ड), जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देती है जो उसे एक स्वास्यत्त

संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है, राज्य विधान यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायत उपयुक्त स्तर पर और उपधारा (||) के तहत ग्राम सभा एमएफपी के स्वामित्व से विशिष्ट रूप से सम्मत हो| महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने खर्चों को निकालकर एमएफपी से आय को प्राथमिक समाहर्ताओं/समुदायों/ग्राम सभा को पहले ही हस्तांतरित कर रहे हैं| यह सहमति हुई थी कि एमएफपी का स्वामित्व उसके क्षेत्रीय अधिकार के भीतर ग्राम सभा के पास रहे|

सिफारिश सं. 48 (पृष्ट सं. 99)

अनुसूचित जनजातियों द्वारा वन भूमि के तथाकथित अतिक्रमण के, 31.12.2007 से पहले के दर्ज, सभी मामले संबंधित प्राधिकारियों द्वारा वापस लिए जाने चाहिए और वन भूमियों पर उनके दावे, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2007 के प्रावधानों के अधीन निपटाए जाने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.56}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में केवल वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं, परन्तु जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, उनके वन अधिकारों को और वन भूमि पर उनके कब्जे को मान्यता प्रदान करता है| इस अधिनियम को प्रचालन हेतु दिनांक 31.12.2007 को अधिसूचित किया गया था|

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों द्वारा वन भूमि के तथाकथित कब्जे के मामलों जो दिनांक 31.12.2007 से पूर्व दर्ज किये गये हैं, को नहीं देखता है|

यह सिफारिश स्पष्ट रूप से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अलग-अलग प्रावधानों के तहत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध लंबित आरोपों/अभियोजन जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किये जाने से पूर्व के हैं, के संदर्भ में की गई है| चूंकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, इसलिए इस सिफारिश पर कार्रवाई पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी|

यह उल्लेख किया जा सकता है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए दिनांक 4-5 नवंबर, 2009 को इस मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों (जनजातीय/सामाजिक कल्याण एवं वन विभाग) के दो दिवसीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में अन्य बातों के साथ-

साथ जनजातीय लोगों के विरुद्ध कानूनों से संबंधित छोटे-मोटे मामलों जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे, को वापस लेने हेतु आवश्यकता को स्पष्ट किया था| माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने आवश्यक अनुपालन के लिए दिनांक 19.11.2009 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री का उक्त अवलोकन भेज दिया था|

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इन जिलों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) की धारा 3(2) में यथा उल्लिखित परियोजनाओं की 13 श्रेणियों के तहत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक मामले में 2.0 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं|

मंत्रालय ने गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात 60 जिलों के लिए प्रत्येक में 5 हैक्टेयर वन भूमि तक उपरोक्त सामान्य अनुमोदन को और छूट दे दी है| इसके अलावा, इस विशेष अनुमोदन को दिनांक 10 दिसंबर, 2012 के इस मंत्रालय के पत्र के माध्यम से शेष 22 जिलों तक पहले ही बढ़ा दिया गया है|

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के विरुद्ध मामलों से संबंधित छोटे-मोटे वन अपराध को वापिस लेने के लिए दिनांक 28.01.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव (वन) को एक परामर्शी जारी की है| इसके अतिरिक्त एफआरए, 2006 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वन कानूनों के उल्लंघन के लिए जनजातीय लोगों के विरुद्ध मामलों से संबंधित छोटे-मोटे वन अपराधों को वापिस लेने के लिए दिनांक 16.09.2010 को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के सभी सचिवों (वन) को परामर्शी जारी की गई थी|

मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में जनजातीय लोगों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया नहीं पाया गया था तथा झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा कुल 3123 मामले जिनमें 9035 जनजातीय लोग तथा अन्य ग्रामीण शामिल हैं, वापिस ले लिये गये हैं|

सिफारिश सं. 49 (पृष्ट सं. 99)

अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और नियमावली वैयक्तिक दावों के साथ–साथ सामुदायिक दावों का भी निपटाने के लिए प्रावधान करते हैं। भूमि और संसाधनों पर समुदाय का दावा क्षेत्र के सभी निवासियों के साथ बहुत अधिक संगत होता है, अतः समुदाय अधिकारों के बारे में स्वत्व विलेखों का वितरण भी वैयक्तिक दावों के निपटान की ही तरह समान महत्व रखता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को (i) सभी दावों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए, (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही दावे अस्वीकार नहीं हों, (iii) सभी अनुमोदित दावाकर्ताओं को स्वत्व विलेखों का वितरण निर्धारित समय सीमा में हो और (iv) वन अधिकार अधिनियम के अधीन वैयक्तिक दावों के साथ–साथ समुदाय दावों के संबंध में भी पृथक रूप से पूरे विवरण प्रस्तुत करने के लिए, एक नीति बनानी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.57}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय एनसीएसटी के अवलोकनों से सहमत है कि भूमि एवं संसाधनों पर समुदाय का दावा उस क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए अत्यधिक संगत है अत:, अधिकार पत्रों का संवितरण और सामुदयिक दावों का निपटान भी इसी प्रकार संगत है जैसे व्यक्तिगत दावों का निपटान| ''सामुदायिक अधिकारों'' के महत्व को मान्यता देते हुए, मंत्रालय ने सामुदायिक अधिकारों के बारे में बृहत् जागरूकता पैदा करने, यदि आवश्यक हो तो इन आवेदन पत्रों को तैयार करने में लगे क्षेत्र स्तरीय कार्यकरणों को पुन: प्रशिक्षित करके, विशेष अभियान शुरू करने के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2010 को राज्य सरकार को निर्देश जारी किये थे| राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत स्थानीय संसाधन संस्थानों के समर्थन को सूचीबद्ध करने के लिए भी सुझाव दिया गया था| अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने तथा सामुदायिक अधिकारों हेतु और दावों को आमंत्रित करने और सभी लंबित सामुदायिक दावों को शीघ्रता से तैयार करने तथा इनके निपटान के लिए दिनांक 8 फरवरी, 2011 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से पुन: अनुरोध किया गया था|

इस मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 12.07.2012 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को बृहत दिशानिर्देश और दिनांक 06.09.2012 को अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 अधिसूचित की है जो इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत अधिकारों, सामुदायिक अधिकारों तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की तीव्र मान्यता के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है|

वन अधिकार अधिनियम के तहत अलग से व्यक्तिगत दावों के साथ-साथ सामुदायिक दावों के संबंध में पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करने के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि दिनांक 06.09.2012 को अधिसूचित संशोधन नियमावली, 2012 व्यक्तिगत अधिकारों, सामुदायिक वन अधिकारों के अलग ब्यौरों तथा प्रबंधित किये जा रहे सामुदायिक वन संसाधनों के ब्यौरों इत्यादि सहित वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन तथा इन्हें प्रदान किये जाने की प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले ही एक प्रपत्र निर्दिष्ट किया गया है| मंत्रालय अधिसूचित दिशानिर्देशों/संशोधित नियमों के आलोक में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एफआरए के कार्यान्वयन तथा बृहत रिपोर्टिंग प्रपत्र विकसित करने पर वर्तमान रिपोर्टिंग तथा निगरानी तंत्र (प्रपत्रों सहित) की समीक्षा करने की प्रक्रिया में भी अलग से लगा हुआ है|

सिफारिश सं. 50 (पृष्ट सं. 99)

एक खनन पट्टे में स्थापित बाध्यताओं के अधीन परियोजना प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापन एव पुनर्वास हेतु विशेष रूप से वर्णित आवश्यक प्रावधान प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। (यह उल्लिखित किया जा सकता है कि प्रारूप भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास विधेयक, 2011 जिसे संसद की अनुमोदन की प्रतीक्षा है, में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के साथ पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के प्रावधान एकत्र किए गए हैं किन्तु परियोजना प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में यह पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना को पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं करता है जिसका परिणाम वन भूमि/निजी भूमि के खनन के लिए पट्टे पर दिए जाने की ओर विचलित होने में हुआ है।) विस्थापन एवं पुनर्वास बाध्यताओं को सम्पृक्त क्षेत्रों की पट्टेदारी बढ़ने के संबंध में सुनि**श्च**त करने और वर्तमान पट्टेदारी के भागिक विस्तार की भी आवश्यकता होगी। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाएं खनन योजना से जुड़ी होनी चाहिए ताकि पुनर्वास एवं पनुर्स्थापन गतिविधियाँ विशेषीकृत क्षेत्र में पट्टाबंदी कार्यवाही के पहले संतोषप्रद ढंग से पूरी की जा सके। कार्पोरेट सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) दस्तावेज के समान ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन दस्तावेज भी होना चाहिए जिसमें बाध्यता/प्रयासों एवं प्राप्त किए गए परिणामों का उल्लेख होना चाहिए। एक खनन पट्टे के विस्तार के अनुमोदन को स्वीकृत करने से पूर्व पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन बाध्यता के क्रियान्वयन के संबंध में विशेष रिपोर्ट भी मांगी जानी चाहिए। इसके अलावा खनन क्रियाकलापों को चलाने में असफल रहने या विलम्ब होने पर पट्टों को, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन बाध्यताओं को पूरा नहीं करने की स्थिति में, समाप्त हो जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.59}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

भू संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 निरुपित की है| इसका एक उद्देश्य जहां तक संभव हो बड़े स्तर के विस्थापन को न्यूनतम करना है| केवल परियोजना के उद्देश्य के अनुपात में न्यूनतम भूमि को अधिग्रहित किया जाए| जहां तक संभव हो परियोजनाएं बेकार भूमि, निम्न या असिंचित भूमि पर स्थापित की जाएं| परियोजना में गैर कृषीय उपयोग के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाएं, ऐसे उद्देश्यों के लिए जहां तक संभव हो कई फसलों वाली भूमि को बचाया जाए और यदि सिंचित भूमि के अधिग्रहण से नहीं बचा जा सकता तो इसे न्यूनतम रखा जाए| यह नीति विस्थापित परिवारों के लिए बृहत पुनर्वास एवं पनुर्स्थापन लाभ भी प्रदान करती है|

उक्त नीति के प्रावधान को कानूनी समर्थन देने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक (एलएआरआर), 2011 विभाग द्वारा तैयार किया गया था| एलएआरआर विधेयक, 2011 को दिनांक 5 सितम्बर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था| यह 7 सितम्बर, 2011 को संसद में लाया गया था| दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस विधेयक को ग्रामीण विकास पर स्थायी संसदीय समिति के पास भेजा गया था| समिति ने विस्तृत जांच के पश्चात दिनांक 17 मई, 2011 को लोक सभा में उपरोक्त विधेयक पर अपनी 31वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो उसी दिन राज्य सभा में रख दी गई थी| 31वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की विभाग में जांच की गई थी| सिफारिशों या अन्यथा के आधार पर एलएआरआर विधेयक, 2011 के अधिकारिक संशोधनों हेतु मंत्रिमण्डल के लिए इसे तैयार किया गया था और मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजा गया था| एलएआरआर विधेयक, 2011 के संशोधनों के लिए मंत्रिमण्डल टिप्पण पर 28 अगस्त, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किया गया था| मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा जे.सी. बोस हॉल (कमरा सं. 142) कृषि भवन, नई दिल्ली में दिनांक 27

सितम्बर, 2012, 8 तथा 16 अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी तीन बैठकों में मामले पर विचार किया गया था|

जीओएम की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने के उपरांत मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा|

2. खान मंत्रालय आयोग की सिफारिश से सहमत है| पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) के उपाय सतत विकास ढांचे के घटक होंगे जिसे एमएमडीआर विधेयक, 2011 में प्रस्तावित खनन योजना तथा खान समापन योजना के साथ उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जायेगा| तथापि, चूंकि निगरानी अनुपालन के लिए क्षेत्राधिकार अलग है अर्थात आरएण्डआर योजना राज्य सरकार के पास है तथा खनन योजना भारतीय खान ब्यौरो के पास है, आरएएनडीआर योजना यद्यपि, सतत विकास ढांचे के माध्यम से खनन योजना तथा खान समापन योजना के साथ जुड़ी हुई आरएण्डआर प्लान खनन योजना या खान समापन योजना के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं हो सकते हैं|

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय आयोग की सिफारिशों से सहमत है| इस संबंध में टिप्पणी एलएआरआर विधेयक, 2011 पर मंत्रालय के विचार देते समय प्रदान कर दी जायेगी| मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव किया है कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं पर इस मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना की क्लीयरेंस प्राप्त की जाए|इस मामले में सचिवों की समिति के लिए एक टिप्पण जारी किया जा रहा है|

सिफारिश सं. 51 (पृष्ट सं. 99-100)

भूमि जनजातीय लोगों के पास एकमात्र सम्पति है और यह उनकी आजीविका का स्रोत भी है। जनजातीय लोग वि**शेष** आव**श्य**कताओं जैसे विवाह, **शै**क्षणिक आव**श्य**कताएं, आवास आदि को पूरा करने में भी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय की योजना के अधीन उधारकर्ताओं की सहूलियत के लिए स्थापित ''ऋण आदायगी गारंटी कोष'' की लीक पर जनजातीय लोगों के लाभ के लिए एक छोटी योजना पर विचार किया जा सकता है। जनजातीय किसानों की आजीविका के सुरक्षण के लिए सरकार भूमि बैंकों की स्थापना पर विचार कर सकती है जिसमें गिरवी चूक के मामलों में सरकार द्वारा, ली गयी भूमि वापस दिलायी जा सके और किसी भी समय वह भूमि मूल अनुसूचित जनजाति स्वामियों को पुनर्खरीद के अवसर/अधिकार के साथ पट्टे पर दी जा सके। इसके अलावा भविष्य में भूमि उपयोग तरीके में बदलाव के कारण अतिरिक्त संभावित क्षतिपूर्ति के लिए अधिकार भी हों।

{संदर्भ पैरा 2.61}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि और इसका प्रबंधन संबंधित राज्यों की विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के भीतर आता है जैसा कि संविधान की 7वी अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 पर दिया गया है| भूमि सुधार के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल परामर्शदायी और समन्वयकारी प्रकृति की है| तथापि, भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों और राजस्व सचिवों के सम्मेलन सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है| राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर पात्र ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त सीमाबद्ध भूमि का वितरण जनजातीय भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि को बहाल करने इत्यादि के लिए अतिरिक्त भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों/योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन करने के लिए अनुरोध किया गया था|

भूमि सुधार से संबंधित विभिन्न मामलों को देखने के उद्देश्य से दिनांक 09.01.2008 को संकल्प द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक "भूमि सुधारों में राज्य कृषि संबंधी और अधूरा कार्य संबंधी समिति" गठित की गई थी| समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि सीलिंग कार्यक्रम/काश्तकारी इत्यादि से संबंधित मुद्दों की गहराई से समीक्षा करना शामिल है| समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की हैं| समिति की रिपोर्ट विचारार्थ और निदेशों के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद" के समक्ष रखी जायेगी| तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि समिति की सिफारिशें "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद" के विचारार्थ रखने से पहले सचिवों की उपयुक्त समिति द्वारा इनकी जांच की जाए| तदनुसार, सिफारिशों की सीओएस द्वारा जांच की गई थी| अब, राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के निर्णय के अनुसार सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जायेगी| 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' की पहली बैठक अभी होनी है| तथापि, 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' की तैयारी बैठक माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गैर सरकारी सदस्यों के साथ 26 जून, 2012 को हुई है|

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि उसे कोई टिप्पणी नहीं करनी है|

3. आयोग की सिफारिश जनजातीय कार्य मंत्रालय के जांचाधीन है|

सिफारिश सं. 52 (पृष्ट सं. 100)

क्योंकि खनिज उत्खनन सामान्यतया मिट्टी की सतह के लिए विना**श**क होता है, बाद में इसके सामान्यतया मूल भूमि उपयोग के लिए दुबारा ठीक नहीं किया जा सकता। उनके लिए वैकल्पिक व्यवसाय सृजित करने के अलावा भूमि स्वामियों के लिए एक प्रभावी एवं समान क्षतिपूर्ति व्यवस्था को (संभावित मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित) आय–वंचन के स्थानापन के लिए पर्याप्त जीवन पर्यन्त वार्षिकी सुनि**श्च**त करनी चाहिए। भू–स्वामियों को खनन उपक्रमों द्वारा वितरित/धारित लाभों में एक तर्कसंगत हिस्सा भी मिलना चाहिए। भू–सतह अधिकारों की एवज में वार्षिक क्षतिपूर्ति के अलावा, खनन गतिविधियों से भविष्य (और कभी–कभी आकस्मिक) आय को भी तार्किक मापन में भू–अधिकार धारकों के साथ भी बाँटा जाना चाहिए। यदि कुछ भूमि अधिकार निरंतरता में प्राप्त किए जा रहे हैं तो परियोजना गतिविधि से धारित आय को भी ''स्वेट इक्विटी'' (भूमि सतह के उपयोग से इनकार के लिए क्षतिपूर्ति के अलावा) के रूप में भू–स्वामियों के साथ भी बाटा जाना चाहिए। यदि भविष्य में भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रकृति का है तो भूमि के वैकल्पिक उपयोगकर्ताओं से आय का हिस्सा भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज अधिकार धारकों को उपलब्ध लाभ/वि**शेषा**धिकार सामान्य भू–धारकों को भी मिलने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.63}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक में यह व्यवस्था है कि संबंधित राज्य सरकार की आरएण्डआर नीति के अनुसार खनन परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अलावा, प्रत्येक खनन पट्टा धारक को:

(क) गैर कोयला खनिज के मामले में रायल्टी की राशि के बराबर और कोयला खनिजों के मामले में कर के पश्चात लाभ के 26% के बराबर राशि जिला स्तर के तंत्र के माध्यम से जहां प्रभावित व्यक्ति का हित है, प्रभावित व्यक्तियों के साथ बांटी जाये|

(ख) कम्पनी के मामले में खनन प्रचालनों द्वारा प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को यथा मूल्य पर कम से कम एक शेयर आबंटित करना होगा,

(ग) राज्य की आरएण्डआर नीति के अनुसार रोजगार और अन्य सहायता प्रदान करनी होगी|

इन प्रावधानों में ऐसी गतिविधियां जारी रहने तक हितधारियों को खनन गतिविधियों द्वारा प्रभावित अनुसूचित जनजाति के परिवारों को क्षतिपूर्ति और आजीविका सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करने का प्रावधान है| अतः, इस संदर्भ में "स्वीट इक्विटी" धारणा लागू नहीं होगी|

सिफारिश सं. 53 (पृष्ट सं. 100)

निवे**शों** के वर्तमान जीवन चक्र पर विचार करते हुए जनजाति भूमि को, स्वामित्व के अंतरण के बजाय, लागत मूल्यांकन/आकस्मिक प्राप्तियों के सतत् रूप से बांटने के लिए प्रावधानों के साथ, गिरवी/पट्टे पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि लाभ उनका अधिभारित मुद्दा है, पीपीपी/निजी स्वामित्व की परियोजनाएं अनिवार्य रूप से जनजातीय संकट को बढ़ाती हैं। ऐसे में वे अधिक खर्चीली पूंजी आवश्यकताओं के लिए सस्ते में प्राप्त भूमि के स्थानापन्न के लिए जल्दी से तैयार नहीं हो जाते। संवैधानिक सुरक्षणों के परिचालित होने को हतोत्साहित करने के लिए लोक उद्देश्य की घोषणा ही अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में न्यायोचित होनी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.68}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक में प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) के लिए प्रावधान है| यह विधेयक न केवल भूमि खोने वालों को बल्कि उन परिवारों को भी शामिल करता है जिनकी जीविका प्रभावित हुई है|

2. खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयोग की सिफारिश से मंत्रालय सहमत है| खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय सतत विकास ढांचा तैयार करेगी जिसमें सतत खनन के

लिए परियोजना स्तरीय पद्धतियां शामिल होंगी जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा और जिला परिषदों और गैर-अनूसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के परामर्श से सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) करना शामिल होगा जिसमें सभी खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रस्तावक के रूप में एक अधिदेशित गतिविधि होगी| इस संबंध में मंत्रालय ने पहले ही एक प्रारूप सतत विकास ढांचा तैयार किया है जिस के बारे में प्रारंभिक (पायलट) अध्ययन किया जा रहा है|

सिफारिश सं. 54 (पृष्ट सं. 100)

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) को प्रभावित क्षेत्रों (संलग्न वन भूमियों सहित जिसमें जनजातीय लोगों के अधिकार हों) की पहचान भी करनी चाहिए तथा आपत्तियों और 'लोक उद्दे**श्य**' के पश्चातवर्ती निर्धारण की जांच सुविधाजनक करने के लिए सभी प्रभावित (हितबद्ध) व्यक्तियों की गणना की जानी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से हितबद्ध पहचाने गए सभी व्यक्तियों को लोक सूचना के अलावा निजी तौर पर नोटिस जारी किए जा सकते हैं ताकि वे भी अधिग्रहण के लोक उद्देश्य के संबंध में न्यायिक निर्धारण प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

{संदर्भ पैरा 2.69}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक में प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन हेतु बृहद प्रावधान है| यह विधेयक न केवल भूमि खोने वाले को कवर करता है अपितु उन परिवारों को भी कवर करता है जिनकी आजीविका भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई है|

2. खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि सिफारिश इस मंत्रालय को मान्य है| खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक, 2011 में प्रावधानों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार सतत खनन के लिए परियोजना स्तर की प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय सतत विकास ढांचा तैयार करेगी और सभी खनन परियोजनाओं के लिए अनिवार्य गतिविधि के रूप में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा जिला परिषदों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के परामर्श से सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) को शामिल करेगा| इस संबंध में मंत्रालय ने मसौदा सतत विकास ढांचा पहले ही तैयार कर लिया है जिसे पायलट अध्ययन के माध्यम से रखा जा रहा है|

सिफारिश सं. 55 (पृष्ट सं. 100-101)

वन अधिकारों, जो विस्थापन के कारण अनुपलब्ध हो गये हों और उप–भूतल अधिकार (जल/खनिज इत्यादि) के लिए भी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए क्योंकि अनुसूचित जनजातियां भूमि की पारम्परिक स्वामी (कृषि भूमि के पैतृक अधिकारों के साथ काश्तकारी धारक रहने की बजाय) रही हैं (और अनुसूची VI क्षेत्रों में भी ऐसे ही जारी रहेंगी)। अधिग्रहीत भूमि के बहुसंख्या प्रयोगों की भी क्षतिपूर्ति में गणना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि को

खनन के लिए उपयोग किया जाता है, तब भूमि सतह के प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति देने के अलावा, खनन गतिविधियों से भविष्य के उपार्जनों को भी भूमि स्वामियों के साथ बाटा जाना चाहिए। साथ ही जहां पर सामानों के उत्पादन एवं सेवाओं के मतलब के लिए परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है, अधिग्रहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति को शेयरों व डिबेंचरों के आवंटन (न कि समायोजित किया जाना) के साथ उत्पादन के एक घटक के रूप में भूमि से उद्भुत परियोजना के दीर्घावधि लाभ हिस्सेदारी के भाग के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी ''स्वेट'' इक्विटी की मात्रा को परियोजना की आर्थिक गतितिधि की प्रकृति एवं इक्विटी आधार से तर्कसंगत रूप से समायोजित करना चाहिए।

भविष्य के लाभों में विकसित भूमि/स्वेट इक्विटी/शेयर का 50 प्रतिशत भूमि विकास परियोजनाओं के मामले में भूमि स्वामियों को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए क्योंकि भूमि इस गतिविधि का प्रधान घटक होती है और इसकी कीमत तेजी से बढ़ना जारी रहती है जबकि दूसरे घटकों का ह्रास होता है। शहरीकरण प्रक्रियाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में विकास लागतों को लाभ हिस्सेदारी तंत्र के भाग के रूप में भारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी कीमतें परिचालन के लिए खुली होती है। **{संदर्भ पैरा 2.71}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय का विचार है कि जहां तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का संबंध है यह कहा जाता है कि अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार इस अधिनियम के तहत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को दिये गये वन अधिकार अनुवांशिक हैं परन्तु अन्य-संक्रामणीय या हस्तांतरणीय नहीं हैं| इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 4(8) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत मान्य एवं प्रदत्त वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार शामिल होंगे| जिन्हें राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की प्रतिपूर्ति किये बिना निवास एवं खेती से विस्थापित कर दिया गया था और जहां उस भूमि का उपयोग उक्त अधिग्रहण के 5 वर्षों के अंदर उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए अधिग्रहित किया गया था|

2. भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए व्यापक प्रावधान है, ताकि प्रभावित परिवारों पर परियोजना के प्रभाव का उचित रूप से समाधान किया जा सके| इसके अलावा, यह प्रभावित परिवारों, व्यापक भूमि, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज भी सुनिश्चित करता है|

3. खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि मंत्रालय आयोग की सिफारिश से सहमत है| खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक में संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) नीति के अनुसार खनन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्ति को पात्र क्षति पूर्ति के अलावा, प्रत्येक खनन पट्टेधारक को न केवल भूमि अधिकारों के स्वामियों के साथ खनन के लाभ को बांटना आवश्यक होगा, बल्कि फलोपभोग और परंपरागत अधिकारों को बांटना भी अपेक्षित होगा| प्रत्येक पट्टाधारक को:

(क) गैर-कोयला खनिजों के मामले में रॉयल्टी की राशि के बराबर हिस्से और कोयला खनिजों के मामले में जिला स्तरीय तंत्र के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के साथ कर के पश्चात लाभ के 26% के बराबर राशि को बांटेगा जहां प्रभावित व्यक्तियों का हित है|

(ख) कम्पनी के मामले में खनन परिचालनों द्वारा प्रभावित परिवार के प्रत्येक सदस्य को यथा मूल्य पर कम से कम एक शेयर आबंटित करना|

(ग) राज्य की आरएण्डआर नीति के अनुसार रोजगार और अन्य सहायता प्रदान करना|

4. गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह सामान्य अनुभव है कि भूमि के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, जब विकास है| अतः, 30 वर्ष की अवधि में किया गया मूल्यांकन हास्यास्पद आंकड़े सामने लायेगा यदि इसे लागू किया जाता है तो प्रारंभिक स्तर पर किसी भी परियोजना की व्यावहारिकता को पूर्णत खतरे में डाल देगा| निवल वतर्मान मूल्य (एनपीवी) प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य मानदण्ड इजाद करने होंगे|

उप-स्थल अधिकार भी एक सतत प्रक्रिया है| लघु भूमि धारिताओं सीमांत किसानों के मामले में और खोजी संग्रहकर्ताओं के मामले में गैर-धारिताएं क्षतिपूर्ति की मात्रा और अधिकारों का पता लगाना मुश्किल कर देगी| इससे मुकदमें बाजी को बल मिलता है जिसके कारण परियोजना की समय-सीमा प्रभावित होती है|

सिफारिश सं. 56 (पृष्ट सं. 101)

अधिग्रहीत भूमि के अप्रयुक्त रहने की दशा में जहां कहीं संभव हो, क्षतिपूर्ति राशि के पुनर्भुगतान पर जोर दिए बिना इसे मूल जनजातीय स्वामी को लौटा दी जानी चाहिए क्योंकि भूमि स्वामियों को हुई आजीविका क्षति, प्राप्त क्षतिपूर्ति (जैसे कि एक पट्टे की समाप्ति पर की जाती है) की राशि को समाप्त कर देगी। सरकार द्वारा उस भूमि को बाद में भिन्न उद्देश्य (उदाहरणार्थ खनन के पश्चात् रियल एस्टेट के लिए आदि) के लिए प्रयुक्त कर दिए जाने की स्थिति में, भूमि कीमतों में वृद्धि के लिए समान रूप से ऐसी गतिविधियों से प्राप्त आय को मूल भूमि स्वामियों के साथ बांटा जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.72}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित किसी भूमि का कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो प्रत्यावर्तन द्वारा उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को वापिस करनी होगी| इसमें बढ़े हुए मूल्य के 20% को बांटने का भी प्रावधान है यदि अधिग्रहित भूमि को हस्तांतरित किया जाता है|

2. खान मंत्रालय ने कहा है कि भूमि का अधिग्रहण राज्य का विषय है और यह खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की परिसीमा के भीतर नहीं आता है|

सिफारिश सं. 57 (पृष्ट सं. 101)

पूरी प्रक्रिया के लिए समय सीमाएं निर्धारित करने हेतु विनिर्दिष्ट करने की आव**श्य**कता है जिसमें भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास शामिल हो। इस प्रक्रिया (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से आवंटन तक) में लगी अवधि, प्रभावित व्यक्तियों के तीव्र पुनर्स्थापन के साथ–साथ परियोजना कार्यान्वयन के हित में पुनर्वास योजना तथा कार्यान्वयन के लिए आव**श्य**क निकाय की बृहतर संलग्नता एवं उत्तदायित्व के हस्तांतरण तक, को कम कर तीन वर्ष तक करने की आवश्यकता है। **{संदर्भ पैरा 2.73}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक में विभिन्न कार्याकलापों के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है| तथापि, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) को सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना है और इसे निजी कम्पनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता|

2. खान मंत्रालय ने कहा है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक में खनिज रियायतों की मंजूरी के लिए आवेदनों को निपटाने के लिए स्पष्ट रूप से समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है|

सिफारिश सं. 58 (पृष्ट सं. 101)

विपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं एवं संघर्षों के कारण विस्थापन के मामले में, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए संबंधित सरकार पर उत्तरदायित्व होता है जब कि विकास परियोजनाओं द्वारा होने वाले विस्थापन के मामले में यह उत्तरदायित्व जरूरतमंद निकाय (वैयक्तिक/निगमित आगार/सरकार) का होना चाहिए। गैर–सरकारी/निगमित निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापन के मामले में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाओं का सम्पूर्ण दायित्व, अपखण्डन/चूक को टालने के लिए, जरूरतमंद निकाय (वैयक्तिक/निगमित आगार) का होना चाहिए। सामान्यता, संबंधित उपयुक्त सरकार अपनी कीमत पर पुनर्वास/पुनर्स्थापन (सरकारी निवेशों की स्थिति में) ही कर सकती है। **{संदर्भ पैरा 2.75}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि विपत्ति/प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि द्वारा विस्थापित परिवारों के लिए एक अलग विधेयक पर विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है|

विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा| इस जिम्मेवारी को केवल अपेक्षित निकाय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता| तथापि, अपेक्षित निकाय उपयुक्त सरकार के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) के लिए आवश्यक निधियों का निक्षेपण सुनिश्चित करेगी|

2. खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) खर्च को आरएण्डआर नीति और हाल ही में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा वहन किया जायेगा| प्रारूप भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक में स्थानीय आबादी के साथ खनन लाभ को बांटने का प्रावधान है जिसे प्रत्येक खनन पट्टेधारक के लिए अनिवार्य बनाकर गैर-कोयला खनिजों के मामले में रॉयल्टी की राशि के बराबर हिस्से और कोयला खनिजों के मामले में जिला स्तरीय तंत्र के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के साथ कर के पश्चात लाभ के 26% के बराबर राशि को बांटेगा जहां प्रभावित व्यक्तियों का हित है|

3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई नीति नहीं है और न ही यह जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सु-प्रशासन के लिए कोई नीति संबंधी कोई पहल करती है चूंकि कारपोरेट कार्य मंत्रालय प्रबुद्ध विनियम और अधिनियम सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का प्रशासन करता है और इस अधिनियम में गैर-सरकार/कारपोरेट निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है|

सिफारिश सं. 59 (पृष्ट सं. 101)

एसआईए, विस्थापन एवं पनुर्वास की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जरूरतमंद निकाय की होनी चाहिए जो कि यह कार्य स्वयं करें या अन्य अभिकरणों को सौंप दें। सभी प्रभावित व्यक्तियों, विस्थापन एवं पुनर्स्थापन अनिवार्यताओं द्वारा प्रभावित अधिकारों की प्रकृति, जो कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का आधार निर्मित कर सकती हो, की गणना करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण अनिवार्य होना चाहिए। पुनर्वास एवं पुर्स्थापन योजना स्थानीय स्तर पर गठित एक पुनर्वास एवं पनुर्स्थापन समिति के पर्यवेक्षण में अनुमोदित एवं कार्यान्वित की जानी चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.79}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

भू संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) योजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011 के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त सरकार को सौंपी गई है| इसे अपेक्षित निकाय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इससे कई विवाद खड़े हो जायेंगे और विलंब होगा| विधेयक में बेसलाइन सर्वेक्षण पहले ही प्रदान किये गये है| इसके अलावा, आरएण्डआर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी स्थानीय स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) समिति द्वारा की जायेगी|

2. खान मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) परियोजना प्रस्तावक की जिम्मेदारी होगी और यह सतत विकास ढांचे (एसडीएफ) का अनिवार्य घटक होगा| यह एसडीएफ प्रभावित व्यक्तियों के बारे में उपयुक्त बेसलाइन सर्वेक्षण डाटा भी सुनिश्चित करेगा|

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय का विचार है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के अनुसार, ग्राम सभा या पंचायतें विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने और परियोजनाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्स्थापन से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाना चाहिए|

सिफारिश सं. 60 (पृष्ट सं. 101-102)

पुनर्स्थापन स्थान का उद्देश्य प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर जीवन परिस्थितियों को उपलब्ध करवाने का होना चाहिए एवं जब तक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना प्रकाशित होती है, संयुक्त परिवारों के पश्चातवर्ती विभाजन/लाभों के मामले में वयस्क सदस्यों के पृथक होने की पहचान करनी चाहिए। वन भूमि के विपथन से प्रभावित वनवासियों को वन में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। भूमि के बदले में क्षतिपूति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पुनर्स्थापित जनजातीय लोगों के लिए पुनर्स्थापित क्षेत्र में आरक्षण लाभों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण आदेशों के सहवर्ती संशोधन द्वारा जारी रखना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.80}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

भू संसाधन विभाग ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) विधेयक, 2011 में पहले ही प्रभावित परिवारों के लिए व्यापक भूमि प्रतिपूर्ति और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज का प्रयास किया गया है| धारा 11 के तहत अधिसूचना के समय मौजूद परिवारों पर विधेयक के तहत लाभ के प्रयोजन के लिए विचार किया जायेगा| 'वन भूमि' विधेयक की परिसीमा के बाहर है| इसके अलावा, विधेयक पहले से ही पुनर्स्थापन क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को आरक्षण लाभ देता है|

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) योजनाओं वन भूमियों के विपथन द्वारा प्रभावित वन निवासियों की वास्तविक आवश्यकताओं और चिंताओं का का समाधान करना चाहिए और आयोजना, कार्यान्वयन, संरक्षण और प्रबंधन में इनकी सक्रिय भागीदारी के साथ नये/पुनर्स्थापित क्षेत्रों पर वन संसाधनों को विकसित करने के लिए चाहिए| वन क्षेत्रों में पुनर्स्थापन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत क्लीएरेंस आवश्यक है|

सिफारिश सं. 61 (पृष्ट सं. 102)

पंचायतों से संबंधित राज्य विधायनों को समुदाय संसाधनों की प्रथागत विधियों, समाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों एवं पारम्परिक प्रबंधन प्रचलनों के अनुकूल होना चाहिए। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) की धारा 4(एन) के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को स्वशासन के संस्थानों के अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शक्तियों एवं प्राधिकारों से सज्जित होना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.81}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम, 1996 संविधान के भाग 9 को अनुसूचित 5 क्षेत्रों तक विस्तारित करता है और ग्राम सभा की केन्द्रीय भूमिका के साथ उनके जीवन में लोक केन्द्रित प्रशासन और सामुदायिक संसाधनों पर लोक नियंत्रण प्रदान करता है| ग्राम सभा परंपरागत और सामुदायिक परंपरागत संसाधनों के सुरक्षोपाय और संरक्षण तथा विवादों को निपटाने में सक्षम है| यह ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा कार्यान्वयन के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को भी अनुमोदन देता है| ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन के तहत लाभार्थियों का पता लगाने/चयन करने, ग्राम सभा द्वारा उपयोजित

निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है| इसके पास मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग को निषिध करने, लघु वन उत्पाद (एमएफपी) पर स्वामित्व, भूमि के हततांतरण को रोकने और गैर-कानूनी हस्तांतरित भूमि के पुनर्वास को बहाल करने और विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने, ऋण पर नियंत्रण करके ग्राम बाजारों का प्रबंध करने और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यों के संस्थानों पर नियंत्रण करने, स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण करने और जनजातीय उपयोजनाओं सहित योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी अधिकार है| संबंधित राज्य सरकारों से पेसा के अनुरूप गलत कानूनों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 62 (पृष्ट सं. 102)

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम ने प्रशासन के प्रजातांत्रित संस्थानों को भी ध्यान में रखा। अनुसूचित जनजातियों/क्षेत्रों की समस्याओं पर सतत् समन्वित ध्यान उपलब्ध करवाने के लिए अभिकरणों की बहुलता से बचा जाना चाहिए और एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों (आईटीडीए) का जिला परिषदों में विलय कर देना चाहिए।

{संदर्भ पैरा 2.84}

स्पष्टीकरण टिप्पण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोग की सिफारिश संबंधित राज्य सरकारों को विचार और उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दी गई है|

सिफारिश सं. 63 (पृष्ट सं. 102)

एक ऐसे तंत्र को खोजने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय तंत्र आवश्यक निधियों को राज्य मुख्यालयों के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय उन्हें सीधा प्राप्त कर सके जिसके लिये उन्हें, उन निधियों के उचित उपयोग हेतु उत्तरदायी बनाया जाये। **{संदर्भ पैरा 2.85}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निधियां निर्मुक्त की जाती हैं| तथापि, सिफारिश को मंत्रालय में नोट कर लिया गया है|

(ख) कुछ योजनाएं हैं जो केन्द्रीय प्रायोजित हैं जहां संबंधित राज्य सरकारों को अपना योगदान देना होता है| ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार से प्रत्यक्ष हस्तांतरण संभव नहीं होगा| कुछ केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में निधियां राज्य सरकार के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, किन्तु संस्थान को प्रत्यक्ष रूप से दी जाती हैं जहां विद्यार्थी पढ़ रहा है| ऐसी तीन योजनाएं हैं:-

(1) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु उच्च श्रेणी शिक्षा
(2) अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
(3) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

(ग) कमजोर समूहों के लिए विशेष रूपसे विकास योजना, पीटीजी के विकास की योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसके तहत पीटीजी की उत्तरजीविता और विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यान्वयन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के हेतु राज्य सरकारों को 100% सहायता दी जाती है| सभी 17 राज्यों में यहां पीटीजी रहते हैं, राज्य सरकारें कार्यान्वयनकारी एजेंसियां हैं और राज्य सरकारों को उनकी मांग के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं| जहां तक संबंधित स्वैच्छिक संबंध (वीओ)/गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप का संबंध है, इन्हें निधियां प्रत्यक्ष रूप से निर्मुक्त की जाती हैं| तथापि, इस संबंध में राज्य सरकारों की टिप्पणी के लिए अनुरोध किया जायेगा|

सिफारिश सं. 64 (पृष्ट सं. 102)

आयोग का मत है कि सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय एक सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के साथ वैयक्तिक प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में विशिष्ट विधायनों को निर्मित करने की आवश्यकता है जो कि अधिकारियों के कार्यात्मक क्षेत्रों, अधिकारियों के पदस्थापन के लिए एक पैनल तैयार करने, वरिष्ठ पदों के लिए सेवाकाल निर्धारित करने से संबंधित सौंपे गए मामलों का निवर्हन करेगा। यह प्र**शा**सनिक सुधार आयोग (एआरसी) द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण की लीक पर हो सकता है। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में वैयक्तिक प्रबंधन को सुधारने के लिए विभिन्न संवर्ग के पदों हेतु एक निम्नतम सेवाकाल निर्धारित करना आवश्यक है जो कि योग्यता, उपयुक्तता एवं अनुभव, निरंतरता बनाये रखने के लिए स्थानान्तरणों एवं पदस्थापन हेतु विहित मानक एवं दिशा–निर्देश और कैरियर बढ़ोतरी में निरंतरता एवं अनुमान जारी रखने तथा अच्छे शासन को बढ़ावा देने के साथ–साथ आवश्यक कौ**शा**ल एवं अनुभव को प्राप्त करने के आधार पर भरे जायेंगे। सभी लोक सेवकों का सामान्य सेवाकाल दो वर्ष से कम का नहीं हो और विनिर्दिष्ट सेवाकाल से पहले, स्थानान्तरण केवल वैध कारणों के आधार पर ही उन्हें लेखबद्ध करते हुए, किया जाए। ये सिफारि**शें** दूसरे प्र**शा**सनिक सुधार आयोग की दसवीं रिपोर्ट के पैरा 8.5.11, 8.5.12 और 8.5.14 में शामिल आकलनों के अनुसार हैं। कार्मिक एवं प्र**शि**क्षण विभाग, शांति एवं सुप्रशासन के हित में कार्मिक नीतियों एवं जनजातीय क्षेत्रों में तंत्रों के सुधार के लिए विस्तृत दि**शा**–निर्दे**श** जारी करें। रक्षा बलों, वित्तीय संस्थानों आदि में उनके कैरियर के दौरान ऐसे स्थानों में अनिवार्य सेवा की न्यूनतम अवधियां निर्धारित करते हुए ''कठिन क्षेत्रों'' के लिए कार्मिक नीतियां निर्मित की हैं जो सभी केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं (अन्य सेवा शर्तों के होते हुए भी) से कार्मिकों की पूरी सेवाओं के साथ बराबरी की जा सके और जनजातीय/अनुसूचित क्षेत्रों में कु**शा**ल कार्मिकों/प्रबंधन की आव**श्य**कताओं को पूरा किया जा सके। **{संदर्भ पैरा 2.87}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि 'कठिनाई वाले क्षेत्रों' के लिए कार्मिक नीतियों के मूल्यांकन के संबंध में इस पैरे में निहित सिफारिश एआईएस अधिकारियों के मामले में इनके कैरियर के दौरान ऐसे क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि को बताया गया है, एआईएस अधिनियम और नियमावली के अनुसार राज्य के कार्यों के संबंध में इस विभाग से कोई विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं होगी| अत:, केवल संबंधित राज्य

सरकार राज्य स्तरीय सिविल सेवा प्राधिकरण सेवा का सृजन कर सकती है, एआईएस अधिकारी स्वत: ही इसकी परिधि में आ जायेंगे|

2. गृह मंत्रालय ने कहा है कि सामान्य हिचकिचाहट और कुछ अन्य बाहरी कारक इन क्षेत्रों में तैनाती लेने से लोक सेवकों को हतोतसाहित करते हैं| तैनाती लेने के लिए कार्मिकों को मजबूर करने से उनका मनोबल गिरेगा और इनकी कार्यकुशलता प्रभावित होगी, बेहतर यह होगा कि इन क्षेत्रों में तैनाती के लिए कुछ पुरस्कार दिया जाये, जो इन्हें स्वैच्छिक रूप से तैनाती के लिए प्रोत्साहित करेगा|

इस विशेष समस्या का हल स्थानीय लोगों से समर्पित व्यक्तियों को भर्ती करने में है, जो अपने मूल स्थान से सामान्यत जुड़े होते हैं| रूटीन तैनाती को जहां तक संभव हो स्थानीय लोगों से पंचायत और जिला स्तर पर जनजातीय लोगों से भरा जाये|

सिफारिश सं. 65 (पृष्ट सं. 103)

योजना आयोग एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय दोनों को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की ही तरह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जनजातीय उप–योजना के कठोर निर्मितिकरण एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.98}**

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

योजना आयोग ने सूचित किया है कि योजना आयोग ने राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना की निरूपण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही उपाय किये हैं| जैसा कि 12वीं योजना के दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है इसमें अब कार्योत्तर लेखांकन से सक्रिय नियोजन में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है|

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय टीएसपी के कड़े निरूपन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से पत्राचार करता है| इसके अलावा, टीएसपी के कार्यान्वयन में प्रगति का मूल्यांकन करने टीएसपी के उचित कार्यान्वयन में आपत्तियों, रणनीतियों और समस्याओं के संबंध में राज्य और केन्द्रीय मंत्रालय विभागों के अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए राज्यों के प्रधान सचिवों/सचिवों/आयुक्तों और केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बैठके भी आयोजित की जाती हैं| 2012-13 के दौरान, टीएसपी के संबंध में 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं पहले ही सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं|

सिफारिश सं. 66 (पृष्ट सं. 103)

सभी विकास कार्यक्रमों, खास तौर पर मंत्रालयों/विभागों के प्रमुख मिशनों/स्कीमों के लिए कार्यप्रणाली में जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए उप–अध्याय शामिल होने चाहिए। खास तौर पर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों के निर्माण पर एक स्पष्ट ध्यान देने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के सभी प्रमुख मि**श**नों/स्कीमों/कार्यक्रमों में निर्दि**ष्ट** जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) रखना

आवश्यक है। टीएसपी घटक को जनसंख्या शेयर के अनुसार नहीं होना चाहिए बल्कि अभावों के स्तर को ध्यान में रखते हुए ''समस्या–**शे**यर'' और ''आव**श्य**कता–आधार'' के अनुसार होना चाहिए या इससे भी अधिक, वर्षों से अनुभव किए जा रहे पिछड़ेपन/उपेक्षा की भरपाई करने के लिए होना चाहिए। जब तक टीएसपी परिव्ययों का अनुपात अवशिष्ट समस्याओं जैसे पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एवं **शि**क्षा, पोषणिक समर्थन, बेरोजगारी इत्यादि की घटनाओं संदर्भ में आव**श्य**कता से अधिक नहीं होंगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सापेक्षिक अंतर बना ही रहेगा।

{संदर्भ पैरा 2.99}

स्पष्टीकरण टिप्पण

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि पेयजल के प्रावधान के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए रणनीति पर अगल उप अध्याय 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु ग्रामीण घरेलू जल और स्वच्छता के बारे में कार्य दल की रिपोर्ट में शामिल किया गया है|

2011-12 से, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में एक जनजातीय योजना घटक है जिसके तहत 10% राष्ट्रीय आबंटन किया जाता है| राज्यों से अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में जनजातीय संकेन्द्रित निवासियों की स्थिति के कवरेज को बढ़ाने पर विशेष बल देने के लिए कहा गया है|

2. योजना आयोग ने सूचित किया है कि वह योजना आयोग द्वारा यथासंस्तुत केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के निरुपण के लिए सहमत है|

योजना आयोग का विचार है कि जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए आबंटन आबादी योगदान आधार पर जारी रखने की आवश्यकता है| तथापि, टीएसपी योजनाओं/कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजातीय समूहों की समस्याओं और आवश्यकताओं को देखने के लिए निरूपित किये जाने की जरूरत है|

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड में है कि 2010 में, निम्नलिखित को देखने के लिए योजना आयोग ने डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना अयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था:-

क) एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देशों की समीक्षा करना|
ख) भविष्य में एससीएसपी और टीएसपी के प्रभावी और अर्थपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना|

कार्य बल ने निहि्नत केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात एससीएसपी और टीएसपी के तहत अलग-अलग योजना परिव्ययों के निर्धारण

के लिए इनके दायित्व के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के वर्गीकरण की सिफारिश की थी| कार्य बल की रिपोर्ट में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:-

1) इनके योजना परिव्यय/व्यय और एससीएसपी/टीएसपी के निर्धारण के दायित्व के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण
2) एससीएसपी/टीएसपी के तहत केन्द्रीय मंत्रालय/विभागवार योजना परिव्यय
3) एससीएसपी/टीएसपी के तहत योजना व्यय का वर्गीकरण
4) अलग बजट शीर्श '789' और '796' के तहत एससीएसपी/टीएसपी के लिए निर्धारित निधियां रखना
5) एससीएसपी/टीएसपी की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों को सुदृढ़ बनाना और
6) गैर-व्यपगतता विशेषता कार्यान्वयन|

यही सिफारिशें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी और ब्यौरे अनुलग्नक-| में दिये गये हैं| तदनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को वार्षिक योजना 2011-12 से कार्यबल की सिफरिशों का कार्यन्वयन करना होगा| 2012-13 के लिए स्थिति अनुलग्नक-|| में दी गई है| सदस्य सचिव, योजना आयोग ने दिनांक 15.12.2010 के पत्र में उन मंत्रालयों/विभागों जिनकी एससीएसपी और टीएसपी के तहत आबंटन प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है| उन्हें स्वैच्छिक आधार पर कुछ आबंटन प्रदान करने के लिए भी प्रयास करने होंगे|

हाल ही में योजना आयोग ने प्रारूप 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यथा परिकल्पित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सशक्तिकरण हेतु प्रमुख लक्ष्य सहित विशिष्ट विकास के लिए आवश्यक संघटक के रूप में एससीएसपी/टीएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक अंतर मंत्रालयीय समिति गठित की है| उक्त समिति के विचारणीय विषयों में विशिष्ट विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एससीएसपी और टीएसपी के लिए 'कार्योत्तर लेखांकन दृष्टिकोण' को संतुलित 'सक्रिय नियोजन दृष्टिकोण' के रूप में कवर करने की संभावना का पता लगाना है| इसमें नई और अभिनव योजनाओं पर बल दिया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य के बीच के विकास के अंतर को दूर करने की क्षमता है न कि मौजूदा योजना में यथा अनुपात लेखांकन आधार पर निर्धारित निधियों पर ध्यान केन्द्रित करना|

कारगर निरुपण, जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन और निगरानी पर जनवरी-फरवरी, 2013 में रांची, रायपुर और गांधीनगर में इस मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में जनजातीय उपयोजना को कार्यान्वित करके अपेक्षित परिणामों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की गई थी और केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के कारगर हस्तक्षेप के लिए भाग लेने वाले राज्यों और इस मंत्रालय के बीच विचारों का आदान प्रदान किया गया था|

सिफारिशों में से एक विभिन्न राज्यों की महसूस की जा रही आवश्यकताएं थीं जो अलग हैं और जो किसी राज्य विशेष के विभिन्न जिलों के भीतर अलग-अलग हो सकती हैं| अत:, यह महसूस किया गया था कि निगरानी और आयोजना को जॉब्स पूरा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पर केन्द्रित होनी चाहिए|

आंध्र प्रदेश सरकार ने "आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति उपयोजना और जनजातीय उप योजना (आयोजना आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2013" नामक एक विधेयक पहले ही अधिनियमित किया है जो महत्वपूर्ण विषय को वैधानिक मान्यता देता है|

उपर्युक्त सभी पर जहां तक संभव हो टीएसपी के अर्थपूर्ण कार्यान्वयन में कारगर उपयोग के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है|

सिफारिश सं. 67 (पृष्ट सं. 103)

संवैधानिक प्रावधानों का उचित संदर्भ में अर्थान्वयन किया जाना होगा क्योंकि कोई भी नियामक मुद्दा इसमें लागू नहीं है। संघ सरकार द्वारा अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों के लिए अपना विकास समर्थन केवल निर्दे**श** जारी करने तक सीमित रखना पूर्णतया तुच्छता होगा। यथाचित रूप से, इसे सभी मंत्रालयों एवं विभागों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों/उनकी जनसंख्या के तीव्र विकास के लिए, प्रत्यक्ष वित्तीय उत्तरदायित्व उठाना होगा।

{संदर्भ पैरा 2.100}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्रालयों और विभागों से समन्वय कर रहा है और इन्हें अपने अलग-अलग बजट से जनजातीय उपयोजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कह रहा है|

सिफारिश सं. 68 (पृष्ट सं. 103)

भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में प्र**शा**सन के आधारभूत विकास/प्रोन्नयन के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में शासन ढांचे एवं मानव शक्ति की लागतों को भी अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों के अधीन पोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जनजातीय उप–योजना के लिए वित्तीय समर्थन प्रति जनसंख्या **शो**यर के अनुसार नहीं होना चाहिए बल्कि ''समस्या–**शो**यर'' और ''आव**श्य**कता–आधार'' के अनुसार होना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.101}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने सूचित किया है कि ऐसे क्षेत्र के अवसंरचना विकास/उन्नयन तथा जनजातीय क्षेत्र में मानव शक्ति के अभिशासन के संबंध में विचार का समर्थन करता है। तथापि, इस संबंध में हितधारियों से परामर्श करने की आवश्यकता हो सकती है। जनसंख्या हिस्से के आधार पर टीएसपी को वित्तीय समर्थन जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है, के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के कल्याण का संवर्द्धन तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तरों का उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के समान उन्नयन करना है। तदनुसार, सामुदायिक कल्याण परिसंपत्तियों जैसे विद्यालय, शिल्प शिक्षण, पोषण संबंधी सहायता, पेय जल, अंतिम निर्गम/परिणाम या सुपुर्दगी के तरीके के संबंध में नवीन योजनाएं इत्यादि के सृजन पर ध्यान दिया जाता है। राज्यों को मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिह्नित करने की आवश्यकता है तथा परियोजनाओं की लोगों की सहभागिता से महत्वपूर्ण अवसंरचना में अंतरालों को भरने और योजनाओं/परियोजनाओं के आयोजन व कार्यान्वयन के लिए लिया जा सकता है। बहु-अनुशासनीय टीमों के माध्यम से एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा)/समूह के लिए लघु योजनाएं तैयार करने हेतु एकीकृत एवं समग्र उपागम पर भी विचार किया गया है। कार्यक्रम के तहत प्राप्त किए गए प्रस्ताव सामान्यत: महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर हैं तथा जो समस्याओं को दूर करने के लिए हैं।

सिफारिश सं. 69 (पृष्ट सं. 103)

राज्यों की जनजातीय उप–योजना के अधीन निधियों को एक समयबद्ध तरीके से अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्रों के समाजार्थिक विकास में दरार को पाटने के उद्देश्य के साथ गैर–हस्तांतरणीय एवं गैर–व्यपगमनीय होना चाहिए। वित मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग, जनजातीय उप–योजना चलाने वाले प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के अधीन एक गैर–व्यपगमनीय जनजातीय उप–योजना निधि के सृजन के लिए, आवश्यक कदम उठाएं और ऐसी निधियों के उपयोग के लिए दिशा–निर्देश तैयार करें। जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों के तीव्र विकास के लक्ष्य को आधारभूत विकास के गैर–व्यपगमनीय कोष से व्यय के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.102}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने सूचित किया है कि टीएसपी को कार्यान्वित कर रहे संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग जैसे नोडल मंत्रालय, के परामर्श से इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

2. आर्थिक कार्य विभाग ने कहा है कि इस प्रकृति के अव्यपगत पूल का सृजन वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किए गए बजटीय आबंटनों को खर्च करने में विभाग की अक्षमता के कारण पैदा हुई सरकार की देयताओं को स्पष्ट करता है तथा जो आगे जाकर राजकोषीय रुप में अधारणीय सिद्ध हो सकते हैं। अतः, अव्यपगत टीएसपी निधि के सृजन के विचार का समर्थन नहीं किया है। वित्तीय वर्ष की गतिविधियों के लिए बजटीय आबंटन संसद से मांगे जाने चाहिए तथा उपयोग नहीं की गई राशि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर समाप्त हो जानी चाहिए।

3. योजना आयोग के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार टीएसपी के तहत आबंटित निधियों को किन्हीं अन्य उपयोग न की जाने वाली तथा अव्यपगत बनाई जानी चाहिए। कई राज्यों ने इस संबंध में अलग बजट शीर्षों को खोलने में पहले ही आवश्यक कार्रवाई की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का विचार है कि जनजातीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के उद्देश्य से अवसंरचना विकास हेतु टीएसपी निधियों के उपयोग के लिए और दिशानिर्देशों के निरुपण में योजना आयोग को कार्रवाई करनी पड़ेगी।

सिफारिश सं. 70 (पृष्ट सं. 103-104)

वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संबंध में राज्य सरकारों को अपनी संसूचना में योजना आयोग को निरपवाद रूप से जोर डालना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार के योजना प्रस्तावों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जबतक जनजातीय उप–योजना दस्तावेज भी प्राप्त न हो जाए। संसूचना में यह भी स्पष्ट रूप से विनिदिष्ट होना चाहिए कि राज्य सरकारें साथ–साथ में राज्य योजना दस्तावेज एवं जनजातीय उप–योजना दस्तावेज, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजेंगे। **{संदर्भ पैरा 2.103}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने सूचित किया है कि वह आयोग की सिफारिश से सहमत है।

सिफारिश सं. 71 (पृष्ट सं. 104)

जैसा कि विगत में प्रचलन में रहा है, राज्य की जनजातीय उप–योजना के प्रारूप पर भी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण में ही चर्चा की जानी चाहिए और योजना आयोग में राज्य की पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना के आकार को अंतिम रूप देने के पश्चात् संशोधित जनजातीय उप–योजना दस्तावेज पर अंतिम अनुमोदन के लिए योजना आयोग चर्चा की जा सकती है। योजना आयोग की बैठक में अनुमोदित जनजातीय उप–योजना व्ययों पर राज्य सरकार द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.104}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने सूचित किया है कि वह आयोग के विचार का समर्थन करता है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय में आयोग की सिफारिश नोट कर ली गई है।

सिफारिश सं. 72 (पृष्ट सं. 104)

जनजातीय उप–योजना निधियों के गैर–विपथन को सुनिश्चित करने के लिए, योजना आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार बजट में से राज्य जनजातीय कल्याण/विकास विभाग के नियंत्रण के अधीन एक एकल बजट मांगशीर्ष के अन्तर्गत जनजातीय उप–योजना निधियों को अलग कर दिया जाए (जैसा कि महाराष्ट्र मोडल में तय किया गया और समय–समय पर योजना आयोग की ही तरह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जिसकी वकालत की गयी है)। **{संदर्भ पैरा 2.105}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2005 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एससीएस/टीएसपी के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर बल दिया गया है कि टीएसपी के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार चिह्नित की जानी चाहिए, 2) राज्य को अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग बजट शीर्ष खोलने चाहिए, सचिव, अनुसूचित जनजाति विभाग को टीएसपी निधियों के लिए योजना एवं वित्त सचिव की तरह सशक्त किया जाना चाहिए, टीएसपी निधियों को कहीं और उपयोग नहीं होना चाहिए। योजना आयोग ने बल दिया है कि राज्य सरकार के वार्षिक योजना प्रस्तावों को अंतिम रुप देने के लिए कार्य दल की बैठक के समय टीएसपी के दिशानिर्देशों का राज्यों द्वारा पालन किया जाए।

2. योजना आयोग के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार टीएसपी के तहत आबंटित निधियों को गैर-परिवर्तनीय तथा अव्यपगत बनाया जाना चाहिए। कई राज्यों ने अलग बजट शीर्षों को खोलने में पहले ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के उद्देश्य से अवसंचरना विकास हेतु टीएसपी निधियों के उपयोग के लिए और दिशानिर्देशों के निरुपण में योजना आयोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। राज्य सरकारें पहले ही लघु बजट शीर्ष "796" के तहत टीएसपी आबंटन को रख रही हैं।

सिफारिश सं. 73 (पृष्ट सं. 104)

आयोग ने नोट किया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग जो जनजातीय उप–योजना के लिए कार्य बल द्वारा "शून्य दायित्व" श्रेणी में सूचीबद्ध किए गए हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधारभूत विकास एवं लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी हैं। अतः आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय उप–योजना के लिए उपयुक्त परिव्यय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों/अनुसूचित क्षेत्रों का कमजोर आधारभूत ढांचे/सेवाओं द्वारा पंगु बनाया जाना जारी न रहे, सभी मंत्रालयों/विभागों के द्वारा अलग से चिन्हित कर दिए जाने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.106}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने बल दिया है कि "कोई दायित्व नहीं" के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों को अनुसूचित जनजातियों के लाभ के उद्देश्य से योजनाओं को निरुपित करने तथा कार्यान्वित करने के प्रयास करने चाहिए।

2. आर्थिक कार्य विभाग ने कहा है कि इस प्रकृति के अव्यपगत पूल का सृजन वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किए गए बजटीय आबंटनों को खर्च करने में विभाग की अक्षमता के कारण पैदा हुई सरकार की देयताओं को दिखाता है तथा जो आगे जाकर राजकोषीय रुप में अधारणीय सिद्ध हो सकते हैं। अतः, अव्यपगत टीएसपी निधि के सृजन के विचार का समर्थन नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आबंटन संसद से मांगे जाने चाहिए तथा अनुपयोगी राशि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर समाप्त हो जानी चाहिए।

3. सदस्य सचिव, योजना आयोग ने अपने दिनांक 15.12.2010 के पत्र में भी उन मंत्रालयों/विभागों जिनकी एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत आबंटन प्रदान करने हेतु कोई बंधनकारी प्रतिबद्धताएं उनसे नहीं हैं, स्वेच्छा के आधार पर कुछ आबंटन प्रदान करने का प्रयास भी करने के लिए आग्रह किया है।

सिफारिश सं. 74 (पृष्ट सं. 104)

अभी हाल ही में विकास एवं सेवाओं से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे **राष्ट्रीय** ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय पेय जल मि**श**न, मनरेगा पर राष्ट्रीय मि**श**नों की स्थापना की है। ये मि**श**न अनुसूचित जनजातियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए विनिर्दि**ष्ट** प्रावधान नहीं करते हैं। आयोग सिफारि**श** करता है कि राष्ट्रीय मि**श**नों को प्र**शा**सित करने वाले मंत्रालय/विभाग यह सुनि**श्च**त करें कि प्रत्येक योजना अवधि के दौरान मंत्रालय/विभाग की जनजातीय उप–योजना के अधीन पर्याप्त निवे**श**/लाभ अनुसूचित जनजातियों के लिए चिंहित किए जाएं ताकि उनके लिए तीव्र विकास उपलब्ध कराया जा सके एवं संविधान के अनुच्छेद 338क(9) के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी नीति मामलों में सामान्यतया प्रत्येक मंत्रालय/विभाग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ परामर्श करें।

{संदर्भ पैरा 2.107}

स्पष्टीकरण टिप्पण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि समाज के सभी वर्गों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आबंटन किए गए हैं। तथापि, कार्यक्रम अधिकारियों को जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के प्रति 8.2 प्रतिशत की सीमा तक निधियों का आबंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत राज्य सरकार को 35 प्रतिशत से अधिक थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जिलों के लिए कुछ प्रतिशतता चिह्नित करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उसे प्रस्तावित करने की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा टीएसपी के तहत विगत तीन वर्षों के लिए किए गए आबंटन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	विभाग के लिए कुल योजना परिव्यय (करोड़ रु. में)	टीएसपी के तहत योजना परिव्यय (करोड़ रु. में)	विभाग के कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
2011-12	23560.00	1932.00	8.2 प्रतिशत
2012-13	27127.00	2224.41	8.2 प्रतिशत
2013-14	29165.00	2391.53	8.2 प्रतिशत

2. पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत वर्ष 2011-12 से राज्यों को प्रदान किया जाता है जो वर्ष 2012-13 हेतु जनजातीय उपयोजना के तहत हैं। 2012-13 के लिए ग्रामीण जलापूर्त्ति हेतु के लिए 1050.00 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं।

वर्ष 2011-12 से निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के तहत कुल निधियों का 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एनबीए के तहत उपलब्ध की गई प्रगति की निगरानी भी की जाती है।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय का उत्तर वही है जैसा स्पष्टीकरण टिप्पण शीर्षक के तहत क्रम सं. 10 (पैरा 2.15) में दिया गया है।

4 जनजातीय कार्य मंत्रालय का विचार है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जनजातीय जनसंख्या को प्रभावित करने वाली नीति की किसी परियोजना/मिशन को प्रारंभ करने से पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)/जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) के साथ परामर्श करें। एनसीएसटी/एमटीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना मिशन को अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

सिफारिश सं. 75 (पृष्ट सं. 104)

यह सुझाव दिया जाता है कि उपयोग में नहीं लायी गयी जनजातीय उप–योजना निधियों को केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक गैर–व्यपगमनीय आधारभूत विकास कोष में डाली जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए गैर–व्यपगमनीय संसाधनों के प्रशासन के लिए जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के दिशा–निर्देशों की लीक पर उपयुक्त दिशा–निर्देश निर्मित किए जाने चाहिए ताकि उद्देश्यों के अनुरूप सतत् उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। **{संदर्भ पैरा 2.108}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नोडल मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ इस पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी समन्वय समिति के माध्यम से टीएसपी के चिह्नित बजट का अधिकतम उपयोग करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा है ताकि कोई निधि अनुपयोजित न रह जाए। तथापि, अनुपयोजित रही निधियों के मामले में मंत्रालय को अगले वित्तीय वर्ष में उसे उपयोजित करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए योजना आयोग द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

सिफारिश सं. 76 (पृष्ट सं. 105)

योजना आयोग को किसी भी मंत्रालय/विभाग के उस पंचवर्षीय योजना/ वार्षिक योजना प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहिए जिसके साथ जनजातीय उप–योजना संलग्न न हो, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

{संदर्भ पैरा 2.109}

स्पष्टीकरण टिप्पण

योजना आयोग ने आयोग की सिफारिश का समर्थन किया है।

सिफारिश सं. 77 (पृष्ट सं. 105)

प्रत्येक मंत्रालय को विगत की तरह जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठ को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में राजभाषा अनुभाग के समान पूरे वर्ष क्रियाशील होना चाहिए। जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठ, मंत्रालय की जनजातीय उप–योजना स्कीमों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करेगा और मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त आगमों का उपयोग करते हुए वित्तीय एवं भौतिक परिप्रेक्ष्य की शर्त्तों में मंत्रालय/विभाग के वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजना के जनजातीय उप–योजना घटक तैयार करेगा। जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठों को जनजातीय विकास एवं प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं विशेष भूमिका रखने वाले कार्मिकों द्वारा सज्जित किया जाना चाहिए। जनजातीय उप–योजना की सतत् मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठ में पदों के खाली पड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह तभी संभव होगा यदि इन प्रकोष्ठों के लिए कार्मिक, विशिष्ट विशेषज्ञता के संगठित संवर्ग से संबंध रखते हों। मंत्रालयों/विभागों में जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठों के लिए कार्मिकों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रस्तावित पृथक विशेष संगठित संवर्ग (वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग का हिस्सा) से लिए जाने चाहिए। यह संवर्ग गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के विशेष संवर्ग की लीक पर विकसित एवं कार्यशील होना चाहिए तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में जनजातीय उप–योजना प्रकोष्ठ के लिए कार्मिकों को उक्त उल्लिखित संगठित विशेष संवर्ग से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। **{संदर्भ पैरा 2.110}**

स्पष्टीकरण टिप्पण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि वह आयोग की सिफारिश का समर्थन करता है।

2. योजना आयोग ने टीएसपी के उचित कार्यान्वयन एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में टीएसपी प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण का समर्थन करता है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्ध व्यक्तियों, शराब और नशीली दबाइयों के शिकार व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के विकास को देखने के लिए यह अधिदेशित है। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित मामला इस मंत्रालय के अधिदेश में नहीं आता है। अत:, इस मंत्रालय में टीएसपी प्रकोष्ठ की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

4. जनजातीय कार्य मंत्रालय आयोग की सिफारिश से सहमत है, इस बात को दर्शाने के लिए नोडल मंत्रालय को टीएसपी के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को देखने तथा राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर इसकी निगरानी करने हेतु समर्पित टीएसपी प्रकोष्ठ की आवश्यकता है। समर्पित टीएसपी प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अनन्य रुप से संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा उनकी सहायता के लिए उपयुक्त स्टाफ संख्या होनी चाहिए।

अध्याय-3 : आयोग के साथ अर्थपूर्ण परामर्शों की आवश्यकता

सिफारिश सं. 1 (पृष्ट सं. 105)

अतः आयोग सिफारिश करता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 16/02/2012 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों को निर्देश पुस्तिका के निर्देश सं0 46 एवं 47 में निहित निर्देशों की लीक पर संशोधित करते हुए प्रायोजक मंत्रालयों को सलाह दी जाए कि संविधान के अनुच्छेद 338क (9) के अधीन नीति संबंधी मामलों/विधायी प्रस्तावों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सलाह प्रत्यक्ष रूप से मांगी जाए और प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नहीं, क्योंकि मंत्रालय की भूमिका, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका से भिन्न होती है तथा एक निश्चित सिफारिश या एक निश्चित तरीके से सिफारिश करने के लिए आयोग को बाध्य करने या प्रतिबंधित करने में मंत्रालय, निरीक्षक की भूमिका नहीं निभा सकता।

{संदर्भ पैरा 3.49}

<u>स्पष्टीकरण टिप्पण</u>

मंत्रिमंडल सचिवालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को निम्नानुसार सूचित किया है:-

आयोग की सिफारिश की निम्नलिखित के संदर्भ में जांच की गई है:

1) अपनी रिपोर्ट के अध्याय-3 के पैराग्राफ 3.4 में आयोग के अवलोकनों में जहां यह पाया गया कि विधेयक प्रारंभिक प्रारुपण के चरण में आयोग को भेजे गए तथा आयोग के लिए यह उपयुक्त नहीं था कि वह सरकार के किसी मध्यवर्ती स्तर के संगठन से प्राप्त प्रारुप विधान पर टिप्पणी करे।
2) अपनी वर्तमान रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.25 की विषय-वस्तु जहां आयोग के सचिव, भू-संसाधन विभाग पर इस बात पर बल देने की सूचना दी थी कि मामले (अनुच्छेद 338 क (9) के प्रावधानों के तहत सलाह के लिए) को विधेयक के प्रारुपण की आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने के उपरांत तथा मंत्रिमंडल के मामलों की प्रस्तुति से पूर्व आयोग के पास भेजा जा सकता है।
3) तथ्य यह है कि एनएमसीसी तथा बीआरपीएसई के साथ परामर्श मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों हेतु टिप्पणियों को अंतिम रुप देने से काफी पहले चरण में आयोजित किए गए हैं जैसा आगामी पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है।
4) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में भारत सरकार (कार्य संपादन) नियम, 1961 तथा भारत सरकार (कार्यों का विभाजन) नियम, 1961 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी, तथा
5) यह तथ्य कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क (9) के अनुसार संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों में एनसीएसटी से परामर्श करेंगे।

2. उपरोक्त के संदर्भ में यह देखा गया है कि एनएमसीसी तथा बीआरपीएसई के साथ परामर्श से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देश जो प्रसंगाधीन हैं, प्रारुप मंत्रिमंडल टिप्पण पर किए गए परामर्शों से संबंधित नहीं है। इन निकायों के साथ परामर्श निरपवाद रुप से काफी पहले चरण अर्थात् जब संबंधित प्रस्ताव निरुपित किए जा रहे हैं, में किए गए हैं। ये निर्देश केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि मंत्रालय/विभाग इस आयाम को अनदेखा नहीं करें जब मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों का अनुमोदन मांगा जा रहा है। ऐसे परामर्श सक्षम प्रधिकारी द्वारा अनुमोदन से पूर्व अंतरमंत्रालयीय परामर्श के लिए प्रस्ताव निरुपित करते समय एनएमसीसी तथा बीआरपीएसई के अंतर्निवेशों को ध्यान में रखने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सक्षम बनाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिन मामलों को एनएमसीसी या बीआरपीएसई के पास भेजा गया है उनमें से कुछ मामलों में उसे मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के समक्ष नहीं भी भेजा जा सकता है। जैसा एनएमसीसी या बीआरपीएसई जैसे निकायों के साथ परामर्श से स्पष्ट है कि अंतरमंत्रालयीय परामर्श जो इन दस्तावेजों में संदर्भित है, बीआरपीएसई तथा एनएमसीसी की सलाह/सिफारिश, यदि मांगी गई हो, के उपरांत किए जाते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल के लिए प्रारुप टिप्पण में प्राप्त तथा शामिल किया गया है। जैसा अपनी प्रसंगाधीन रिपोर्ट में किसी अन्य स्थान पर आयोग द्वारा पाया गया है तथा जिसे संक्षिप्त रुप में ऊपर संदर्भित किया गया है कि आयोग आंतरिक प्रक्रियाओं की समाप्ति के उपरांत तक परामर्श किए जाने के लिए इच्छुक भी नहीं है तथा इसकी सलाह के अनुसार वह चरण जब इसके साथ परामर्श किया जाना चाहिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ इस टिप्पण की प्रस्तुति से पूर्व होगा। इस पृष्ठभूमि में यह विचार किया गया है कि एनसीएसटी तथा एनएमसीसी या बीआरपीएसई के साथ परामर्श इस प्रकार से नहीं किए जाते हैं।

3. भारत सरकार के कार्य मंत्रालयों/विभागों में संपादित किए जाते हैं। मंत्रालयों/विभागों को आबंटित किए गए कार्यों के निपटान का तरीका भारत सरकार (कार्य संपादन) नियम, 1961 में निर्धारित किया गया है। इन नियमों के अनुसार मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इत्यादि के स्तर पर निर्णय किए जाने हेतु आरक्षित मामलों के अलावा सभी मामले प्रभारी मंत्री के सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुरुप मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा या अन्य अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है। तदनुसार, विभाग के कार्यों का एक मुख्य भाग विभाग के अंदर ही निपटाया जाता है।

4. जनजातीय कार्य मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वय का कार्य आबंटित किया गया है। अत:, मंत्रिमंडल के प्राधिकार के अलावा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उस मंत्रालय से आवश्यक रुप से परामर्श किया जाए तथा किसी मंत्रालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय से परामर्श किए बिना इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशें तथा मंत्रिमंडल टिप्पण पर उनके विचार जो अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली

नीतिगत मामलों की दृष्टि से महत्ववूर्ण हैं, उनसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अवगत एवं उन्हें इसे उपलब्ध भी करवाया जाना चाहिए।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने दिनांक 16.02.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/3/2/2012-कैब. के माध्यम से सभी प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, जैसा भी मामला हो, से आयोग से प्रशासनिक रुप से संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से उनके द्वारा अनिवार्य रुप से परामर्श किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन और स्पष्ट रुप से अनुबद्ध करता है कि आयोग के साथ प्रशासनिक रुप से संबंधित मंत्रालय/विभाग के विचारों के साथ संबंधित आयोग (इस मामले में एनसीएसटी) के असंक्षिप्त/असंपादित विचारों को मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के लिए टिप्पणियों के साथ सम्मिलित किया जाए/जोड़ा जाए। इसके परिणामस्वरुप ऐसे सभी मामलों में आयोग के विचार मंत्रिमंडल समितियों के समक्ष यथोचित रुप से रखे जाएंगे।

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में आयोग से परामर्श करने के लिए संवैधानिक बाध्यता को दर्शाते हुए जबकि उपयुक्त निर्देश/परामर्शी सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर जारी कर दी गई है, तथापि मंत्रिमंडल टिप्पण लिखने पर विद्यमान निर्देश को बदलने के लिए यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। यह आशा है कि मंत्रालय/विभाग एनसीएसटी से परामर्श करने के लिए गंभीर प्रयास जारी रखेंगे और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी संगत नीति प्रस्तावों में आयोग की सलाह/सिफारिशों में उपयुक्त रुप से रखेंगे।

****

संदर्भ पैरा सं 1.42 [अध्याय - 1 की मद सं. 4 (vi) और अध्याय 2 का पैरा 2.99]

अनुलग्नक-I

2010 में कार्यबल (डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में) सिफरिशों की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा यथा अधिधेसित टीएसपी के निधियों का मंत्रालय/विभागवार निर्धारण दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय के लिए टीएसपी संस्तुति के तहत निधियों का निर्धारण (% में)
1	2	3
श्रेणी I	**टीएसपी के तहत निर्धारित निधियों के लिए कोई दायित्व न होने वाले मंत्रालय/विभाग**	**0.00**
श्रेणी II	**आंशिक अपेक्षित निर्धारण वाले मंत्रालय/विभाग (इनके योजना परिव्यय का 7.5% से कम**	
1.	दूरसंचार विभाग	0.25
2.	वस्त्र मंत्रालय	1.20
3.	जल संसाधन मंत्रालय	1.30
4.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1.40
5.	संस्कृति मंत्रालय	2.00
6.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	2.00
7.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन (एययूपीए) मंत्रालय	2.40
8.	पर्यटन मंत्रालय	2.50
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2.50
10.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3.50
11.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3.60
12.	खान मंत्रालय	4.00
13.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.70
श्रेणी III	**वे मंत्रालय/विभाग जिन्हें अपने योजना परिव्यय के 7.5 से 8.2% के बीच निर्धारण अनिवार्य है**	
14.	उच्च शिक्षा विभाग	7.50
15.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	8.00

16.	माइक्रो मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	8.20
17.	कोयला मंत्रालय	8.20
18.	युवा मामले विभाग	8.20
19.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.20
20.	पंचायती राज मंत्रालय	8.20
21.	खेल विभाग	8.20
22.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.20
23.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.20
श्रेणी IV	**वे मंत्रालय/विभाग जिन्हें टीएसपी के तहत अपने योजना परिव्यय के 8.2% से अधिक के बीच निर्धारण अनिवार्य है**	
24.	भूमि संसाधन विभाग	10.00
25.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	10.00
26.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70
27.	ग्रामीण विकास विभाग	17.50
28.	जनजातीय मामलों के मंत्रालय	100.00
	ये प्रतिशत संबंधित मंत्रालय/विभागों के बजट अनुमान 2010-11 को लागू करके, प्रतिशत रूप से औसत बजट अनुमान टीएसपी के तहत निर्धारित किये जाने की आशा है	**8.2#**

 # संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत टीएसपी को एससीए और अनुदान, चूंकि इन शीर्षों के तहत परिव्यय बजट (खण्ड-1) के विवरण 16 में दर्शाया गया है जो राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है| टीएसपी को एससीए सहित (960 करोड़ रुपये), ये आंकड़े बढ़कर 8.6 % हो गये हैं|

संदर्भ पैरा सं 1.42 [अध्याय - 1 की मद सं. 4 (vi) और अध्याय 2 का पैरा 2.99]

अनुलग्नक-II

कुल बजट अनुमान विवरण के अनुसार वार्षिक योजना 2012-13 के लिए मंत्रालय-वार परिव्यय (कुल जीबीएस) और जनजातीय उपयोजना परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	*मंत्रालय/विभाग*	*कुल जीबीएस (करोड़ रुपये में)*	*परिव्यय*		टीएसपी के तहत % निधियों का निर्धारण #
			टीएसपी (करोड़ रुपये में)	*जीबीएस के मध्य टीएसपी का %*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	कृषि मंत्रालय				
1	कृषि विभाग और सहयोग	10991.00	882.59	8.03	8.00
2	कृषि रिसर्च और शिक्षा विभाग	3220.00	116.00	3.60	3.60
3	कोयला मंत्रालय	450.00	31.00	6.89	8.20
	संचार और सूचना टेक्नोलोजी मंत्रालय				
4	दूरसंचार विभाग	4800.00	12.00	0.25	0.25
5	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	201.00	6.70	6.70
	उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण				
6	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	126.00	4.06	3.22	1.40
7	संस्कृति मंत्रालय	864.00	17.28	2.00	2.00
8	पर्यावरण और वन मंत्रालय *	2430.00	16.00	0.66	--
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	27127.00	2224.41	8.20	8.20
10	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	990.00	19.8	2.00	2.00
11	एड्स नियंत्रण विभाग **	1700.00	139.40	8.20	8.20
12	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1155.00	27.72	2.40	2.40
	मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास की				
13	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	45969.00	4918.68	10.70	10.70

14	हायर Edcation विभाग	15458.00	1159.35	7.50	7.50
15	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2470.00	202.54	8.20	8.20
16	माइक्रो मंत्रालय, लघु और medum उद्यम	2835.00	139.48	4.92	8.20
17	खान मंत्रालय	243.00	8.72	3.59	4.00
18	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	23000.00	500.00	2.17	3.50
19	पंचायती राज मंत्रालय	300.00	17.44	5.81	8.20
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
20	ग्रामीण विकास विभाग	73175.00	3460.37	4.73	17.50
21	भूमि संसाधन विभाग	3201.00	320.05	10.00	10.00
22	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	14000.00	1400.00	10.00	10.00
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
23	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2477.00	61.93	2.50	2.50
24	वस्त्र मंत्रालय	7000.00	84.00	1.20	1.20
25	पर्यटन मंत्रालय	1210.00	30.25	2.50	2.50
26	जनजातीय मामलों के मंत्रालय ***	1573.00	1573.00	100.00	100.00
27	जल संसाधन मंत्रालय	1500.00	19.50	1.30	1.30
28	महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय	18500.00	1517.00	8.20	8.20
29	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1041.00	85.60	8.22	8.20
	महायोग ##	270805.00	21706.17	8.02	--
	सभी मंत्रालय / विभाग - कुल ##	***391027.00***	***21706.17***	***5.55***	

** **टीएसपी निधियों का अनिवार्य निर्धारण अध्यादेसित***

*** स्वारुथ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रतिशत निर्धारण|*

**** कुल जीएसपी के तहत दर्शाये गये आंकड़ों में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात टीएसपी को एससीए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान आवंटन शामिल नहीं है जो 2517.00 करोड़ रुपये बैठती है ओर संपूर्ण राशि टीएसपी परिव्यय है|*

 # योजना अयोग द्वारा यथा स्वीकृति कार्यदल की सिफारिश के अनुसार जो मंत्रालयों/विभागों के लिए अध्यादेसित है

जैसा की ऊपर दर्शाया गया है टीएसपी आंकड़ों में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 2517.00 करोड़ रुपये शामिल हैं और जैसा कि विवरण 21क, व्यय बजट, खण्ड-1, 2012-13 में दर्शाया गया है दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मांग संख्या 96 और 99 के तहत प्रावधान शामिल नहीं है

स्रोत: व्यय बजट, खण्ड -1, 2012-13

संदर्भ पैरा सं 1.42 [अध्याय - 1 की मद सं. 4 (vi)]

अनुलगनक- III

मंत्रालय/विभाग केंद्रीय बजट 2013-14 का मंत्रालय/विभाग वार आवंटन (करोड़ रुपये में)								
क्र. सं.	विभाग/मंत्रालय		एससीएसपी			टीएसपी		
		खंड -2 के अनुसार कुल योजना आवंटन	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट	% आवंटन	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट	% आवंटन
1	विभाग. कृषि एवं सहकारिता	21609	1534	1888	9	757	933	4
2	विभाग. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3415	0	0	0	86	123	4
3	विभाग. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन	2025	292	328	16	0	0	0
4	कोयला मंत्रालय	450	0	0	0	31	32	7
5	विभाग. वाणिज्य	2226	94	100	4	0	0	0
6	विभाग. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	1501	6	42	3	0	0	0
7	विभाग. दूरसंचार की	5800	0	0	0	6	15	0
8	विभाग. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के	3000	52	60	2	138	201	7
9	विभाग. खाद्य और सार्वजनिक वितरण	259	0	0	0	3	6	2
10	संस्कृति मंत्रालय	1435	0	0	0	17	29	2
11	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	15260	2860	3358	22	1300	1526	10
12	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2430	43	53	2	15	16	1
13	विभाग. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	29165	3713	4433	15	1804	2392	8
14	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	1069	34	53	5	13	21	2
15	एड्स नियंत्रण विभाग	1785	267	271	15	144	146	8

16	आवास और शहरी गरीबी उपशमन (एचयूपीए) मंत्रालय	1460	163	329	23	17	35	2
17	विभाग के स्कूल शिक्षा और साक्षरता	49659	8546	9932	20	4572	5314	11
18	विभाग. उच्च शिक्षा	16198	2077	2432	15	1022	1220	8
19	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2446	353	409	17	169	207	8
20	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)	2977	310	357	12	211	244	8
21	खान मंत्रालय	454	0	0	0	9	10	2
22	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1519	40	53	4	0	0	0
23	पंचायती राज मंत्रालय	7000	24	75	1	12	38	1
24	विद्युत मंत्रालय	9642	391	800	8	0	0	0
25	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	25860	0	0	0	500	800	3
26	अनुसंधान एवं विकास विभाग	74429	3820	6358	9	2779	4452	6
27	भूमि संसाधन विभाग	5765	492	934	16	302	576	10
28	विभाग. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के	2777	26	69	3	22	69	3
29	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	6625	3889	4756	72	0	46	1
30	वस्त्र मंत्रालय	4631	225	232	5	55	56	1
31	पर्यटन मंत्रालय	1282	0	0	0	24	32	3
32	जनजातीय मामलों के मंत्रालय	4279	0	0	0	3100	4279	100
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1862	0	0	0	3	3	0
34	दमन और दीव	630	0	0	0	1	1	0
35	जल संसाधन मंत्रालय	1500	0	0	0	18	20	1
36	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	20350	3700	4070	20	1517	1669	8
37	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1093	137	168	15	73	90	8
	कुल	**3,33,868**	**33,085**	**41,561**	**12**	**18,721**	**24,598**	**7**

स्रोत: केंद्रीय बजट 2013-2014 का विवरण 21 और विवरण 21क

******